GS WORLD

IAS PCS

Committed To Excellence

प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों का हिन्दी भावानुवाद

संदर्भित तथ्य एवं संभावित प्रश्नों सहित

(जनवरी, 2018)

Head Office

629, Ground Floor, Main Road, Dr, Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

Ph. : 011-27658013, 9868365322

INDEX

1.	जहां भूगोल नियति है (Paper - II)	इंडियन एक्सप्रेस	2 जनवरी
2.	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक : एक प्रश्न (Paper - II)	द हिन्दू	3 जनवरी
3.	कोरेगांव (पुणे) का संघर्ष (Paper - I)	द हिन्दू	4 जनवरी
4.	बजट 2018 : वित्तीय विवेक की आवश्यकता (Paper - III)	फाइनेंसियल एक्सप्रेस	5 जनवरी
5.	एक कानून को सक्षम बनाना (Paper - II)	द हिन्दू	6 जनवरी
6.	मानवधिकार के लिए आवाज उठाना (Paper - II)	द हिन्दू	8 जनवरी
7.	इलेक्टोरल बांड सर्वोत्तम उपाय नहीं (Paper - II)	लाइव मिंट	9 जनवरी
8.	धारा 377 : अपराध और सहमति (Paper - II)	इंडियन एक्सप्रेस/द हिन्दू	10 जनवरी
9.	ट्रम्प सरकार एच-1 बी वीजा नियमों पर (Paper - II)	फर्स्ट पोस्ट/द हिन्दू	11 जनवरी
10.	सुरक्षा संबंधी प्रश्न (Paper - II)	इंडियन एक्सप्रेस/पायनियर	12 जनवरी
11.	न्यायपालिका में अशांति (Paper - II)	इंडियन एक्सप्रेस/द हिन्दू	13 जनवरी
12.	भारत-इजराइल संबंध (Paper - II)	द टाइम्स ऑफ इंडया/पायनियर	15 जनवरी
13.	कृषि से संबंधित समस्याएं (Paper - III)	इंडियन एक्सप्रेस/द हिन्दू	16 जनवरी
14.	जल्लीकट्टू : एक प्रश्न (Paper - II)	द हिन्दू/पायनियर	17 जनवरी
15.	भारत में शिक्षा का गिरता स्तर (Paper - II)	द हिन्दू/पायनियर	18 जनवरी
16.	सौर-संचालित कृषि की ओर (Paper - III)	द हिन्दू	19 जनवरी
17.	अकेलेपन की समस्या : ब्रिटेन सरकार (Paper - II)	हिन्दूस्तान टाइम्स/इंडियन ए.	20 जनवरी
18.	लाभ का पद : एक प्रश्न (Paper - II)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	22 जनवरी
19.	ट्रिपल तलाक : एक प्रश्न (Paper - II)	द हिन्दू/टाइम्स ऑफ इंडिया	23 जनवरी
20.	किसानों की दोगुनी आय : वर्ष 2022 (Paper -III)	लाइव मिंट/हिन्दुस्तान टाइम्स	24 जनवरी
21.	विश्व आर्थिक मंच : भारत (Paper - II)	द इकॉनोमिक टाइम्स/ इंडियन ए.	25 जनवरी
22.	आसियान और भारत (Paper - II)	द हिन्दू/इंडियन एक्सप्रेस	27 जनवरी
23.	अस्पष्ट आंकड़ों की समस्या	इंडियन एक्सप्रेस/लाइव मिंट	29 जनवरी
24.	आर्थिक सर्वेक्षण : 2017 (Paper - III)	इंडियन एक्सप्रेस/द हिन्दू	30 जनवरी
25.	एक धीमी न्यायापालिका की बड़ी लागतें (Paper - II)	लाइव मिंट	31 जनवरी

* * *

जहां भूगोल नियति है

साभार: इंडियन एक्सप्रेस
(2 जनवरी, 2018)

सी. राजा मोहन
(निर्देशक, कार्नेगी इंडिया, दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

भारत को उन संबंधों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए जो उसे अपने पड़ोसियों के साथ बाँधे रखे।

2017 का अंत उपमहाद्वीप में विकास की एक श्रृंखला के रूप में दिल्ली के विदेश नीति पर निराशा व्यक्त करता है। यहाँ शोक यह है कि भारत अपने पड़ोसी चीन से हार गया है। क्योंकि, चीन ने मालदीव के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, हंबनटोटा बंदरगाह के लिए श्रीलंका के साथ दीर्घकालिक समझौता किया और साथ ही चीन समर्थक दलों को नेपाल में चुनाव जीतते देखा गया।

निश्चित रूप से यह दिल्ली के लिए तत्काल राजनीतिक झटका हो सकता है। लेकिन वे किसी भी तरह से उस भौगोलिक स्थिति नहीं बदलते हैं जो भारत को अपने पड़ोसी देशों में बांधे रखता है। उपमहाद्वीप में चीन के बढ़ते वर्चस्व का शोक मनाने के बजाय, दिल्ली को अपने पड़ोस में भूगोल के तर्क का सम्मान करने और उन्हें सुधारने के तरीके खोजने के लिए अपनी पिछली विफलताओं पर विचार करना चाहिए।

दिल्ली की विदेश नीति व्याख्यान को उपमहाद्वीप में चीन के साथ रिश्ते को एक सीमित ओवर क्रिकेट के खेल के रूप में देखना बंद कर देना चाहिए जहाँ खेल के अंत में कोई एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। भले ही दिल्ली ने निकटतम अवधि में बीजिंग के साथ मुठभेड़ में अधिकांश हार का सामना किया हो, फिर भी चीन के पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है कि वह उपमहाद्वीप में भारत के वजन को कम कर सके।

पूर्व एशिया में चीन का उदाहरण लेते है। जब 1949 में पीपुल्स रिपब्लिक का जन्म हुआ था, उसके पड़ोसी में से कुछ कूटनीतिक मान्यता को बढ़ाने के लिए तैयार थे लेकिन, उनमें से कई ने चीन के बजाय अमेरिका और जापान के साथ अपनी अर्थव्यवस्थाओं का गठबंधन किया। लेकिन एक बार चीन ने 1970 के दशक के अंत में खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया और क्षेत्रीय एकीकरण शुरू कर दिया, जिसके बाद चीन का आकार बदलने लगा। आज यह अपने परिधि में सभी देशों के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। बीजिंग के साथ चीन के पड़ोसी देशों की जो भी राजनीतिक समस्या है, कुछ लोग आर्थिक अवसरों को छोड़ने को तैयार हैं, जो इसे प्रस्तुत करता है।

यहाँ भारत के लिए पहला सबक देखा जा सकता है। हालांकि दिल्ली को राज से एक एकीकृत वाणिज्यिक स्थान मिला है, जहाँ स्वतंत्र भारत की समाजवादी उन्मुखीकरण का मतलब क्षेत्रीय आर्थिक परिप्रेक्ष्य का निरंतर नुकसान था, जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार पर जोर देने और उनके साथ कनेक्टिविटी की एक नियमित उपेक्षा को दर्शाता था। हालांकि भारत के तीन क्रमिक प्रधानमंत्री अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की बात की है, लेकिन उनके लिए इसे कायम रख पाना मुश्किल हो गया है।

दिल्ली के आर्थिक मंत्रालयों को अपने पड़ोसी देशों के संबंध में बहुत कम रणनीतिक ज्ञान हैं। उनके लिए भूटान बोलीविया के रूप में बीएस एक विदेशी देश है। विमुद्रीकरण के हालिया उदाहरणों पर गौर किया जाये तो हम पाते हैं कि दिल्ली ने इस दौरान नेपाल और भूटान पर विमुद्रीकरण के पड़ने वाले परिणामों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत निकट से जुड़े हुए हैं।

देखा जाये तो इस प्रकार की समस्या सुरक्षा मोर्चे पर भी समान है। वर्ष 1949 में शुरू होने के बाद, पीआरसी ने पाया कि उनके कई पड़ोसी देश अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधनों से जुड़ गये हैं। अमेरिकी सेना चीन के सामने आने वाले सभी द्वीपों पर काबिज थे। आज, बीजिंग के बढ़ते आर्थिक प्रभाव में सेना की ताकत बढ़ाने के साथ-साथ, चीन के इलाके में अपनी अगली सैन्य उपस्थिति को बनाए रखने के लिए अमेरिका दिन प्रति दिन इसे कठिन बनाते जा रहा है।

निश्चित रूप से, चीन निकट भविष्य में कराची या ग्वादर में एक सैन्य बेस का निर्माण करेगा। लेकिन यह विचार कि चीन दक्षिण एशिया में भारत को घेर सकता है, अभी सच होता नहीं दिख रहा है। हालांकि, वर्तमान में इस विचार ने कुछ आश्वस्तता हासिल कर ली है, क्योंकि भारत के नागरिक रक्षा नेतृत्व ने क्षेत्र के एकीकृत रक्षा के बारे में लंबे समय से सोचना बंद कर दिया है।

यदि चीन ने समझदारी नीतियों के जरिए पूर्वी एशिया में अपनी भौगोलिक प्रधानता को पुनः प्राप्त किया है, तो दक्षिण एशिया में भारत हो सकता है। आकार और भूगोल दिल्ली और बीजिंग को अपने पड़ोसियों पर हावी होने की अनुमति देते हैं। बाहरी शक्तियों के लिए किसी अन्य की परिधि पर हावी होना कभी आसान नहीं होता है। साथ ही, क्षेत्रीय हेगेंन के लिए एक अच्छी पड़ोस नीति बनाने के लिए हमेशा मुश्किल होता है।

छोटे पड़ोसी देशों के लिए, बाहरी शक्तियों को आमंत्रित करना और बड़ी शक्तियों द्वारा एक सैन्य या राजनीतिक हस्तक्षेप को उत्तेजित करना कुछ सामरिक स्वायत्तता के बीच हमेशा एक अच्छा संतुलन है। उदाहरण के लिए, यूक्रेन ने क्रिमीया को रूस से खो दिया, जब मास्को ने सोचा कि कीव पश्चिम की ओर बहुत दूर चला गया है। अमेरिका और यूरोप के पास रूस की परिधि पर रूस से लड़ने का कोई इरादा नहीं है और ना ही अब कोई दूसरा रास्ता है जिससे यूक्रेन क्रिमीआ को वापस पा सके।

भारत के छोटे पड़ोसी देशों के बीच राजनीतिक नेताओं को यह पता है और जब चीन के साथ सैन्य संरेखण की बात आती है तो उनमें से कई अस्पष्ट लाल रेखा को पार नहीं करना चाहते थे। इसी तरह, भारत जानता है कि पूर्वी एशिया में चीन के पड़ोसियों के साथ रणनीतिक साझेदारी की अपनी सीमाएं हैं।

बड़ी शक्तियां यह भी जानते हैं कि यह हमेशा अपने छोटे पड़ोसियों के लिए नीतियां निर्देशित नहीं कर सकते। चीन उत्तर कोरिया पर कुछ दबाव डाल सकता है, लेकिन यह प्योंगयांग में नेतृत्व को नियंत्रित नहीं कर सकता। भारत का नेपाल और मालदीव के साथ अब तक एक ही अनुभव रहा है।

बड़ी शक्तियों और उसके पड़ोसियों के बीच निकटता, घनिष्ठता और दुश्मनी उत्पन्न करती है। भारत की समस्या दक्षिण एशिया में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ रणनीतिक दृष्टि और बहुत सामरिक चालाकी के साथ पड़ोसियों के साथ अव्यवस्थित रिश्ते का प्रबंधन करना है।

संबंधित तथ्य

- **विदेश नीति के निर्धारक तत्व:** एक देश की विदेश नीति को निर्धारित एवं प्रभावित करने वाले कारक हैं-भू-रणनीतिक अवस्थिति, सैन्य क्षमता, आर्थिक शक्ति एवं सरकार का स्वरूप। दूसरी तरफ विदेश नीति संबंधी निर्णय वैश्विक एवं आंतरिक प्रभावों द्वारा निर्धारित होते हैं।
- **भू-राजनीति:** एकदेश की अवस्थिति एवं भौतिक स्थलाकृति उस राज्य की विदेश नीति पर बेहद महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। प्राकृतिक सीमाओं की उपस्थिति एक देश को सुरक्षा का भाव प्रदान करती है जो शांतिपूर्ण समय में घरेलू विकास पर ध्यान दे सकता है। अधिकतर देशों के लिए द्विपीयता संभव नहीं है, जैसाकि उनकी सीमा से कई देश लगे होते हैं और उनके पास अंतरराष्ट्रीय मामलों से असंलग्न रहने का विकल्प नहीं होता है।
- **सैन्य क्षमता:** मतभेदों में बल प्रयोग अंतिम तौर पर किया जाता है, लेकिन जिस देश के पास भारी एवं सुसज्जित सैन्य बल होता है उसे विश्व स्तर पर अन्य खिलाड़ियों से अधिक सम्मान प्राप्त होता है। इस प्रकार सैन्य क्षमता विदेश नीति निर्णय का एक कारक है। एक सैन्य रूप से सशक्त देश इस दृष्टिकोण से अक्षम देशों की अपेक्षा विश्वासपूर्ण एवं कठोर निर्णय ले सकता है।
- **आर्थिक शक्ति:** आज, पूर्व की अपेक्षा, आर्थिक प्रगति का स्तर एक देश को इसके विदेश नीति निर्णयों में बेहद प्रभावी बनाती है। आज कोई देश बेहद कमजोर अपनी सैन्य क्षमता की वजह से नहीं अपितु आर्थिक कमजोरी के कारण कहा या माना जाता है। अमीर देश सीमा पार भी अपने हित रखते हैं, और अपने राष्ट्र की बेहतरी के लिए उनका संरक्षण करते हैं। इस बात का कोई आशय नहीं है कि जो देश औद्योगिक रूप से अग्रणी है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रभुत्व रखता है, आवश्यक रूप से सैन्य तौर पर भी सशक्त हो (सैन्य शक्ति अधिकांशत: आर्थिक क्षमताओं पर निर्भर करती है)।
- **सरकार का स्वरूप:** सरकार का स्वरूप प्राय: विदेश नीति परद को सीमित करता है जिसमें बल प्रयोग धमकी के लिए प्रयोग किया जाता है या वास्तविक तौर पर किया जाता है, शामिल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जनमत, दबाव समूहों एवं जनसंचार की नीति-निर्माण प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका होती है। लोकतांत्रिक राज्यों में, निर्वाचन व्यवस्था भी विदेश नीति निर्णयों में प्रभाव रखती है, जैसाकि नेता सामान्यतया ऐसे निर्णय लेंगे जिससे लोग उनसे दूर नहीं। एक निरंकुश व्यवस्था में अधिकतर निर्णय शासक के अनुसार होते हैं, वे ऐसी नीतियां बनाते हैं या निर्णय लेते हैं जैसा वे राज्य के हित में सही समझते हैं।
- **आंतरिक बाध्यताएं:** न केवल अंतरराष्ट्रीय घटनाएं अपितु घरेलू घटनाक्रम भी विदेश नीति के स्रोत के तौर पर कार्य करता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब शासकों ने विदेश में घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कठोर एवं सशक्त विदेश नीति संबंधी निर्णय लिए हैं। उदाहरणार्थ, देश में निर्वाचन परिणामों को प्रभावित करने या फिर देश को नाजुक आर्थिक हालत से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसा किया गया है। यह युद्ध का विचलन सिद्धांत है।

संभावित प्रश्न

कोई भी देश अलग-थलग होकर या पूरी तरह आत्मनिर्भर होकर नहीं रह सकता। विभिन्न देशों की विविध प्रकार की जरूरतों की पूर्ति के लिए उनमें पारस्परिक अंतर्निर्भरता उन्हें एक-दूसरे के नजदीक लाती है और इससे सहयोग एवं मतभेद की ताकतों को भी बल मिलता है। इस कथन के संदर्भ में भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए क्या अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

No country can live separately or completely self-reliant. In order to fulfill the various needs of different countries, interpersonal intercourse brings them close to each other and it also gives strength to cooperation and conflict forces. In the context of this statement, what should the necessary steps be taken to make India a better relationship with its neighboring countries? Discuss. *(200 words)*

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक: एक प्रश्न

साभार: द हिन्दू
(3 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक के मुख्य खंडों पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक स्थायी समिति के पास भेजने का लोकसभा का निर्णय बिल्कुल सही है। 2016 में प्रस्तावित इस विधेयक का उद्देश्य मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो चिकित्सीय शिक्षा और इसके अभ्यास को नियंत्रित करता है, में व्याप्त भ्रष्टाचार और अक्षमता की जांच करते हुए इस समस्या को समाप्त करना है। लेकिन इसमें कुछ गुण होने के बावजूद, एनएमसी में इस समस्या को समाप्त करने की शक्ति नहीं दी गयी है, जबकि इसमें ये गुण मौजूद होनी चाहिए थी। इसके लक्ष्यों में से एक लक्ष्य यह भी है कि एमसीआई में शक्तियों के अधिक वितरण के माध्यम से भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना है। इस विधेयक के विरोध में 12 लाख राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर 29 लाख से अधिक डॉक्टर थे, जो "पुल के पाठ्यक्रम" को पूरा करने के बाद एलोपैथी का अभ्यास करने के लिए उन अभ्यासों के वैकल्पिक और पारंपरिक चिकित्सा की अनुमति देने की मांग करते हैं।

एमसीआई के प्रस्तावित उत्तराधिकारी द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र चिकित्सा सलाहकार परिषद के माध्यम से इसे पूरा करने की मांग की गयी है। लेकिन एनएमसी के सभी सदस्य परिषद के सदस्य हैं, जो स्वतंत्रता को कम करते हैं। इस समस्या को और अन्य चिंताओं को निश्चित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। संभवत: सभी का सबसे विवादास्पद प्रावधान यह है जो चिकित्सकों को कोई छोटे पाठ्यक्रम कर के आधुनिक औषधियों को लिखने की अनुमति देता है। यहाँ ये भी किया जा सकता है कि प्रैक्टिशनरों के एक नए कैडर का निर्माण करके ग्रामीण डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकता है।

इसमें विधयेक में कहा गया है कि सभी मेडिकल संस्थाओं में स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए प्रवेश के लिहाज से एक सामान्य राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा होगी। आयोग अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में परीक्षा का संचालन करेगा। आयोग सामान्य काउंसलिंग की नीतियां भी निर्धारित करेगा। इसके तहत स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड और चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड तथा शिष्टाचार और चिकित्सक पंजीकरण बोर्ड का गठन करेगी।

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा बोर्ड का काम पीजी स्तर पर और अति विशिष्ट (सुपर-स्पेशलिटी) स्तर पर मेडिकल शिक्षा के स्तर बनाए रखना और उससे संबंधित पहलुओं की निगरानी करना है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार, उस राज्य में, यदि वहां कोई चिकित्सा परिषद नहीं है तो इस कानून के प्रभाव में आने के तीन वर्ष के भीतर उस राज्य में चिकित्सा परिषद स्थापित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि किसी भी देश में अच्छी स्वास्थ्य देखरेख के लिए मेडिकल शिक्षा का भलीभांति क्रियाशील विधायी ढांचा जरूरी है।

एमबीबीएस डॉक्टरों की कमी आंशिक रूप से इस तथ्य की वजह से है कि उनमें से कई कैरियर की संभावनाओं में सुधार के लिए स्नातकोत्तर की डिग्री चाहते हैं। एमसीआई के नियमों में भी अनुभवी एमबीबीएस डॉक्टरों को शल्यक्रिया और अल्ट्रासाउंड परीक्षण जैसे प्रक्रियाओं से रोकते हैं, जबकि नर्सों को निश्चेतना के उपयोग करने से रोक दिया जाता है। डॉक्टरों और नर्सों को सशक्त करके एक सुधार किया जा सकता है और यह आयुष चिकित्सकों के लिए छोटे पाठ्यक्रम द्वारा भी लागू करना आसान होगा।

फिर भी, एनएमसी विधेयक ने इसे नहीं अपनाया है। स्वास्थ्य देखभाल वितरण को बढ़ावा देने के लिए एक अन्य तरीका ग्रामीण चिकित्सा देखभाल प्रदाताओं के लिए तीन साल का डिप्लोमा है। छत्तीसगढ़ ने डॉक्टरों की कमी से निपटने के लिए 2001 में इस प्रयोग की कोशिश की थी। ऐसे तीन साल के कार्यक्रम के स्नातक से कम से कम की गई जेब में बुनियादी देखभाल प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।

भारतीय मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भारी विरोध और इसके खराब निष्पादन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का यह प्रयोग पटरी से उतर गए, लेकिन यह विचार योग्यता के बिना नहीं था। यह सबूत साक्ष्य पर इन नवाचारों का आधार है। यहाँ बहुत सारे सबूत मौजूद है जो यह बताते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर और नर्स कानूनी तौर पर इन्हें दी जाने वाली छूट से कहीं अधिक सक्षम है, कार्य करने के लिए। लेकिन वैकल्पिक चिकित्सा चिकित्सकों को आधुनिक चिकित्सा में एकीकृत करने के लिए बहुत अधिक विचार करना होगा। सरकार को अधिक महत्वाकांक्षी और संदिग्ध प्रयोगों का प्रयास करने से पहले मौजूदा डॉक्टरों को सशक्त बनाने के लिए अच्छी तरह प्रयास करना चाहिए।

संबंधित तथ्य

विधेयक में वर्णित महत्त्वपूर्ण बिंदु

इस विधेयक के अंतर्गत भारतीय मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 को निरस्त करने तथा ई.एस.आई. चिकित्सकीय शिक्षा प्रणाली को विकसित करने का प्रयास किया गया है जिसके अंतर्गत-

- पर्याप्त एवं उच्च योग्यता वाले मेडिकल प्रोफेशनलों की उपलब्धता,
- मेडिकल प्रोफेशनलों द्वारा नवीनतम मेडिकल अनुसंधानों का उपयोग,
- संस्थानों का नियत समय पर आकलन,
- एक प्रभावी शिकायत प्रणाली की स्थापना की बात कही गई है।

राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन (National Medical Commission)

- विधेयक के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन के गठन की बात कही गई है। विधेयक के पास होने के 3 वर्षों के अंदर राज्य सरकारों द्वारा इस कमीशन का गठन किया जाएगा।
- इस कमीशन के तहत 25 सदस्य शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
- इनका कार्यकाल अधिकतम 4 वर्षों का होगा।

कार्य

- मेडिकल संस्थानों एवं प्रोफेशनलों को विनियमित करने हेतु नीतियाँ बनना।
- स्वास्थ्य सेवा से संबंधित मानव संसाधनों एवं बुनियादी आवश्यकताओं पर ध्यान देना।
- विधेयक के अंतर्गत विनियमित प्राइवेट मेडिकल संस्थानों और मानद विश्वविद्यालयों की अधिकतम सीटों की फीस तय करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करना।

मेडिकल एड्वाइजरी काउन्सिल (Medical Advisory Council)

- इसके अतिरिक्त उक्त विधेयक के अंतर्गत एक मेडिकल एड्वाइजरी काउन्सिल के गठन की भी बात की गई है। चह इस विधेयक का एक बहुत अहम् हिस्सा है।
- इसके माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एन.एम.सी. से संबंधित अपने विचार एवं चिंताओं को साझा किया जाएगा।
- इसके साथ-साथ यह सभी के लिये समान चिकित्सकीय सुविधा सुनिश्चित करने हेतु एक सलाहकारी भूमिका का निर्वाह करेगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के अंतर्गत विविध हितधारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श, क्षेत्रीय परामर्श, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को केंद्रीय परिषद और मंत्रियों के समूह के अनुमोदन की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- इस नीति में वर्ष 2025 तक जन स्वास्थ्य व्यय को उत्तरोत्तर जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकारों से स्वास्थ्य के लिये उनके बजट परिव्यय को बढ़ाने का भी अनुरोध किया गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को लागू करने के लिये एक प्रारूप क्रियान्वयन ढाँचा भी तैयार किया गया है।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय मेडिकल आयोग विधेयक को पुनर्विचार के लिये स्थायी समिति के पास भेजा गया है। हालाँकि, यदि इस विधेयक के संदर्भ में गंभीरता से विचार किया जाए तो यह फैसला सही प्रतीत होता है। इस कथन के सन्दर्भ में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2017 के प्रावधानों का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)

The National Medical Commission Bill has been referred by the Lok Sabha to the Standing Committee for reconsideration. However, if this consideration is seriously considered in the context of this bill, then this decision seems right. In relation to this statement, critically analyze the provisions of the National Medical Commission Bill, 2017. ***(200 words)***

कोरेगांव (पुणे) का संघर्ष

साभार: द हिन्दू
(4 जनवरी, 2018)

प्रबोधन पॉल
(इतिहास के प्रोफेसर, रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-I (इतिहास एवं सामाजिक मुद्दे) से संबंधित है।

पुणे, महाराष्ट्र में भीम कोरेगांव, जो की एक छोटा सा गांव है, अभी अशांति की स्थिति में है, लेकिन यह मराठा इतिहास के एक असाधारण चरण से जुड़ा हुआ है। दो सौ साल पहले, 1 जनवरी, 1818 को ब्रिटिश सरकार के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सौ महार सैनिकों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व वाली सेना को कोरेगांव में बड़े पैमाने पर हराया था। इस लड़ाई के बाद से, दलित इतिहास को ऊंचा कद प्राप्त हुआ। दलित इसे राष्ट्रवाद बनाम साम्राज्यवाद के संकीर्ण लेंस से नहीं देखते हैं। गत वर्षों से इस युद्ध को ब्राह्मणवादी पेशवाओं द्वारा बनाए गए अन्याय के खिलाफ महारों की जीत के रूप में देखा जाता है। हजारों अम्बेडकरवादियों ने 1 जनवरी से भीम कोरेगांव में विजय स्तंभ (विजय स्तंभ) खड़ा किया। इस स्तंभ को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा युद्ध में लड़े हुए लोगों की याद में खड़ा किया गया था और 1818 में महार सैनिकों के नाम शामिल किए गए थे जो अनजाने में पेशवा शासन को समाप्त कर दिये थे।

अतीत और वर्तमान

जीत से प्रेरणा लेने में दलित एकमत हैं। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, भीमा-कोरेगांव रणस्तंभ सेवा संघ (बीकेआरएसएस) का गठन होने के बाद से, दलितों को अपने वीरता की सकारात्मक याद के स्थान के रूप में और उनके नए सिरे से राजनीतिक आकांक्षा का प्रतीक माना जाता है। पेशवाओं की उनकी निंदा सामरिक है; इससे उन्हें समकालीन समय में उनके सामाजिक और राजनीतिक सीमांतता से वर्णन कराता है। यहां पर बहस यह है कि क्या इस तरह के इतिहास को लागू करना एक नए स्तर पर दलित राजनीति को उभरने में कारगर है या नहीं।

युद्ध की 200 वीं वर्षगांठ के दिन क्या हुआ जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई? बी.आर.अंबेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर और महाराष्ट्र के एक प्रमुख दलित नेता ने कहा है कि कुछ हिंदुत्व संगठनों ने भीम कोरेगांव में दलितों के खिलाफ हिंसा की योजना बनाई और चिरस्थायी की। उन्होंने संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे का नाम दिया है, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र के नेता जो सक्रिय रूप से उन संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं और राज्य के विकास में बाधा बनते हैं। ये संगठन धार्मिक और जाति की रेखाओं पर राजनीतिक परिदृश्य का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, खासकर अंबेडकरवादी दलितों के खिलाफ, जिन्हें उनके राजनीतिक प्रोजेक्ट में बाधाओं के रूप में देखा जाता है।

एक हालिया और महत्त्वपूर्ण उदाहरण यह था कि भीम बुद्रुक, एक गांव जो भीम कोरेगांव से दूर नहीं था। वाधू बुद्रुक जहां 1698 में मुगलों द्वारा मार डाले जाने के बाद मराठा शासक शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र संभाजी का अंतिम संस्कार किया गया था। जैसा कि कथा कहलाती है, संभाजी के शरीर को औरंगजेब द्वारा कटवाकर एक नदी में फेंक दिया गया। यह गोविंद महार (गायकवाड़) था, जो की वाडु बुद्रुक का एक दलित निवासी था, जिन्होंने शरीर के अंगों को इकट्ठा किया और अंतिम संस्कारों के लिए व्यवस्था की। कहा गया था कि संभाजी के स्मारक को उस गांव के महारों द्वारा बनाया गया था। नतीजतन, गोविंद महार की मृत्यु के बाद गांव में गोविंद महार की कब्र भी बनाई गई थी।

एक योजनाबद्ध हमले

कुछ दिनों पहले ऊपरी जाति मराठों ने, जो कि संभाजी के अंतिम संस्कार में गोविंद गायकवाड़ और अन्य महारों द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, साइट पर कहानी को वर्णन करनेवाला एक संकेत पर आपत्ति जताई। शिकायतें दोनों पक्षों द्वारा पुलिस के साथ दायर की गई। महाराष्ट्र में मुस्लिम विरोधी हिंदूत्व के ढांचे के भीतर मराठा इतिहास को व्यवस्थित करने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। वास्तव में, यह राज्य में राजनीतिक दाएं विंग के उदय से पूर्व है। मराठा युवा, जो बेरोजगारी और शैक्षिक अवसरों की कमी का सामना कर रहे हैं, वे अब हिंदुत्व संगठनों द्वारा आसानी से इन संघर्षों में खींचे जा रहे हैं, जो की पूर्व मराठा कीर्ति के परिणामस्वरूप गठित होते हैं। भीम कोरेगांव में हिंसक झड़प वाधु बुद्रुक में संघर्ष का विस्तार था। सभी संकेत हैं कि यह एक पूर्व-योजनाबद्ध हमला था।

200 वीं वर्षगांठ होने के बावजूद भी, इस साल भीम कोरेगांव में भीड़ सामान्य से ज्यादा बड़ी थी। कई दलित और बहुजन समूह ने सामूहिक रूप से शनिवार वाडा में एल्गार परिषद के नाम पर एक बड़ा सार्वजनिक सम्मेलन का आयोजन किया, जो 1818 तक पेशवाओं की सीट थी। इस सम्मेलन का एजेंडा जाहिर हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ था जो हिंदुत्व की राजनीति को पेश करके शक्तिशाली ढंग से प्रकट हुआ। नव-पेशवे (नया पेशवा) जिग्नेश मेवानी और प्रकाश अम्बेडकर को आमंत्रित किया गया।

विशेष रूप से गुजरात में उन हिंसा के बाद हिंदुत्व के खिलाफ दलितों के विशिष्ट राजनीतिकरण, उन लोगों के लिए चिंता का कारण है, जो उत्तरार्द्ध का प्रचार करते हैं। एलागर परिषद ने राजनीतिकों के दलितों के खिलाफ अपनी आशंका को मजबूत करने में मदद की। दलितों की नई राजनीतिक अभिव्यक्ति (पेशवेई के साथ हिंदुत्व को समरूप करना) ने दायें विंग वालों को नाराज किया है और दोष रेखा को उजागर किया है।

संबंधित तथ्य

कोरेगांव की लड़ाई

- कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी, 1818 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के पेशवा गुट के बीच, कोरेगांव भीमा में हुई थी।

महारों का महत्व

- कोरेगांव स्तंभ शिलालेख में लड़ाई में मारे गए 49 कंपनी सैनिकों के नाम शामिल हैं। इन 22 नामों को प्रत्यय-एनएसी के साथ समाप्त होता है, जो कि महार जाति के लोगों द्वारा विशेष रूप से उपयोग किया जाता था। ओबिलिस्क भारतीय स्वतंत्रता तक महार रेजिमेंट के शिखर पर चित्रित किया गया था। हालांकि यह ब्रिटिश द्वारा अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, आज यह महारों के स्मारक के रूप में कार्य करता है।
- समकालीन जाति आधारित समाज में महारों को अछूत माना जाता था। पेशवा, जो उच्च जाति के ब्राह्मण थे, अछूतों के दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के लिए कुख्यात थे। इस वजह से, दलित (पूर्व अस्पृश्य), आजादी के बाद, कोरेगांव ओबिलिस्क को उच्च जाति के उत्पीड़न पर अपनी जीत के प्रतीक के रूप में देखा गया

दलित

- गोपाल बाबा वालंगकर (1840-19 00) को आम तौर पर दलित आंदोलन का अग्रणी माना जाता है, जिन्होंने एक ऐसे समाज की मांग की जिसमें उन्हें भेदभाव न किया जाए। यह हरिचंद ठाकुर (1812-1878 के सीईए) के अपने मटुआ संगठन के साथ काम करने के बावजूद है जो बंगाल प्रेसीडेंसी, ब्रिटिश भारत में नमसुदर (चंदला) समुदाय में शामिल था। अम्बेडकर खुद वालंगकर को पूर्वज के रूप में मानते थे। एक और प्रारंभिक सामाजिक सुधारक जो दलितों की स्थिति में सुधार करने के लिए काम करता थे, ज्योतिराव फुले (1827-1890)।
- दलित, जिसका अर्थ है पीड़ित संस्कृत में और टूटा/बिखरे हिंदी में, एक शब्द ज्यादातर भारत में जातियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे अस्पृश्यता के अधीन किया गया है। दलितों को हिंदुत्व की चार गुना वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया था और पांचवां वर्ण बनाने के रूप में देखा गया, जिसे पंचामा के नाम से भी जाना जाता है। दलित अब बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म सहित विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का दावा करते हैं।
- सन 1935 से पहले ब्रिटिश राज जनगणना वर्गीकरण में निम्नवर्ग को भारतीयों द्वारा दलित शब्द के रूप में इस्तेमाल किया गया । इसे अर्थशास्त्री और सुधारक बीआर अम्बेडकर (1891-1956) ने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया और 1970 के दशक में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, जब यह दलित पैंथर्स कार्यकर्ता समूह द्वारा अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जातियों के लिए दलित के आधिकारिक उपयोग को लेबल के रूप में असंवैधानिक मानता है, क्योंकि आधुनिक कानून अनुसूचित जातियों को पसंद करता है; हालांकि, कुछ सूत्रों का कहना है कि दलित ने अनुसूचित जातियों के आधिकारिक शब्द की तुलना में अधिक समुदायों को शामिल किया है और कभी-कभी भारत के सभी पीड़ित लोगों को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

संभावित प्रश्न

'हाल ही में कोरेगांव, अशांति की स्थिति से जूझ रहा है, जिसका कारण कहीं न कहीं वर्तमान के साथ-साथ अतीत की घटनाएं भी रही है।' इस संदर्भ में इसके प्रमुख कारणों की चर्चा करें। (200 शब्द)

"Recently Koregaon is battling unrest, for which events of the past is also responsible along with the current events." In context of this discuss its major reasons. ***(200 words)***

बजट 2018: वित्तीय विवेक की आवश्यकता

साभार: फाइनेंसियल एक्सप्रेस
(5 जनवरी, 2018)

बिरेंद्र कुमार भोई
(संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

''त्वरित सुधार केवल अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं, न कि कई क्षेत्रों में अंतर्निहित संरचनात्मक समस्याओं का समाधान करते हैं।''

दो लगातार झटके अर्थात विमुद्रीकरण और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), के प्रतिकूल प्रभाव अब काफी हद तक कम हो गए हैं। वास्तविक अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 18 की तीसरी तिमाही से एक ठोस वसूली के लिए तैयार है। इसके बावजूद, कई समस्याएं कई मोर्चों पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें बढ़कर 65 डॉलर प्रति बैरल पर बनी हुई हैं, जो कि भारत के भुगतान के संतुलन और साथ ही घरेलू कीमतों के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। वैश्विक ब्याज दर चक्र में बदलाव की वजह से अमेरिका की मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण के बाद आगे की गति बढ़ सकती है।

कई व्यवस्थित-महत्त्वपूर्ण बड़े देशों के संरक्षक रवैये आगे बढ़ने वाले वैश्विक व्यापार की मात्रा में वृद्धि को रोक सकते हैं। घरेलू मोर्चे में, कृषि संकट खराब हो गया है, विशेष रूप से खेती संबंधी उत्पादों की बिक्री के कारण कुल स्तर पर 75% से कम क्षमता उपयोग के साथ निजी निवेश में अभी तक बढ़त हासिल नहीं हो सकी है। सेवा क्षेत्र धीरे-धीरे जीएसटी के झटके से उबर रहा है। सरकार द्वारा घोषित बेलआउट की पहल के बावजूद बैंकिंग क्षेत्र अभी भी व्यापक एनपीए समस्या से ग्रसित है। इसके अलावा, पुनर्पूंजीकरण और रिजॉल्यूशन प्रक्रिया को औद्योगिक पुनर्प्राप्ति को नुकसान पहुंचाए बिना ध्यानपूर्वक संभालना होगा।

इन परिस्थितियों में, वित्त वर्ष 2015 के बजट से अपेक्षाएं काफी उच्च हैं। लोकलुभावन दल कम ब्याज दर, खेत-ऋण छूट, सरकारी खरीद, खाद्य सब्सिडी और वित्तीय उत्तेजना जैसे नरम विकल्प का सुझाव दे रहे हैं। निश्चित रूप से यह त्वरित सुधार, अस्थायी राहत प्रदान कर सकते हैं, लेकिन यह कई क्षेत्रों में अंतर्निहित संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता।

केंद्र मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था को लचीली, आत्मनिर्भर और अधिक उत्पादक बनाने के लिए व्यापक ढांचागत सुधारों का पीछा कर रहा है। आगामी बजट को लोकलुभावन मांगों से विचलित किए बिना इन संरचनात्मक सुधारों को अपने तार्किक अंतराल पर ले जाने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जो आम तौर पर एक चुनावी चक्र के अंत में गति प्राप्त करते हैं।

सरकार ने वित्तीय विवेक पर अपने प्रयासों से अब तक काफी लाभांश प्राप्त किया है। वित्तीय समेकन ने व्यापक आर्थिक मापदंडों को मजबूत किया और निरंतर आधार पर बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया। यदि सरकार, कृषि ऋण माफी, खाद/उर्वरक सब्सिडी आदि पर राजनीतिक दबावों के कारण दब गई है और राजकोषीय समेकन के रास्ते से महत्वपूर्ण रूप से विचलित है, तो मुश्किल से अर्जित मूल्य स्थिरता, मजबूत बाह्य संतुलन और सार्वभौम क्रेडिट रेटिंग में सुधार प्राप्त होगा।

भारत में कृषि संकट की जड़ें गहरी है इसलिए, सावधानीपूर्वक इस पर ध्यान और विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान में किसान लोन माफी को एक हथियार बना कर सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं, जो वैसे भी एक उप इष्टतम समाधान है। ऋण छूट के बजाय, सरकार को जल्दी से कृषि मूल्य-श्रृंखला में बिचौलियों को दूर करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) अभी तक इस मोर्चे पर कोई महत्वपूर्ण खतरा नहीं बना रहा है। ई-एनएएम पहल को पूरे देश में एक युद्धस्तर पर लागू किया जाना चाहिए। साथ ही किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत एक समग्र फसल बीमा योजना शुरू करने पर विचार कर सकती है, ताकि फसल की विफलता और बाजार की विफलता दोनों को कवर किया जा सके जिससे कि संकटग्रस्त बिक्री से किसानों को सुरक्षित किया जा सकेगा। यह लोकप्रिय है, लेकिन लोकलुभावन नहीं।

जीएसटी परिषद द्वारा अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर बजट अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा लिया गया है, जो जीएसटी के तर्कसंगत / ठीक-ठाक होने के लिए जिम्मेदार है। बजट वित्त वर्ष 19 में जल्द ही जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। इसके अलावा, सरकार को जीएसटी प्रशासन को मजबूत करना चाहिए, ताकि इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचा जा सके। व्यापारियों/उत्पादकों द्वारा सामना की जाने वाली प्रक्रियात्मक समस्याओं को बड़े पैमाने पर संबोधित किया गया है।

हालांकि, जीएसटी-सफलता अंततः उपभोक्ता-संरक्षण में निहित है। जीएसटी नियमों को लागू करने और गैर-अनुपालन को रोकने के लिए राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण को भू-स्तरीय नौकरशाही द्वारा समर्थित करना चाहिए। अर्थव्यवस्था का अनौपचारिक क्षेत्र विमुद्रीकरण और जीएसटी के आगमन के कारण सिकुड़ रहा है। विशेष रूप से एसएमई क्षेत्र में छोटे उधारकर्ताओं का काफी बड़ा हिस्सा, जो अनौपचारिक क्षेत्र के आधार पर होते हैं, को औपचारिक क्षेत्र से धन प्राप्त करना मुश्किल लगता है।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) बैंक खाते खोलने में सफल रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की भौतिक उपस्थिति की कमी के कारण बुनियादी बैंकिंग सेवाएं उनके पास उपलब्ध नहीं हो सके हैं। इसके अलावा, कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में उधार गतिविधियों के लिए व्यवसाय पत्राचार मॉडल ठीक से काम नहीं कर पा रहा है।

प्रत्येक 1000 पीएमजेडीवाई खातों के लिए, बिना बैंकों वाले इलाकों में एक बैंक शाखा की जरूरत है, ताकि उन क्षेत्रों में उधार गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। चूंकि सरकार ग्रामीण विकास के लिए बड़ी रकम खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए ग्रामीण

लोग नियमित रूप से आय अर्जित कर पाएंगे। इसलिए, उन्हें लगातार बैंकिंग सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिससे ग्रामीण शाखाएं व्यवहार्य हो सकती हैं।

यदि वाणिज्यिक बैंक इस मौके का लाभ उठाना पसंद नहीं करते हैं, तो नई पीढ़ी के बैंक इस अंतराल को भरने के लिए आगे आ सकते हैं। यह बजट, ग्रामीण शाखाओं को खोलने के लिए एक प्रोत्साहन ढांचा प्रदान कर सकता है जैसा कि बीसी मॉडल के तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान बेकार है। यह एक प्रमुख ढांचागत सुधार हो सकता है जिससे गरीब लोगों को बिना लोकलुभावन के लाभ प्राप्त हो सकेगा।

सेवा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा सीपीआई बास्केट का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और इसलिए सेवाओं की मुद्रास्फीति समग्र सीपीआई सूचकांक में पूरी तरह से कैप्चर नहीं की जाती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजन आदि बहुत महंगा हो गए हैं। जीएसटी की शुरूआत के बाद, ये सेवाएं भी महंगी हो गई हैं।

सरकार को इन सेवाओं के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के तरीकों को बदलना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो उसे नियामक एजेंसियों के माध्यम से इन सेवाओं के मूल्य निर्धारण को विनियमित करना चाहिए। डिजिटलीकरण संरचनात्मक सुधारों का एक अभिन्न अंग है। इससे अनुपालन में सुधार, भ्रष्टाचार की जांच और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

लगातार प्रयास के बावजूद, भारत में डिजिटलीकरण की प्रगति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, अप्रभावित है। वास्तव में, डिजिटलीकरण बढ़ावा, विमुद्रीकरण द्वारा प्रदान किया गया है जो अब धीमी होती जा रही है। मजबूत बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, निर्बाध बिजली आपूर्ति, प्रतिस्पर्धी शुल्क संरचना, डेटा सुरक्षा और सभी डिजिटल साक्षरता के साथ कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए बजट से अपेक्षाएं काफी उच्च हैं।

संबंधित तथ्य

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवम्बर, 2017 में जन उपभोग की बहुत सी वस्तुओं की जी.एस.टी. दरों में भारी कटौती करने के बाद जी.एस.टी. के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (एन.ए.ए.) के गठन को मंजूरी दे दी थी।
- इस प्राधिकरण का उद्देश्य। यह सुनिश्चि त करना है कि जी. एस.टी. दरों में की गई कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक कीमतों में कटौती के माध्यम से पहुँच पाए।

गठन

- इस प्राधिकरण में भारत सरकार के सचिव स्तरीय एक वरिष्ठ अधिकारी तथा केंद्र और राज्यों से चार तकनीकी सदस्यत शामिल होंगे।
- इसके अलावा इसके संस्थागत ढाँचे में एक स्थायी समिति, प्रत्येक राज्य में छानबीन समितियाँ और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) में सेफ गार्ड्स महानिदेशालय को भी शामिल किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- हाल ही में जी.एस.टी. दरों में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन करते हुए 178 वस्तुओं को 28 प्रतिशत की जी.एस.टी. दर की श्रेणी से घटाकर 18 प्रतिशत वाली श्रेणी में शामिल किया गया है। अब केवल 50 वस्तुएँ ही 28 प्रतिशत वाली जी.एस. टी. दरों में शामिल हैं।
- इसी तरह अनेक वस्तुओं में भी जी.एस.टी. की दरों में 18 से 12 प्रतिशत की कटौती की गई है, जबकि कुछ वस्तुओं को जी.एस.टी. से पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है।

कार्यवाही

- प्रथम दृष्टया यदि किसी उपभोक्ता को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे सरकार द्वारा जी.एस.टी. में किये गए संशोधनों का लाभ प्रात नहीं हो रहा है तो वह उस राज्य की स्थायी समिति के समक्ष मामले की विस्तृत जाँच हेतु आवेदन कर सकता है।
- यदि समिति द्वारा उक्त मामले की जाँच में मुनाफाखोरी की बात सामने आती है तो समिति द्वारा मामले की विस्तृत जाँच के लिये सी.बी.ई.सी. [केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.) में सेफ गार्डस महानिदेशालय] को भेजी जा सकती है, जोकि अपनी जाँच रिपोर्ट एन.ए.ए. को भेजेगी।
- यदि एन.ए.ए. यह पुष्टि करता है कि मुनाफाखोरी विरोधी उपायों को लागू करने की आवश्य कता है तो इसे आपूर्तिकर्त्ता/ संबंधित व्यवसाय को वस्तुओं की कीमत घटाने अथवा उपभोक्ता को वस्तुओं या सेवाओं को ब्याज सहित अधिक लाभ पर लौटाने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है।
- यदि उस अतिरिक्त लाभ को उपभोक्ता तक नहीं पहुँचाया जा सकता है तो इसे उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है।
- बहुत गंभीर स्थिति में, न केवल एन.ए.ए. को चूककर्त्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगाने का अधिकार है बल्कि जी.एस.टी. के अंतर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने का भी अधिकार है।

संभावित प्रश्न

'अगले महीने सरकार द्वारा पेश किये जाने वाले बजट से सभी की अपेक्षाएं जुड़ी हुई है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम प्रदान कर सकता है।' इस कथन के संदर्भ में कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

The budget that is offered by the government next month is expected to provide a new dimension to the Indian economy. What steps should the government take to strengthen the weakened economy in the context of this statement? Discuss. ***(200 words)***

एक कानून को सक्षम बनाना

साभार: द हिन्दू
(6 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

सार्वजनिक सुविधाओं के लिए दिव्यांगों को पूर्ण पहुंच सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागतयोग्य है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के अधिकारों के लिए पहल करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक सुविधाएं, जैसे भवनों और परिवहन, को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण पहुंच प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिव्यांग भारत की जनसंख्या का 2.21% है। समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए उनके पास दो दशक तक कानून था, परन्तु विभिन्न सरकारों ने इसे सुनिश्चित करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं किया।

अब, नेत्रहीन दिव्यांग कार्यकर्ता द्वारा दायर एक सार्वजनिक हित याचिका के जवाब में, अदालत ने कई आदेश जारी किए हैं: सभी सरकारी भवनों को जून, 2019 तक दिव्यांगों के अनुरूप सुलभ बनाना होगा; राजधानी में लगभग आधे से अधिक सरकारी भवनों को इस वर्ष दिसंबर तक इसके नियमों को पूर्ण रूप से लागू करना होगा; रेलवे को तीन महीने में (15 दिसंबर से) स्टेशनों पर दिव्यांगों के लिए उपयुक्त सुविधाओं को लागू करने के विषय में एक रिपोर्ट पेश करना होगा; मार्च, 2018 तक सरकारी सार्वजनिक परिवहन का 10% पूरा होना चाहिए; और तीन महीने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए।

सरकार और सेवा प्रदाताओं द्वारा सार्वभौमिक और मानवीय व्यवस्था की दिशा में नीति और अभ्यास चलाने के लिए अदालत के निर्देशों का स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत समय से, नीति निर्माताओं और डिजाइनरों ने विकलांग व्यक्तियों द्वारा केवल विकलांग व्यक्तियों की आकांक्षाओं को अनदेखा कर और कानून के पत्र की अनदेखी के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया है।

एक परिवर्तन के लिए सरकारों को नई प्रौद्योगिकियों की शक्ति का भी इस्तेमाल करना आवश्यक है। जियोलोकेशन एक है और यह सेवाओं के लक्षित प्रावधान को सक्षम बनाता है। उदाहरण के तौर पर, सूचना प्रौद्योगिकी और स्मार्टफोन की सहायता से दिव्यांगों की यात्रा आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए और सुलभ वाहनों का उपयोग करके सस्ती साझा परिवहन प्रदान करना संभव है। स्मार्ट शहरों और अपग्रेड किए गए शहरी सुविधाओं पर जोर देते हुए, ऐसी योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और शुरुआती विचारों को शामिल किया जाना चाहिए।

रेलवे स्टेशनों और गाड़ियों तक पहुँच के सन्दर्भ में आने वाली असुविधाएं न सिर्फ दिव्यांगों को बाधा पहुंचाती है, बल्कि बुजुर्ग यात्रियों को भी परेशान करती है। रेलवे को सभी स्टेशनों को पूर्ववत करने के लिए एक तत्काल कार्यक्रम शुरू करना चाहिए और ट्रेनों या स्टेशनों से बाहर निकलें में मदद करने के लिए पोर्टेबल स्टेप सीढ़ियों जैसे सरल समाधानों का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश स्थानों पर स्तरीय बोर्डिंग संभव नहीं है।

विकलांगता को अभी भी परोपकार करने के अवसर के दृष्टिकोण से ही देखा जाता है। उसे मानवाधिकार या समान अधिकारों की दृष्टि से नहीं देखा जाता। दिव्यांगों को समस्त प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग मानते हुए उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नीति आयोग को चाहिए कि वह गैर-सरकारी संगठनों, शिक्षण संस्थानों, जन संस्थाओं और निजी क्षेत्र को ऐसा विकास एजेंडा तैयार करने को प्रोत्साहित करे, जिसमें दिव्यांग भी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें।

मंत्रालयों को यह समझना होगा कि धारणीय विकास के अन्य लक्ष्यों के लिए जिस प्रकार नोडल मंत्रालय बनाया गया है, उन्हें मात्र सामाजिक न्याय मंत्रालय तक केंद्रित करके पूरे नहीं किए जा सकते। मंत्रालयों को दिव्यांगों के लिए विशेष सेल बनाकर उनकी कठिनाइयों को हल करना होगा। इसी कड़ी में नीति आयोग को भी दिव्यांग केंद्रित सेल बनाना चाहिए, जो अन्य सभी मंत्रालयों में दिव्यांगों के लिए बने सेल के संपर्क में रहे। दिव्यांगों से संबंधित डाटा सही तरीके से एकत्रित और संयोजित किए जाएं। इसमें उन सभी सरकारी कार्यक्रमों के डाटा को सम्मिलित किया जाए, जो जनसंख्या, शिक्षा, गरीबी और भूख से जुड़े हुए हैं।

देखा जाये तो सुविधाओं को सुधारने में लागत बाधा नहीं है; बल्कि जो कम आपूर्ति में बाधा है वह है सार्वजनिक सुविधाओं के डिजाइन को बदलने और इसे कार्यान्वित करने की राजनीतिक इच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1998 में हवाई यात्रा की रियायत मांगने वाले एक याचिका पर कहा था, कि लागत एक विचार था, तो कानून की सच्ची भावना और उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज भारत, जो उस समय से कहीं ज्यादा समृद्ध है और इसने दिव्यांगो के अधिकारों को मजबूत करने के लिए वर्ष 2016 में एक नया कानून पारित भी किया था, इसलिए भारत को इसे लागू करने की प्रबल इच्छा का प्रदर्शन करना चाहिए।

संबंधित तथ्य

सुगम्य भारत अभियान

- 3 दिसम्बर, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किया गया सुगम्य भारत अभियान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का राष्ट्रव्यापी अभियान है।
- इस अभियान का उद्देश्य देशभर में दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित और सुखद वातावरण तैयार करना है।
- यह अभियान विकलांगता के सामाजिक मॉडल के उस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति की सीमाओं और अक्षमताओं के कारण नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के तरीके के कारण विकलांगता है।
- बाधारहित वातावरण से दिव्यांगजनों के लिये सभी गतिविधियों में समान प्रतिभागिता की सुविधा होती है और इससे स्वतंत्र और सम्मानजनक तरीके से जीवन जीने के लिये उन्हें प्रोत्साहन मिलता है।
- इस अभियान में एक समावेशी समाज बनाने का दृष्टिकोण है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों की प्रगति और विकास के लिये समान अवसर उपलब्ध हों ताकि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

कार्ययोजना

- सभी प्रमुख स्टेकहोल्डर्स जैसे स्थानीय जन प्रतिनिधि, राज्यों के सरकारी अधिकारी, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पीडब्ल्यूडी, पुलिस, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट के प्रतिनिधि, पेशेवर लोग जैसे-इंजीनियर, वास्तुविद, रियल स्टेट डेवलेपर्स, न्यायाधीश, छात्र, एनजीओ, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्यों के प्रतिनिधि आदि को संवेदी बनाने के लिए क्षेत्रीय जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किए जाने की योजना।
- सार्वजनिक प्रचार सामग्री जैसे-ब्रॉशर, शैक्षिक बुकलेट, पोस्टर आदि तथा सुगम्यता के मुद्दे पर वीडियो का सृजन तथा प्रसार।
- सुगम्यता स्थानों के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करने के लिए जनसमूह एकत्र करने के मंच के सृजन हेतु, 'मोबाइल एप' सहित पोर्टल का सृजन, रैम्पस, सुगम्य टॉयलेट तथा सुगम्य रैम्पस आदि सृजन हेतु प्रस्तावों की मंजूरी के लिए जानकारी प्रदान करना तथा सुगम्य भवनों तथा परिवहन के सृजन हेतु सीएसआर संसाधनों को चौनेलाइज्ड करना।
- देशभर में निकटवर्ती सुगम्य स्थानों का पता करने के लिए, अंग्रेजी हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना।

निर्धारित लक्ष्य

- अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी तथा राज्यों के राजधानियों के सभी सरकारी भवनों के 50% को जुलाई, 2018 तक नि:शक्तजनों के लिए सुगम बनाना।
- देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा ए1,ए तथा बी श्रेणी के स्टेशनों को जुलाई, 2016 तक नि:शक्तजनों के लिए सुगम बनाना।
- मार्च, 2018 तक देश में सरकारी क्षेत्र के परिवहन वाहनों को नि:शक्तजनों के लिए सुगम बनाना।
- यह सुनिश्चित करना कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले सार्वजनिक दस्तावेजों का कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा नि:शक्तजनों के लिए पहुंच मानकों को पूरा करें।

दिव्यांग सारथी मोबाइल एप

प्रमुख विशेषताएँ

- यह एप सुगम्य भारत अभियान के आईसीटी घटक का एक हिस्सा है।
- यह मोबाइल एप दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिये प्रेरित करेगा, ताकि उन्हें आसान और सुविधाजनक सूचना मिल सके।
- इस एप से उन्हें एक बटन दबाकर योजनाओं, छात्रवृत्तियों, प्रणाली से संबंधित संस्थागत सहायता और अन्य महत्त्वपूर्ण प्रासंगिक जानकारियाँ प्राप्त हो सकेंगी।

उद्देश्य क्या है?

- इस मोबाइल एप का उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से संबंधित विभिन्न उपयोगी जानकारियों जैसे विभिन्न नियमों, दिशा-निर्देशों, योजनाओं, रोजगार संबंधी अवसरों के बारे में दिव्यांगजनों को सरल प्रारूप में जानकारियाँ उपलब्ध कराना है।
- 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं, जो कुल जनसंख्या के 2.2 प्रतिशत से अधिक हैं।
- इस मोबाइल एप को यूनिवर्सल एक्सेस के यूएनसीआरपीडी के सिद्धांतों और दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया गया है।
- इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि सभी जानकारियाँ एक सरल प्रारूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

ऑडियो नोट्स भी हैं इसमें

- इस मोबाइल एप की मुख्य विशेषता इसके ऑडियो नोट्स हैं, जो लिखित जानकारी को ऑडियो फाइल में परिवर्तित करते हैं और साथ ही उपयोगकर्त्ता की आवश्यकता के अनुसार फॉन्ट का आकार भी बदल सकते हैं।
- इस मोबाइल एप को हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अनुरूप तैयार किया गया है।
- इसे किसी भी एंड्रॉयड स्मार्ट फोन के जरिये डाउनलोड किया जा सकता है, जो गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध रहेगा।
- जिसके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वह भी इसे इस्तेमाल कर सकता है।

संभावित प्रश्न

आजादी के बाद से अब तक कई सरकारें दिव्यांगों की कठिनाइयों और उनके अधिकारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए कई नीतियों का निर्माण करती आई है, लेकिन इन्हें अपने अधिकारों का वास्तविक लाभ अब तक नहीं मिल पाया है।" इस सन्दर्भ में हाल ही में आया सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस समस्या के निदान हेतु कितना कारगर साबित होगा? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

"Since independence, so many governments have been creating many policies keeping in view the importance of the difficulties of the people and their rights. But it is difficult to say how long it will take to get the real benefit of their rights. "How will the order of the Supreme Court in relation to this statement prove to be effective for the diagnosis of this problem? Discuss. ***(200 words)***

मानवाधिकार के लिए आवाज उठाना

साभार: द हिन्दू
(8 जनवरी, 2018)

अश्विनी कुमार (वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट और पूर्व केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्री)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

यातना विरोधी कानून को अपनाने के लिए भारत को जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना होगा।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो जीटरस ने नव वर्ष के संदेश में, एक वैश्विक चुनौती के रूप में दुनिया भर में मानवाधिकारों के व्यापक और बड़े पैमाने पर अवरोध का उल्लेख किया था, जो एक मानवीय और वैश्विक व्यवस्था के बारे में हमारी दृष्टि को चुनौती देता है। निश्चित रूप से यह संदेश हमारे लिए प्रासंगिक है।

इसका कारण यह है कि विभिन्न देशों में हिरासत में कैदियों को वीभत्स रूप से यातना दी जाती है जो मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में शर्मनाक है, साथ ही यह हमारे प्रशासन पर भी प्रश्न उठाती है। जैसा कि भारत देश के अंतिम उद्देश्य के रूप में, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि की है कि एक आंतरिक मूल्य, अपने आप में संवैधानिक रूप से संरक्षित है (पुट्टस्वामी, 2017, एम. नागराज, 2006)।

चिंता का कारण: जैसा कि हम अपने बेहतर भविष्य की कामना के साथ नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, हमें मानव जाति पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने की दिशा में अपने दृष्टिकोण में बदलाव करने की जरूरत हैं, क्योंकि वर्तमान में हम विधायी सुस्ती और न्यायिक अधित्याग के बीच खड़े है। इस आलेख में लेखक ने अपने एक बुरे अनुभव का जिक्र करते हुए बताया है कि उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा, जब एक जनहित याचिका के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण और व्यापक यातना विरोधी कानून की आवश्यकता पर आगे बढ़ने की कोशिश की थी।

जिसके बाद उच्चतम न्यायालय में जाने की आवश्यकता का निर्माण हुआ, क्योंकि भारत, वर्ष 1997 में यातना के खिलाफ कन्वेंशन के प्रति हस्ताक्षरकर्ता बनने के कुछ सालों बाद भी, इसे अब तक अनुमोदन या संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित सम्मान के साथ जीवन के अधिकार को लागू करने के लिए एक घरेलू कानून तैयार नहीं कर पाया हैं। विशाखा (1997), डी.के. बसु (1997), विनीत नारायण (1997), एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (2002), स्वामी अच्युतानंद तीर्थ (2016) और द ट्रिपल तालक (2017) जैसे न्यायिक मामलों के उदहारण के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आवश्यक यातना विरोधी कानून को लाने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया।

हिरासत में यातना, संवैधानिक अध्यादेश को चुनौती और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यातना की परिभाषा अर्थात यह यह मानवीय गरिमा का नग्न उल्लंघन है की अवहेलना करता है (डी.के. बसु, 1997)। पुट्टस्वामी (सुप्रा) के हालिया संविधान खंडपीठ के फैसले ने अपने पहले फैसलों का हवाला देते हुए फिर से पुष्टि की है कि मानवीय गरिमा पर यातना एक उल्लंघन है जो मानवीय अस्तित्व से अपरिहार्य और अविभाज्य है।

विधायी और सरकारी निष्क्रियता के चेहरे में गैर-वार्तालाप योग्यता को लागू करने के लिए अपने विस्तृत समीक्षा अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए न्यायालय की अनिच्छा समझने योग्य है और संवैधानिक अधिकारों की प्रथा को लागू करने पर अदालत की सक्रियता को प्रहरी के रूप में दिया गया है।

और यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा समर्थित राज्यसभा की चयनित समिति की 2010 की सिफारिश तथा भारतीय कानून आयोग और संयुक्त राष्ट्र सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा में भारत सरकार की ओर से दिए गए दोहराए गए आश्वासन के बावजूद है। जिन्हें बाहरी देशों में आपराधिक परीक्षण और प्रत्यार्पण कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है जैसे अबू सलेम, किम डेवी, जगतार सिंह जौल आदि, ने हिरासत में यातना के खिलाफ एक प्रभावी कानून के अभाव में देश की खोजी और आपराधिक न्याय प्रणाली पर सवाल उठाया हैं।

राष्ट्र की मुकदमेबाजी प्रक्रिया और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता पर झुकाव भी अदालत को अपने 'विचार-विमर्श' अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह उच्चतम संवैधानिक न्यायालय से अपेक्षा करता है कि वह कानून को प्रेरित करे जो मानव अधिकारों के नैतिकता को साबित करे जैसा कि उसने अतीत में इतनी बार किया है। इसके फैसले के विपरीत, एक याचिका में, जो यातना के खिलाफ व्यापक कानूनी ढांचे की मांग करता है।

प्रधानमंत्री को निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि जब अपने नागरिकों की एक बड़ी संख्या की गरिमा को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एक कमजोर राष्ट्र अपने अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के मुकाबले दुनिया के एक बड़े न्यायालय क्षेत्रों के संबंध में अपनी आवाज सुनने की उम्मीद नहीं कर सकता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष एम. वेंकैया नायडू, का मानना हैं कि मानवाधिकार एनडीए का हिस्सा होने के कारण गारंटीकृत है।

अटार्नी जनरल का भी इसी तरह यातना के खिलाफ प्रस्तावित गणमान्य कानूनों का समर्थन करना एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। हमें अपने संवैधानिक कार्यकर्ताओं के लिए 2018 में उत्तरदायित्व का उच्च स्तर सेट करने का प्रयास करना चाहिए। विशेषाधिकार प्राप्त सांसदों को लोगों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए इस पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और एक मानवीय कानून के मार्ग को सुनिश्चित करना चाहिए।

संबंधित तथ्य

अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

- वर्ष 1997 में भारत ने यातना के खिलाफ यू.एन. कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किये थे। हालाँकि, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है।
- इस कन्वेंशन के अंतर्गत यातना को एक दण्डित अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यह कन्वेंशन राज्यों को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी क्षेत्र में यातना को रोकने के लिये प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर बल देता है, साथ ही यह ऐसे लोगों को जिनके संबंध में यह विश्वास है कि जहाँ भी जाएंगे ऐसी ही समस्या उत्पन्न करेंगे, को किसी भी देश में परिवहन के लिये प्रतिबंधित भी करता है।

इस संबंध में भारतीय प्रयास

- भारत में इस संबंध में एक विधेयक अर्थात यातना निवारण विधेयक को प्रस्तावित किया गया, लेकिन 6 मई, 2010 को लोकसभा द्वारा पारित होने के 6 साल बाद भी इस विधेयक के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

यातना निवारण विधेयक (Prevention of Torture Bill), 2010

- यातना निवारण विधेयक के अंतर्गत यातना को एक दंडनीय अपराध माना गया है। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह स्पष्ट किया गया है कि यह विधेयक वर्ष 1975 के अत्याचार के खिलाफ यू.एन. कन्वेंशन की पुष्टि के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- यह विधेयक सरकारी अधिकारियों द्वारा किये गए अत्याचार के लिये सजा की व्यवस्था करता है।
- विधेयक के अंतर्गत यातना को गंभीर चोट या जीवन, अंग और स्वास्थ्य के खतरे के रूप में परिभाषित किया गया है।
- यातना के संदर्भ में छह महीने के भीतर शिकायत दर्ज कराई जानी चाहिये। न्यायालय द्वारा किसी भी शिकायत के संबंध में कार्यवाही करने से पहले उपयुक्त सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक होगा।

भारत के लिये इस कन्वेंशन को अनुमोदित करने की क्या आवश्यकता है?

- सर्वोच्च न्यायालय के सुधार: इस कन्वेंशन के अनुमोदन न करने से उत्पीड़न के कई मामलों के दोषियों का अन्य देशों से भारत में प्रत्यर्पण कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस प्रकार, यदि भारत इसे अनुमोदित कर देता है तो उत्पीड़न के दोषियों का प्रत्यर्पण आसान हो जाएगा एवं आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाएगा जो भारत के लिये हितकर होगा।
- पुरुलिया हथियार मामले के आरोपी किम डेवी का प्रत्यर्पण करवाने में भारत सफल नहीं हो सका, केवल इस संदेह के आधार पर ही भारत में इसके साथ बुरा व्यवहार हो सकता है।
- भारत में हिरासत में हिंसा, दुर्व्यवहार एवं उत्पीड़न की व्यापक प्रवृत्ति को देखते हुए मौजूदा विधायी ढाँचा और प्रशासनिक क्षमता अपर्याप्त हैं।
- इसके अनुमोदन से भारत की हिंसा एवं अत्याचारों के खिलाफ प्रतिरोध की अपनी छवि को मजबूती मिलेगी।

GS World
Committed To Excellence

संभावित प्रश्न

सरकार मानव जाति में अत्याचार और अन्य क्रूर कृत्यों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को मंजूरी देने के लिए कानून आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रही है। भारत में एक यातना विरोधी कानून की आवश्यकता क्यों है? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

The government is considering the recommendations of the law commission to ratify the UN Convention against Torture and other cruel activities among human beings. Why there is need for an anti-torture law in India? Discuss. ***(200 words)***

इलेक्टोरल बांड सर्वोत्तम उपाय नहीं

साभार: लाइव मिंट 09 जनवरी, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

विनियामक ढांचे को सुधारे बिना राजनीतिक दलों के वित्त मामलों में अधिक पारदर्शिता नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि दान के साधनों को केवल बदल देने से ही जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है।

भारत में प्रभावी चुनावी वित्त सुधार लाने के लिए एक स्पष्ट कार्यवाही के साथ राजनीतिक स्वीकृति की भी आवश्यकता है। पिछले वर्ष केंद्रीय बजट में की गयी घोषणा के प्रभाव को सीमित या खराब मानी जा सकती हैं। पिछले हफ्ते वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चुनावी बांड की व्यवस्था से देश में राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा सुधार होगा और सरकार इस दिशा में किसी भी नए सुझाव पर विचार के लिए पूरी तरह से तैयार है।

पिछले साल, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनावी वित्त के सन्दर्भ में कई आश्चर्यजनक आंकड़ो को पेश किया था। 2004-05 और 2014-15 के बीच, राजनीतिक दलों की कुल आय का 69% अज्ञात स्रोतों से था। हालांकि, यह कोई नयी समस्या नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण की संथानम समिति ने 1964 में राजनीति में काले धन का मुद्दा उठाया था। कई समितियों और कमीशनों द्वारा चुनावी वित्त मुद्दे को संबोधित किया जाता रहा है। लेकिन उनकी सिफारिशें सबका ध्यान आकर्षित कर पाने में विफल रही हैं।

दुनिया भर में चुनावी वित्त सुधार ने दो उद्देश्यों को संतुलित करने का प्रयास किया है अर्थात प्रणाली से काले धन को दूर करने, टेबल के निचे से लेन देंन को खत्म करने और पारदर्शिता को बढ़ाने में, ताकि नागरिक यह जान सके कि धन कहाँ से आ रहा है और कहां जा रहा है।

रीफोर्मिंग इंडियाज पार्टी फाइनेंसिंग एंड इलेक्शन इक्स्पेंडिचर लॉ (चुनाव कानून जर्नल, 2012) में, एमवी राजीव गौड़ा और ई. श्रीधरन ने तर्क दिया है कि यह (इलेक्टोरल बांड) ये उद्देश्य भारत में असंगत हैं। कंपनियों को वर्तमान सरकार और साथ ही साथ विपक्षी दलों के साथ भी अच्छे रिश्ते बना कर रखने पड़ते है। यदि धन के नियमों में पारदर्शिता लागू होती है तो वे गुप्त साधनों का सहारा लेंगे।

वर्ष 1985 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कॉरपोरेट दान पर इंदिरा गांधी के 1968 के प्रतिबंधों को हटा लिया था, जिसके बाद राजनीति में काला धन का नेटवर्क शुरु हो गया था। इसने चुनावी धन में पारदर्शिता लाने में कुछ भी नहीं किया।

अब सवाल उठता है कि जब दानकर्ता का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा तो फिर बॉन्ड्स का मकसद क्या है? इस सवाल पर जेटली ने कहा कि दानकर्ताओं की बैलेंस शीट में बॉन्ड्स की जानकारी दर्ज रहेगी। उन्होंने आगे कहा, मैं सभी गलतफहमियों को दूर करना चाहता हूं। मैंने बजट के भाषण में घोषणा की थी कि चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाने की जरूरत है। राजनीतिक पार्टियों को मिल रहे बड़े डोनेशन का स्रोत नहीं पता होता है इसलिए चुनावी बॉन्ड्स इस सिस्टम को साफ-सुथरा बनाएगा। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि ये चुनावी बॉन्ड्स उन्हीं पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिए जा सकेंगे, जिनको पिछले चुनाव में कम से कम एक फीसदी वोट मिला हो। श्री जेटली ने कहा कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों में ज्यादातर चंदा नकदी में मिलता है और इसमें पारदर्शिता न के बराबर होती है, लेकिन चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था से काफी हद तक पारदर्शिता आएगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत का कोई भी नागरिक या संस्था ये बॉन्ड्स खरीदने के योग्य होगी। कॉर्पोरेट दानदाताओं के लिए नाम का उजागर नहीं होना काफी महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दलों के खाते अपारदर्शी रहते हैं।

पिछले साल केंद्रीय बजट में इस मोर्चे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। न ही किसी भी पार्टी ने इस संदर्भ में कोई दिलचस्पी दिखाई। वर्ष 2013 में केंद्रीय सूचना आयोग ने यह घोषित किया छह राष्ट्रीय दल सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे के भीतर है। जिसके बाद सभी पार्टियां इसके खिलाफ जाने के उद्देश्य से एकजुट हो गयी। पार्टी के खातों को स्वयं पार्टियों द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा जांच की जाती हैं और नियमों के मुताबिक चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त हुए दान का लेखा-जोखा और आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा तय की जाती है, लेकिन अक्सर इसका उल्लंघन किया जाता है।

वर्ष 2016 में एक और सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेश की थी, जो चुनावों के राज्य के वित्त पोषण, पार्टी पारदर्शिता के महत्व को रेखांकित करता है। राज्य के वित्तपोषण के संदर्भ में कई देशों में एक प्रमाणित कानून है, जिसने दशकों में कॉर्पोरेट दान से उत्पन्न संक्रमण के निर्माण को कम किया है। हालांकि, उन देशों अर्थात जर्मनी, जापान, कनाडा, स्वीडन, में जहां यह सफल रही है वहां इसे पार्टी आय और व्यय के लेखा-परीक्षा और प्रकटीकरण के संबंध में सख्त, अच्छी तरह से लागू विनियामक ढांचे के साथ लागू किया गया है। ऐसे ढांचे के अभाव में, भारत में राज्य निधि एक गैर स्टार्टर है, जैसा कि कानून आयोग की रिपोर्ट (1999) और वेंकटचलैया समिति रिपोर्ट (2002) ने दर्शाया है।

मोदी सरकार ने चुनावी वित्त के मुद्दे को उठाया है। लेकिन यदि इनकी सरकार इस प्रणाली को साफ करने के बारे में सच में गंभीर है, तो इन्हें राजनीतिक दलों की जवाबदेही को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। इसने अपनी इच्छा और भ्रष्टाचार से लड़ने की क्षमता पर शासन करने का दावा पेश किया है। इस साल आठ राज्यों में चुनाव होने है और अगले साल आम चुनाव भी होने है, इसलिए अगर अन्य पक्षों द्वारा भी इस तरह के पहलों का समर्थन किया जाता हैं तो, सकारात्मक रूप से चुनावी लाभ प्राप्त किया जा सकता हैं।

हालांकि, इलेक्टोरल बांड व्यवस्था के जरिए मोदी सरकार राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाना चाहती है। साथ ही काले धन पर लगाम भी लगाना है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि बांड केवल एक विकल्प है। बाकी रास्ते पहले की तरह ही खुले होंगे। मतलब, एक व्यक्ति की ओर से ज्यादा से ज्यादा दो हजार रुपये के नकद देने और चेक या डिजिटल माध्यमों से चंदा देने का रास्ता पहले की ही तरह जारी रहेगा।

संबंधित तथ्य

चुनावी बॉण्ड

- चुनावी बॉण्ड केवल अधिसूचित बैंकों द्वारा ही जारी किये जा सकेंगे।
- ये बॉण्ड कुछ विशिष्ट मूल्य वर्ग (Specified Denomination) में ही होंगे।
- बॉण्ड को किसी भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल को ही दिया जा सकेगा जिसे वे अपने अकाउंट के माध्यम से मुद्रा में रूपांतरित कर पाएंगे।
- यह बॉण्ड मूलत: एक बीयरर बॉण्ड (Bearer Bond) के रूप में होगा।
- यह एक ऋण सुरक्षा है। चुनावी बॉन्ड का जिक्र सर्वप्रथम वर्ष 2017 के आम बजट में किया गया था।
- दरअसल, यह कहा गया था कि आरबीआई एक प्रकार का बॉन्ड जारी करेगा और जो भी व्यक्ति राजनीतिक पार्टियों को दान देना चाहता है, वह पहले बैंक से बॉन्ड खरीदेगा फिर वह जिस भी राजनैतिक दल को दान देना चाहता है, दान के रूप में बॉन्ड दे सकता है।
- राजनैतिक दल इन चुनावी बॉन्ड की बिक्री अधिकृत बैंक को करेंगे और वैधता अवधि के दौरान राजनैतिक दलों के बैंक खातों में बॉन्ड के खरीद के अनुपात में राशि जमा करा दी जाएगी।
- गौरतलब है कि चुनाव बॉन्ड एक प्रामिसरी नोट की तरह होगा, जिस पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि चुनाव बॉन्डट को चौक या ई-भुगतान के जरिये ही खरीदा जा सकता है।

संबंधित चिंताएँ

- कालेधन और भ्रष्टाचार की जड़ समझे जाने वाले राजनीतिक दलों के चंदे में नकदी की सीमा 20 हजार से घटाकर दो हजार करना व चुनाव बांड जारी करना निश्चित रूप से एक महत्त्वपूर्ण सुधार है, लेकिन इससे कुछ चिंताएँ भी जुड़ी हुई हैं। सरकार की योजना ये है कि जो भी व्यक्ति किसी पार्टी को वैध तरीके से अर्जित पैसा देना चाहे वो बैंक जाकर उतनी रकम का चुनावी बांड खरीद लेगा। दरअसल, होगा यह कि-

1) इस चुनावी बांड पर न खरीदने वाले का नाम होगा, न ही उस दल का जिसे बांड दिया जाएगा।
2) राजनैतिक दलों को यह नहीं बताना पड़ेगा कि उन्हें किस व्यक्ति और कंपनी से दान मिला है।
3) राजनैतिक दलों को ये भी नहीं बताना पड़ेगा कि उसे कुल कितनी रकम के बांड मिले हैं।

- सरकार इन संशोधनों के माध्यम से चुनाव में पारदर्शिता लाने की बात कर रही है, लेकिन बॉण्ड से चंदा दिये जाने के कारण काले धन के प्रयोग को और अधिक बल मिल सकता है, जिससे स्पष्ट तौर पर पारदर्शिता बाधित होगी।

चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए अन्य उपाय?

- राजनीतिक दलों के लिये नकद योगदान पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिये। गौरतलब है कि नकद रूप में 2000 रुपए से कम चंदा स्वीकार करना अभी भी कानूनी है। अत: नकदी की व्यवस्था खत्म कर देने से न केवल 2,000 रुपए की नकदी सीमा के दुरुपयोग को रोकने में सहायता मिलेगी बल्कि इससे डिजिटल इंडिया के प्रचलन को भी धक्का नहीं लगेगा।
- पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी.एस. कृष्णमूर्ति ने सुझाव दिया है कि चुनाव आयोग को बॉण्ड जारी करने की बजाय अवैध ध न के उपयोग की रोकथाम के लिये एक राष्ट्रीय चुनाव निधि स्थापित करने पर विचार करना चाहिये। इस निधि को दान करने वाले सभी कॉर्पोरेट को 100% कर छूट मिल सकती है। 1998 में इंद्रजीत गुप्त समिति के द्वारा भी कुछ इसी प्रकार का सुझाव दिया गया था जिसमें सबके लिये राज्य के द्वारा ही वित्त पोषण करने का प्रस्ताव दिया गया था।
- सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक अधिकारियों के रूप में सभी राजनीतिक दलों को लाना, जिससे चुनाव वित्तपोषण प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

संभावित प्रश्न

चुनावी वित्तीयन का विषय सिर्फ चुनावों के संदर्भ में ही नहीं बल्कि समूची प्रजातांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारण करने वाला विषय है। निर्वाचन प्रणाली में पारदर्शिता लाने के संदर्भ में इलेक्टोरल बांड का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (200 शब्द)

The subject of electoral financing is not only in the context of elections but also the subject of etermining the nature of the whole democratic system. Critically analyze the electoral bonds in the context of introducing transparency in the electoral system. (200 words)

धारा 377 : अपराध और सहमति

(10 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2013 के सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन मामले में दो जजों की बेंच के उस फैसले पर दोबारा विचार करने पर सहमति जता दी जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है। इस मुद्दे पर अंग्रेजी समाचार पत्रों में इंडियन एक्सप्रेस एवं द हिन्दू में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

'इंडियन एक्सप्रेस' का सार

धारा 377 की संवैधानिकता पर पुनर्विचार करने में सुप्रीम कोर्ट को यह अवश्य ध्यान देना चाहिए कि दो वयस्कों की सहमति के बीच आपराधिक कानून का कोई स्थान नहीं है।

धारा 377 की संवैधानिकता को एक बड़े बेंच को संदर्भित करने का उच्चतम न्यायालय के आदेश का महत्व एलजीबीटी (lesbian, gay, bisexual and transgender) अधिकारों से परे है। वर्तमान बहस ने लैंगिकता के मामलों में कई कानूनों के वैधीकरण और हमारे कानूनी प्रणाली में आपराधिक कानून की वैध भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है। परिणाम के मध्य में यौन मामलों में सहमति और गोपनीयता की भूमिका होती है, चाहे वह विषम या समान-लिंग संबंध हो। यही धारा 377 की संवैधानिकता को सभी लिंगों से संबंधित मानवाधिकारों का मुद्दा बनाती है।

यह सब सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन मामले के साथ शुरु हुआ जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने तर्क दिया था कि धारा 377 असहनीय है, यह मुख्य रूप से इस तर्क पर आधारित है कि यह व्यक्तिगत रूप से सहमति वाले वयस्कों के बीच यौन क्रिया को अपराध मानता है और निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। तब से, यह सांप और सीढ़ी का एक खेल बन कर रह गया है। कौशल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेहनत से जीती जीत को पलट दिया था। तब से, एक उपचारात्मक याचिका का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए किया जाने लगा और एक बड़े बेंच को भेजा गया है जो अब तक लंबित है।

निजता के मामले में एक नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने कौशल पर टिप्पणी की और पाया कि निजता का मौलिक अधिकार एक बार स्थापित होने पर असल में कौशल को संदिग्ध बना देगा। इस हफ्ते, धारा 377 को समाप्त करने की ओर कुछ और कदम उठाए गए हैं। इस अनुभाग को चुनौती देने वाली एक याचिका को एक बड़े बेंच के समक्ष भेजा गया है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि घड़ी की सुई अब हमारे आपराधिक कानूनों से अनुभाग के उन्मूलन पर टिक गया है।

लेकिन कौशल मामले में निजता को गौरव का स्थान देने में हमारी विफलता सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी। धारा 377 को अप्राकृतिक सेक्स पर आधारित है। वर्ष 2012 के बाद से, ओरल सेक्स और एनल सेक्स को अप्राकृतिक नहीं माना जाता है।

पोस्को (POCSO) पर विचार किया जाये, जो बच्चों के खिलाफ यौन अपराध से सम्बंधित है। यह कानून न सिर्फ लैंगिक तटस्थता के यौन उत्पीड़न का है, बल्कि यह धारा 377 के तहत कवर किए गए कृत्यों सहित यौन उत्पीड़न को भी परिभाषित करता है। इस प्रकार, कानून जो एक नाबालिग पर लागू होता है, वह लिंग तटस्थ है और यौन उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

वयस्कता प्राप्त करने पर, हालांकि, उसी व्यक्ति को लैंगिक-विशिष्ट बलात्कार कानून का सामना करना पड़ेगा, जो अब एनल सेक्स और ओरल सेक्स को महिलाओं के लिए अप्राकृतिक नहीं मानता है लेकिन पुरुषों के लिए यह अब भी लागू है। वर्ष 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप और हत्या की घटना के बाद, आईपीसी में संशोधन किया गया था और बिना सहमति के एनल सेक्स और ओरल सेक्स बलात्कार के रूप में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि सहमति के साथ, ये कृत्य अब विषमलैंगिक वयस्कों के बीच अपराध नहीं हैं।

फिर भी, इन कृत्यों को धारा 377 के तहत एक अपराध माना जाता है। कानून में यह असमानता यौन मामलों में सहमति की भूमिका में समझ की कमी और अपनी स्वयं की यौन पहचान को परिभाषित करने के अधिकार के नकार से पता लगा सकती है। हांलाकि, इसका कोई मतलब नहीं बनता है और यहां निजता का अधिकार सामने आता है, जो सहमति के यौन कृत्यों की सुरक्षा करता है, अब भारत के पुट्टस्वामी बनाम यूनियन द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है।

भारतीय कानून लैंगिकता, सहमति और जेंडर से सम्बंधित मामले में हमेशा दुविधा में रहा है। अब आईपीसी में बलात्कार की परिभाषा पर विचार करते हैं। एक पति 15 वर्ष से ऊपर की पत्नी के साथ बलात्कार का दोषी नहीं होता है, जबकि 18 साल से कम उम्र के किसी महिला के साथ यौन संबंध एक अपराध है। नाबालिग पत्नी के साथ यौन-संबंध हानिकारक होने के बवाजूद, विवाह पत्नी की सहमति के कारण एक व्यक्ति को अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।

'द हिन्दू' का सार

सुप्रीम कोर्ट के पास अपने 2013 ऑर्डर को समलैंगिक यौन शोषण पर पुनर्विचार करने का एक अवसर है।

ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 2013 में समलैंगिक व्यक्तियों के साथ न्यायिक गलती को ठीक करने का समय आ गया है, जब सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की वैधता को बरकरार रखा है, जो समलैंगिक यौन संबंधों का अपराध मानता है। सुरेश कुमार कौशल मामले में दोषपूर्ण फैसले पर पुनर्विचार की जाने की संभावना अब बढ़ गयी है।

हालांकि यह मामला पूर्व के फैसले के खिलाफ एक याचिकात्मक याचिका के माध्यम से संविधान खंडपीठ के समक्ष पहले से ही है, लेकिन यह नवीनतम आदेश धारा 377 को चुनौती देने वाली एक नई याचिका पर है। यह नौ-न्यायपीठ के फैसले में निजता के दायरे के मामले में अवलोकन से सामने आया है।

जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में कहा गया है कि समानता मांग करता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के यौन अभिविन्यास को भी एक समान मंच पर संरक्षित किया जाना चाहिए। निजता का अधिकार और यौन अभिविन्यास की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के मूल में है।

खंडपीठ ने इस संबंध में अच्छे से अध्ययन किया है। इनका यह मानना है कि सामाजिक नैतिकता उम्र दर उम्र बदलती रहती है अर्थात नैतिकता, जो सार्वजनिक रूप से प्रचलित है, जरूरी नहीं कि उसे संविधान भी माने, और यह भी कि यदि किसी के लिए कुछ स्वाभाविक है तो यह जरूरी नहीं कि यह किसी अन्य के लिए भी स्वाभाविक हो।

विदित हो कि वर्ष 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सहमति से बनाये गए समलैंगिक संबंधों को इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के पति और उसकी नाबालिग पत्नी के बीच यौन संबंध एक अपराध है और उन्हें अभियोजन पक्ष से छूट नहीं दी जा सकती है। यहां पर भी चिंता का विषय पत्नी की स्वास्थ्य और सुरक्षा से ही संबंधित थी, जो पति का अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के अधिकार को नकारता है। लेकिन फिर भी एक पति अपनी पत्नी के साथ बलात्कार का कभी दोषी नहीं होता है, भले ही वह उसकी सहमति या बिना उसकी सहमति के यौन संबंध रखता हो। उसकी सहमति अप्रासंगिक है। विवाह का तथ्य उसे अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इन मामलों में कानून द्वारा सहमति को नाकारा गया है।

व्यभिचार के मामले की बात की जाये तो यह एक अपराध है जिसके लिए एक पति उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला कर सकता है जो उसकी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध रखता है। उसकी सहमति अप्रासंगिक है। हम एक समाज के रूप में भ्रमित हैं कि हम क्यों केवल कुछ व्यवहारों को ही अपराध मानते हैं और अन्य इसी प्रकार के दूसरे व्यवहारों को नहीं, विशेष रूप से जब बात सेक्स, समलैंगिक या विषमलैंगिक की आती है। वयस्कों के लिए (नाबालिगों के लिए नहीं), महत्वपूर्ण विभाजन रेखा सहमति होना चाहिए और जेंडर नहीं। इसलिए यौन व्यवहार, जब सहमति से हो, तो फिर इसकी निन्दा नहीं की जा सकती या इसे अपराध नहीं माना जा सकता।

अदालत, धारा 377 की संवैधानिकता से निपटने के दौरान, वैवाहिक बलात्कार की छूट और व्यभिचार का नियम इस सिद्धांत पर अपने फैसले को साबित कर सकता है कि वयस्कों को लैंगिक मामले में निर्णय लेने योग्य स्वायत्तता प्राप्त हो, जब तक कि वे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सामाजिक दोष और अपराध के बीच की विभाजन रेखा को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए।

एक न्यायिक याचिका को सामान्य न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के सीमित आधार पर ही अनुमति दी जाती है और परिस्थितियों में न्यायाधीशों की ओर से संभावित पूर्वाग्रह का सुझाव दिया जाता है। इसके विपरीत, नवीनतम याचिका ने व्यक्तियों के अधिकार के सभी आयामों पर एक व्यापक सुनवाई के तरीके को अपने यौन अभिविन्यास की पुष्टि करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

इस मामले में अदालत को खुद को निजता के मुद्दे पर सीमित नहीं करना चाहिए, लेकिन लैंगिक अभिविन्यास के आधार पर धारा 377 में निहित भेदभाव को निश्चित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।

धारा 377 से संबंधित तथ्य

- यह आईपीसी की धारा 377 के अप्राकृतिक (अननैचुरल) यौन संबंध को गैरकानूनी ठहराता है।
- इस धारा के तहत स्त्री या पुरुष के साथ अननैचुरल संबंध बनाने पर दस साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
- सहमति से 2 पुरुषों, स्त्रियों और समलैंगिकों के बीच सेक्स भी इसके दायरे में आता है।
- धारा 377 के तहत अपराध गैर जमानती है।
- यह अपराध संजेय अपराध की श्रेणी में आता है और गैरजमानती है।
- इस अपराध में गिरफ्तारी के लिए वॉरंट की जरूरत नहीं होती
- 1862 में यह कानून लागू हुआ था।

चर्चा में क्यों?

- समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 377 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट फिर परखेगा। कोर्ट इस कानून को सही ठहराने वाले अपने सुरेश कुमार कौशल के फैसले पर चार साल बाद पुनर्विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दो वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंधों को व्यक्ति की यौन रुझान की व्यक्तिगत पसंद और निजता के अधिकार से तुलना करते हुए मामले पर दोबारा विचार का मन बनाया है। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को संवैधानिक मुद्दा मानते हुए बड़ी पीठ को भेज दिया है।

क्या कहा न्यायालय ने?

- मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने याचिका पर बहस सुनने के बाद मामला बड़ी पीठ को भेज दिया। कोर्ट ने याचिका के प्रति केन्द्र सरकार को देने का आदेश दिया है, ताकि वह इस मामले में पक्ष रख सके।
- इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील अरविन्द दत्तार ने मौलिक अधिकार की दुहाई देते हुए कानून को चुनौती दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि धारा 377 की परिभाषा में प्रयुक्त शब्दों में प्रकृति के विरुद्ध यौनाचार की बात कही गई है। लेकिन प्रकृति की अनुकूलता के बारे में हमेशा एक सी अवधारणा नहीं होती।
- सामाजिक नैतिकता भी समय के साथ बदलती रहती है। कानून जीवन के साथ सामंजस्य रखता है और इसीलिए उसमें बदलाव होते रहते हैं। हो सकता है कि जनता जिसे नैतिकता मानती हो, संविधान में उसे न सोचा गया है।

मामले की पृष्ठभूमि

- दरअसल, आईपीसी की धारा 377 'अप्राकृतिक यौन सम्बन्धों' और 'समलैंगिकता' को परिभाषित करती है और ऐसे संबंध बनाने वालों को आजीवन कारावास तक की सजा दिये जाने की बात करती है।
- विदित हो कि वर्ष 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि सहमति से बनाये गए समलैंगिक संबंधों को इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जा सकता।
- लेकिन दिसंबर, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए दोबारा इस धारा को इसके मूल स्वरुप में ला दिया। इसके बाद से ही इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग उठती रही है।

क्या है नैतिकता का मुद्दा?

- समलैंगिकता को वैध बनाने के विचार से असहमति रखने वाले लोग यह तर्क देते हैं कि यह समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। हालाँकि इसके पक्ष में तर्क देने वालों का मानना है कि नैतिकता, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं बन सकती।
- दरअसल, किसी कृत्य के वैधानिक तौर पर गलत होने का निहितार्थ यह है कि वह नैतिक तौर पर भी गलत है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि जो नैतिक तौर पर गलत है वह वैधानिकता की दृष्टि से भी गलत हो। नैतिक तौर पर गलत कृत्य तभी वैधानिक तौर पर गलत हो सकता है, जब यह समाज को प्रभावित करता हो।

संभावित प्रश्न

एलजीबीटी (lesbian, gay, bisexual, and transgender) समुदाय के समक्ष कौन-कौन सी चुनौतियाँ है? क्या समलैंगिक संबंधों को डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाना चाहिए? भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और संविधान के अनुच्छेद 21 के विशेष संदर्भ के साथ समझाइये। **(250 शब्द)**

What are the challenges facing the LGBT community (lesbian, gay, bisexual, and transgender)? Should gay relations be decriminalized? Explain with section 377 of Indian Penal Code and special reference to Article 21 of the Constitution. ***(250 words)***

GS World की नई प्रस्तुति 'दो लेखों का सार एक साथ'...

ट्रम्प सरकार एच-1 बी वीजा नियमों पर

(11 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने कहा कि हम ऐसे किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रहे हैं जिसके कारण हजारों की संख्या में अमेरिका में स्थायी निवास के लिए आवेदन करने और वर्षों से काम कर रहे एच-1 बी वीजा धारकों को देश छोड़कर जाना पड़े। इस मुद्दे पर अंग्रेजी समाचार पत्रों में 'द हिन्दू' एवं 'फर्स्ट पोस्ट' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

'फर्स्ट पोस्ट' का सार

यह एच -1 बी वीजा विनियमन में प्रस्तावित परिवर्तन पर तीन भाग की श्रृंखला में दूसरा है जिसका सापेक्ष असर भारत के आईटी उद्योग, इसके कर्मचारियों और अपतटीय परियोजनाओं के भविष्य पर पड़ेगा। इस श्रृंखला के भाग -2 में, आईटी क्षेत्र के विश्लेषकों ने कई उपायों की रूपरेखा तैयार की है जहाँ भारतीय आईटी क्षेत्र एच -1 बी के वीजा परिवर्तनों को स्पष्ट करते हुए अन्य देशों के नियमों में भी बदलाव करने के विकल्प का चुनाव कर सकता है।

कम से कम कुछ राहत देते हुए डोनाल्ड ट्रम्प सरकार अपने प्रस्तावित एच-1 बी वीजा नियमों पर पीछे हुए है। अमेरिकी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि ट्रम्प प्रशासन किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है जो एच-1 बी वीजा धारकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर करेगी।

अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) द्वारा की गई घोषणा इस रिपोर्ट के बाद सामने आई जिसमें यह कहा गया था कि ट्रम्प प्रशासन एच-1 बी के वीजा नियमों को और अधिक कठिन बनाने पर विचार कर रहा है, जिसका सीधा असर अमेरिका में काम कर रहे 7,50,000 भारतीयों पर पड़ेगा। साथ ही इस रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि वह एच -1 बी धारकों के लिए विस्तार समाप्त करने का विचार कर रहा था।

लेकिन, "यूएसआईसीएस की तरफ से एसी-21 की धारा 104 (सी) जो विदेशी नागरिक को एच1बी वीजा पर छह साल से ज्यादा रहने की इजाजत देता है उसमें किसी तरह के बदलाव पर विचार नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा था तो फिर भी इस बदलाव के बाद एच1बी वीजाधारकों को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर नहीं होना पड़ता, क्योंकि नियोक्ता की तरफ से एसी21 की धारा 106 (ए)-(बी) के तहत एक साल बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है।ष यह छह साल की सीमा से अधिक एच -1 बी वीजा की समय सीमा प्रदान कर सकता है।

अमेरिका में भारत की सबसे बड़ी आईटी उपस्थिति :

अधिकांश भारतीय आईटी दिग्गज अमेरिका से अपनी सर्वोच्च आय अर्जित करते हैं। इसलिए न केवल भारतीय आईटी क्षेत्र के हित में एच -1 बी के वीजा के मुद्दे को सुलझाना आवश्यक है, बल्कि अमेरिकी तकनीक उद्योग के अस्तित्व के लिए भी यह बेहद आवश्यक है।

अब प्रश्न यह उठता है कि ट्रम्प सरकार के हालिया कदम से क्या भारतीय आईटी पेशेवरों और अमेरिकी कंपनियों के डर को दूर किया जा सकता है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपने 'सनकी' प्रकृति के लिए जाने जाते रहे हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर अगला 'आश्चर्य' क्या होगा।

2017 में 247,927 वीजा आवेदनों के साथ अमेरिकी आईटी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी उपस्थिति है। जहाँ चीन 36,362 और कनाडा में 3,551 आवेदनों के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर स्थित है। तो अगर अमेरिका में 70 फीसदी से ज्यादा भारतीय आईटी पेशेवरों को घर वापस भेज दिया जाता है, तो क्या अमेरिका के पास उनके स्थान पर इतने प्रतिभा वाले कर्मचारी मौजूद हैं? यहां तक कि अगर अमेरिका अपनी खुद की घर की प्रतिभा से प्रतिस्थापित करने का फैसला करता है, तो भारतीय पेशेवरों के स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, इस तथ्य पर भी उन्हें विचार करना चाहिए।

भारतीय आईटी क्या कर सकता है?

यहाँ एक और सवाल उठता कि भारतीय आईटी कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए?

'द हिन्दू' का सार

संयुक्त राज्य अमेरिका के एच -1 बी वीजा ने दशकों से भारत के लिए तनाव का कारण रहा है। इससे संबंधित नवीनतम मामला डराने वाला था क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का प्रशासन नए नियमों पर विचार कर रहा था जो ग्रीन कार्ड का इंतजार करने वाले लोगो को वीजा के विस्तार को प्रतिबंधित करेगा।

ट्रम्प प्रशासन एच-1 बी के वीजा नियमों को और अधिक कठिन बनाने पर विचार कर रहा था, जिसका सीधा असर अमेरिका में काम कर रहे 7,50,000 भारतीयों पर पड़ता। 65,000 एच -1 बी नियमित कैप वीजा और 20,000 एच -1 बी एडवांस्ड डिग्री वीजा प्रत्येक वर्ष भारतीय नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं, जो अब कई अमेरिकी तकनीक उद्योग की रीढ़ बन चुके हैं।

अतीत में, यहां तक कि ओबामा प्रशासन के दौरान, द्विदलीय व्यापक आप्रवासन सुधार योजना ने एच -1 बी वीजा के लिए योग्यता की स्थिति को कठिन बनाने के लिए कहा था। हाल ही में 2017 में, एचबी -1 बी वीजा पर बंद करने के लिए नए प्रस्तावों को गठबंधन करते हुए अमेरिकी कांग्रेस में चार बिल पेश किए गए थे। लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ।

हांलाकि, एच-1 बी वीजा समस्या का जड़ स्पष्ट अंतहीन चक्र से जुड़ा हुआ है अर्थात इस वीजा को अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक गैर-आप्रवासी प्रवेश टिकट रूप में डिजाइन किया गया था, लेकिन समय के साथ यह स्थायी निवास और नागरिकता के लिए एक आभासी मार्ग में बदल गया, खासकर भारतीय नागरिकों के मामले में।

इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इनमें से ज्यादातर कर्मी मुख्य रूप से आईटी, वित्त, लेखा और एसईईएम विषयों जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते है, यू.एस. श्रम शक्ति में एक वास्तविक शून्य को भरते हैं।

यहाँ व्यावसायिक मॉडल में फेरबदल के द्वारा बदलाव लाने का सुझाव दिया गया हैं जिसमें कृत्रिम बुद्धि, बादल, विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है। विदेशों में लोगों को भेजने के बजाय इन्हें इन वितरण मॉडल का उपयोग करना चाहिए। इस चुनौती के साथ बैठक का एक और तरीका अमेरिका में अधिग्रहण की तलाश करेगा और इससे अमेरिकी नागरिक कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी। विदेशों में भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को भर्ती नहीं करके स्थानीय भर्ती को बढ़ावा दिया जा सकता है जैसा कि प्रमुख अमेरिकी कंपनियां भारत में कर रही हैं। उदाहरण के लिए, गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, हेवलेट पैकार्ड, क्वालकॉम में कई अन्य कंपनियां भारत में संचालन कर रही हैं। भारत में हमारे पास सबसे अच्छी तकनीक प्रतिभा है, इसलिए भारत को खुद के लोगो पर अब ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भारतीय आईटी पेशेवर सोने के समान हैं जिसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया हैं। यह उपलब्धि कई सालों और दशकों से किये जा रहे परीक्षण के बाद मिली है।

रोजगार के अवसरों की कमी एक वास्तविकता है, जिसका मुख्य कारण राजनीतिक है। पश्चिम में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों की कमी की वास्तविकता पर विचार करना काफी महत्वपूर्ण है। यह वक्त है कि अमेरिका एच-1 बी वीजा नियमों के संबंध में विचार करने का है और भारतीय आईटी क्षेत्र के लिए पश्चिम से लोगों को काम पर रखने के अवसरों के बारे में सोचना होगा, ताकि विदेशों में जीत की स्थिति हासिल हो सके।

यह न केवल भारतीय तकनीक कंपनियों, जिनके कर्मचारियों को एच -1 बी वीजा प्रदान किया गया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, अमेजॅन, फेसबुक और क्वालकॉम जैसी सिलिकॉन वैली के दिग्गज कंपनियों की बेहतर कर्मचारियों की कमियों को पूरा करते हैं।

भारतीय नीति निर्माता, जो इस सूक्ष्म सच्चाई के बारे में जागरूक हो गये हैं, को शांति से उन प्रयासों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना अधिक हो और अमेरिकी राष्ट्रपति के शासकीय आदेश "बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन" जैसे नारे पर हर समय प्रतिक्रिया देने से बचना होगा।

Revenue by geography in July-September 2017 quarter

Region/country	Infosys	TCS	Wipro	HCL Tech	Tech Mahindra
North America	60.6%	51.9%	53.6%*	62.4%*	45.3%*
Europe	23.2%	27.4%	25.1%	29.1%	30.0%
India	3.3%	6.3%	9.9%	-	-
Rest of world	12.9%	14.4%	11.4%	8.5%	24.7%

[illegible]

संबंधित तथ्य

क्या है एच -1बी वीजा ?

- एच-1बी वीजा एक गैर-प्रवासी वीजा है। यह किसी कर्मचारी को अमेरिका में छह साल काम करने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में कार्यरत कंपनियों को यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को रखने के लिए दिया जाता है जिनकी अमेरिका में कमी हो। इस वीजा के लिए कुछ शर्ते भी हैं। जैसे इसे पाने वाले व्यक्ति को स्नातक होने के साथ किसी एक क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल होनी चाहिए।
- साथ ही इसे पाने वाले कर्मचारी की सैलरी कम से कम 60 हजार डॉलर यानी करीब 40 लाख रुपए सालाना होना जरूरी है। इस वीजा की एक खासियत भी है कि यह अन्य देशों के लोगों के लिए अमेरिका में बसने का रास्ता भी आसान कर देता है, एच-1बी वीजा धारक पांच साल के बाद स्थायी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- एच-1बी वीजा वस्तुत: गैर-अप्रवासी वीजा है। गैर-अप्रवासी वीजा धारक ही एक निश्चित समय के लिए अमेरिका में अस्थायी तौर पर निवास कर सकते हैं। एच-1बी वीजा 3-3 वर्ष की अवधि के लिए अधिकतम 6 वर्ष तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। कुछ विशेष मामलों में, अधिकतम 6 वर्ष की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।
- एच-1बी वीजा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल टीसीएस, विप्रो, इंफोसिस और टेक महिंद्रा जैसी 50 से ज्यादा भारतीय आईटी कंपनियों के अलावा माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां भी करती हैं।

चर्चा में क्यों?

- एच-1बी वीजा को लेकर ट्रंप सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एच-1बी वीजा के नियमों में कोई बदलाव न किये जाने का एलान किया है। ज्ञातव्य हो कि ट्रम्प सरकार द्वारा संभावित एच-1बी वीजा के नियमों में बदलाव की खबरों से अमेरिका में रहने वाली भारतीय लोगों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब ट्रम्प सरकार के इस बड़े फैसले से अमेरिका में रहने वाली भारतीय लोगों को बड़ी राहत मिली है।

वीजा के विरोध की वजह?

- अमेरिका में पिछले कई सालों से इस वीजा को लेकर लोग कड़ा विरोध करते आ रहे हैं। उनका मानना है कि कंपनियां इस वीजा का गलत तरह से इस्तेमाल करती हैं। उनकी शिकायत है कि यह वीजा ऐसे कुशल कर्मचारियों को जारी किया जाना चाहिए जो अमेरिका में मौजूद नहीं हैं, लेकिन कंपनियां इसका इस्तेमाल आम कर्मचारियों को रखने के लिए कर रही हैं। इन लोगों का आरोप है कि कंपनियां एच-1बी वीजा का इस्तेमाल कर अमेरिकियों की जगह कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारियों को रख लेती हैं।
- ओबामा सरकार ने पहले 2010 में और उसके बाद 2016 में एच-1बी वीजा की फीस में भारी बढ़ोतरी की थी। बीते साल जनवरी में इस फीस को 2000 से बढ़ाकर 6000 डॉलर कर दिया गया था। इस पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी।

क्यों बरती गयी नरमी?

- इस संबंध में प्रस्ताव का मसौदा अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग तैयार कर रहा था, लेकिन कई अमेरिकी सांसदों ने इसे मानवीय आधार पर असंवेदनशील करार दिया और कहा कि इस तरह के सख्त नियम थोपने से एच-1बी वीजा धारकों के परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ेगा और दुनिया भर में अमेरिका की छवि खराब होगी सो अलग से।
- दूसरी ओर इस पहल का यह तर्क देकर भी विरोध किया जा रहा था कि इससे भारत-अमेरिका के रिश्ते प्रभावित होंगे। भारत भी अमेरिका से कई बार अपील कर चुका था कि वह एच-1बी वीजा की अवधि बढ़ाने पर रोक से बचे।
- अब चूंकि ट्रंप प्रशासन ने एजेंसी अधिनियम एसी21 की धारा 104सी में कोई बदलाव नहीं करने को फैसला कर लिया है, ऐसे में अब वीजा की अवधि को सहजता से छह साल की सीमा से ज्यादा विस्तार दिया जा सकता है।
- गौरतलब है कि निवास की अवधि तीन वर्ष है जिसे छः वर्षों तक विस्तारित किया जा सकता है। एच-1बी इमीग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 101 (ए) 15 (एच) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गैर-आप्रवासी वीजा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है।

भारतीयों का नुकसान :

- ध्यान रखना होगा कि एच-1बी वीजा अवधि बढ़ाने पर रोक से सर्वाधिक नुकसान भारतीयों पेशेवरों का होता। इसलिए कि अमेरिका में जितने भी विदेशी पेशेवरों को एच-1बी वीजा दिया जाता है उनमें 90 प्रतिशत भारतीय होते हैं।

अमेरिका के वर्तमान कानून के अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्ष में अधिकतम 65 हजार विदेशियों को ही एच-1 बी वीजा जारी किए जाते हैं। हालांकि इसके अलावा विश्वविद्यालयों और गैर-लाभकारी अनुसंधान संस्थाओं में कार्य करने वाले सभी एच-1बी गैर-प्रवासी इस सीमा से बाहर रखे गए हैं। बहरहाल ट्रंप प्रशासन की नरमी से भारतीय पेशेवरों को राहत तो मिली ही है।

सम्भावित प्रश्न

हाल ही में एच-1बी वीजा काफी चर्चा का विषय रहा है। एच-1बी वीजा का अर्थ स्पष्ट करते हुए यह बताइए कि अमेरिका का इस सन्दर्भ में लिए गये निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत-अमेरिका संबंधो पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Recently, H-1B visa have been the subject of considerable discussion. Explaining the meaning of the H-1B visa, tell us how the decisions taken by the US in this context will affect the Indian economy and Indo-US relations. Discuss. (250 Words)

GS World की नई प्रस्तुति 'दो लेखों का सार एक साथ'...

सुरक्षा संबंधी प्रश्न

(12 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

''हाल ही में आधार से निजी जानकारियां लीक होने की बहस के बीच भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने वर्चुअल आईडी लाने का ऐलान किया है। आधार कार्ड रखने वाला कोई भी शख्स इसे यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर बना यानी जेनरेट कर सकता है और इसका इस्तेमाल सिम वेरिफिकेशन जैसे तमाम कामों के लिए कर सकता है।'' इस मुद्दें पर अंग्रेजी समाचार-पत्र 'इंडियन एक्सप्रेस' एवं 'पॉयनियर' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''इंडियन एक्सप्रेस''

''एक वैध प्रमाणन प्रणाली को सार्वभौमिक रूप से विश्वसनीय होना चाहिए। वर्चुअल आईडी के साथ, यूआईडीएआई ने उस दिशा में एक कदम उठाया है।''

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए नष्ट कर दी जाने वाली आईडी (disposable IDs), प्रमाणीकरण टोकन और पंक्तिबद्ध केवाईसी आवश्यकताओं को शुरू करते हुए डाटा सुरक्षा और गोपनीयता के समर्थन में एक ठोस कदम उठाया है। ये तार्किक उपाय हैं, क्योंकि प्रदाताओं को केवल एक व्यक्ति के खिलाफ प्रमाणित संख्या की आवश्यकता होती है। उसके बाद उसे दूसरी बार भी स्टोर करने की कोई जरूरत नहीं है।

दशकों तक इस सिद्धांत का अन्य सेवाओं में पालन किया गया। उदाहरण के लिए, ईमेल प्रदाता अपने उपयोगकर्ताओं के पासवर्ड को नहीं जानते, क्योंकि वे प्लेन टेक्स्ट में सर्वर पर संग्रहीत नहीं होते हैं। वे हेक्साडेसिमल हैश के रूप में संग्रहीत किए जाते हैं, जो एक लॉगिन के दौरान क्रिप्टोग्रा. फिक रूप से पासवर्ड के मुकाबले तुलना किए जाते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि यह व्यापक सिद्धांत, जिसके लगभग सभी सेवाओं में लॉगिन की आवश्यकता होती है, यूआईडीएआई में पहले लागू नहीं किया गया था।

हालांकि आधार का उद्देश्य पूरी तरह से उचित है, लेकिन इसके कार्यान्वयन ने सार्वभौमिक विश्वास अर्जित नहीं किया है। कई सेवाओं के दु:खद अस्वीकारों के बावजूद इसका डिजाइन किया गया था, लेकिन लीक के बाद अब दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आंकड़ों की सुरक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है।

पहली समस्या अदालतों द्वारा जांच की जा रही है। और वर्चुअल आईडी यूआईडीएआई का यह पहला प्रयास है, दूसरे को संबोधित करने के लिए। नंदन नीलेकणी द्वारा इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था, लेकिन इसके प्रमोटरों ने इसके साथ जुड़ने के बजाय इस तर्क पर ज्यादा समय बर्बाद किया कि आधार एक अभेद्य डेटा संरक्षण प्रणाली है। एक अखबार की कहानी पर यूआईडीएआई की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि मैसेंजर को लक्षित करते हुए आधार संख्या प्राप्त करना कितना आसान है। सिर्फ दो महीने पहले, सरकार ने एक हलफनामा में दावा किया था कि आधार पूरी तरह से सुरक्षित है।

यहाँ घमंड साफ तौर पर देखा जा सकता है और आधार के पीछे तकनीकी विशेषज्ञ भी इस तथ्य से रुबरु है। निश्चित रूप से सिस्टम कई रणनीतियों द्वारा सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी इसमें बुलेटप्रूफ सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं है। सभी प्रणालियन एक सक्षम, कल्पनाशील और निर्धारित हमलावर के प्रति कमजोर हैं, भले ही उसे कितना भी ध्यानपूर्वक सुरक्षित किया गया हो। यहाँ एक निश्चित निवारक, कानूनी है और सौभाग्य से गोपनीयता कानून ने खामियों को दूर किया है।

और तथ्य यह है कि डेटा के बड़े खजाने, चाहे वह इक्विफैक्स हो या आधार, को दुनिया में लक्षित किया जा रहा हैं जहां डेटा एक नए सोने के समान है। पंक्तिबद्ध अनावरण और वर्चुअल आईडी अब वास्तविक आधार संख्या के जोखिम को कम कर देंगे, हालांकि उन्हें पहले ही बड़ी मात्रा में साझा किया जाना चाहिए। अब, यूआईडीएआई ने सार्वभौमिक विश्वास की मांग करने के लिए एक कदम उठाया है, जो एक वैध प्रमाण न प्रणाली का आधार है।

''पॉयनियर''

''यूआईडीएआई के वर्चुअल आईडी पहल द्वारा आधार के आस-पास व्याप्त गोपनीयता से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जा सकता है।''

आधार डाटा के संभावित आंकड़ों के उल्लंघन और रिसाव की समस्या का निदान के सन्दर्भ में, भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने वर्चुअल आईडी के जरिये गोपनीयता से जुड़े समस्याओं का निदान करने की कोशिश की है। आधार जानकारी की दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यानों में से एक है और मीडिया ने लगातार इसपर दबदबा कायम रखा है। यह नई आईडी आपके बैंक कार्ड पर ओटीपी की तरह ही काम करती है, जहाँ सुरक्षा में ताक-झाँक उतना ही संभव है, जितना सेवा प्रदाता को जानने की अनुमति मिलती है और यह वास्तविक संख्या वाला कोड नहीं जो हर नागरिक के जीवन शैली के संग्रह को प्रकट करेगा।

आधार सीडिंग और लिंक करने की समस्या यह है कि यह प्रत्येक व्यक्ति के डेटा संग्रह को एकजुट करता है और एक सामाजिक और आर्थिक पहचान डाटा को फिर से संगठित करता है जिसका गलत उपयोग आक्रामक विपणक और शक्तिशाली निगमों द्वारा किया जा सकता है। हांलाकि, वर्चुअल आईडी और सीमित केवाईसी का उपयोग पहला है, हमें बस यह सुनिश्चित करना होगा कि डेटा पूरी तरह से सुरक्षित हो। गोपनीयता संरक्षण का यह मतलब नहीं होता कि डेटा को एकत्रित, संग्रहीत या उपयोग नहीं किया जा सकता।

यहां तक कि पहले चरण के फिल्टर के साथ-साथ, बहुत सारे पुराने डेटा अभी भी एक सेट-अप में फ्लोटिंग हो सकते हैं जो कमजोरियों के साथ प्रचलित हैं और कोई संहिताबद्ध विनिर्देश नहीं है। निजता का अधिकार विद्रोही दावे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इसे व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में देखा जाना चाहिए।

सरकार को आधार के सन्दर्भ में जनता के धारणा की यह तानाशाही और गरीबों के लिए एक दमनकारी उपकरण है, को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इस बात की खबरें हैं कि कैसे अस्पतालों में आधार नहीं होने कारण मरीजों का इलाज नहीं किया जाता हैं। यूआईडीएआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समावेशन के विचार का अर्थ यह नहीं हुआ कि उन लोगों का साथ छोड़ दिया जाये जो अभी भी जीवन के बुनियादी मानकों से बाहर हैं।

पृष्ठभूमि-

- आधार का आरम्भ इस उद्देश्य से किया गया था कि प्रत्येक भारतीय को एक विशेष पहचान संख्या दे दी जाए, जिसकी मदद से सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले लाभों का एक समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
- इस योजना के तहत भारत सरकार एक ऐसा पहचान पत्र देती है जिसमें 12 अंकों का एक विशेष नंबर दिया जाता है। अब किसी व्यक्ति के बारे में अधिकांश बातें 12 अंकों वाले एक कार्ड के जरिये प्राप्त की सकती हैं। जिसमें उसका नाम, पता, उम्र, जन्म तिथि, उसके उँगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट और आँखों की स्कैनिंग तक शामिल है।
- आधार योजना को यूपीए सरकार ने पहले बिना किसी कानूनी संरक्षण के ही जारी कर दिया था। हालाँकि बाद में सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और वर्ष 2010 के दिसम्बर महीने में 'आधार' को कानूनी आधार देने के उद्देश्य से एक साधारण विधेयक लाया गया।
- संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में आधार को लेकर अहम् चिंताएँ व्यक्त कीं और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किये गए। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अनिवार्य किये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि सरकार की कुछ ही योजनाओं में आधार की अनिवार्यता बनी रहनी चाहिये।
- वर्ष 2014 में सत्ता में आते ही एनडीए सरकार ने आधार को हर मर्ज की दवा समझ लिया और धीरे-धीरे सभी योजनाओं में आधार अनिवार्य करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। हालाँकि इस संबंध में न्यायालय के आदेशों का जमकर उल्लंघन भी हुआ। बाद में आधार को संसद में धन-विधेयक के तौर पर पेश कर दिया गया। वर्तमान में आधार की वैधानिकता को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

वास्तविक समस्याएँ

- आधार को लेकर एक आम धारणा यह है कि केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (CIDR) जहाँ कि निजी सूचनाएँ एकत्र कर रखी जाती हैं, एक ऐसा स्थान है जहाँ से जानकारियाँ साझा नहीं की जाती हैं। जबकि आधार अधिनियम 2016 में सीआईडीआर की जानकरियों को साझा ही करने के लिये कुछ प्रावधान बनाए गए हैं।
- आधार से जुड़ी हुई जो दूसरी और सबसे बड़ी समस्या है उसे समझने के लिये पहले हमें यह जानना होगा कि आधार के तहत कैसी सूचनाएँ एकत्रित की जा रही हैं।
- दरअसल, आधार के तहत तीन तरह की सूचनाएँ जुटाई जा रही हैं-बायोमेट्रिक जानकारियाँ, पहचान संबंधी जानकारियाँ और व्यक्तिगत जानकारियाँ।
- बायोमेट्रिक जानकारियाँ वे जानकारियाँ हैं, जिनमें किसी व्यक्ति के उँगलियों के निशान यानी फिंगरप्रिंट, आँखों की स्कैनिंग यानी आयरिश और उसके फोटोग्राफ आदि शामिल हैं।
- पहचान संबंधी जानकारियाँ में व्यक्ति के आधार नंबर से जुड़ी तमाम स्थान विशेष की जानकारियाँ हैं जैसे- व्यक्ति का नाम क्या है, वह कहाँ रहता है, उसका जन्म कब हुआ, उसका फोन नंबर क्या है इत्यादि।
- जो तीसरे प्रकार की जानकारी है उसे लेकर सर्वाधिक चिंता व्यक्त की जा रही है। 'व्यक्तिगत जानकारी' शब्द का आधार अधिनियम में प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन यह व्यापक अर्थों वाला है।

क्या है वर्चुअल आइडी?

- कोई भी आधार कार्डधारक कितनी भी वर्चुअल आइडी खुद से बना सकता है।
- नई वर्चुअल आईडी बनाते समय पुराना वाला अपने आप ही रद्द हो जाएगा।
- यह वर्चुअल आईडी 16 डिजिट की एक संख्या होगी।
- इस वर्चुअल आईडी से मोबाइल कंपनी या किसी दूसरी एजेंसी को उपभोक्ता का नाम, पता और फोटो मिल जाएगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए काफी है।
- वर्चुअल आईडी किसी भी शख्स की आधार संख्या पर आधारित होगी
- इसे 1 मार्च, 2018 से स्वीकार किया जाने लगेगा। वेरिफिकेशन के लिए आधार का इस्तेमाल करने वाली सभी एजेंसियों के लिए वर्चुअल आईडी मंजूर करना 1 जून, 2018 से अनिवार्य हो जाएगा।
- इसका पालन नहीं करने वाली एजेंसियों को कार्रवाई का सामना करना होगा।

लिमिटिड KYC की भी शुरुआत

- एक टेलीकॉम कंपनी के मुताबिक, वर्चुअल आईडी के अलावा इसके अलावा प्राधिकरण ने सीमित KYC की भी शुरुआत की है जिसके तहत किसी एजेंसी को कस्टमर की सीमित जानकारी ही उपलब्ध हो पाती है।
- UIDAI के मुताबिक, आधारकार्ड होल्डर वेरिफिकेशन या KYC सेवाओं के लिए आधार संख्या के बदले वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिये वैसे ही सत्यापन किया जा सकता है जैसे आधार संख्या के जरिए किया जाता है।

संभावित प्रश्न

आधार में सुरक्षा से संबंधित व्याप्त समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अपनाये जा रहे वर्चुअल आइडी से आप क्या समझते है? क्या सरकार द्वारा उठाए गया यह कदम आधार के संबंध में उठने वाली समस्याओं का उचित समाधान है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

What do you think of the virtual ID being adopted by the government in order to deal with the problems related to security in the Aadhar? Is this step taken by the government a proper solution to the problems arising in relation to the Aadhar? Discuss. (250 Words)

GS World की नई प्रस्तुति 'दो लेखों का सार एक साथ'...

न्यायपालिका में अशांति

(13 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

''हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीशों ने यह कहते हुए संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया कि मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का काम सही तरह से नहीं कर रहे है। उनका जोर इस पर अधिक था कि मुख्य न्यायाधीश केस आवंटित करने का काम न्यायसंगत तरीके से नहीं कर रहे है।'' इस मुद्दें पर अंग्रेजी समाचार-पत्र 'इंडियन एक्सप्रेस' एवं 'द हिन्दू' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''इंडियन एक्सप्रेस''

''वरिष्ठ न्यायाधीशों ने देश का ध्यान संस्था के संकट और संस्था में व्याप्त संकट की ओर आकर्षित किया है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।''

सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित किया जिसके परिणामस्वरूप एक क्षण आया जो भारत के लोकतंत्र में अभूतपूर्व है। अदालत से बाहर निकलते हुए और स्पष्ट रूप से यह घोषणा करने की सर्वोच्च न्यायालय में 'स्थिति ठीक नहीं हैं' और न्याय के वितरण प्रणाली के कामकाज, उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता और विशेष रूप से, 'रोस्टर पर अधिकार' की भूमिका में सीजीआई के आचरण के खिलाफ अपनी शिकायतों को रखते हुए, चार न्यायाधीशों ने संस्था के खिलाफ बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संवैधानिक रूप में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, यह अन्य संस्थानों, कार्यकारी और विधायिका के लिए गणना का एक क्षण है।

न्यायमूर्ति जे. चेलेमेश्वर, जो सीजेआई के बाद दूसरा सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश है और महत्वपूर्ण रूप से, 5 न्यायमूर्ति की पीठ पर एकमात्र असहमति जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को कमजोर करता है, न्यायिक जवाबदेही पर राष्ट्रीय बहस में महत्वपूर्ण योगदान देता है। निश्चित रूप से जब तक कि यह संस्था संरक्षित नहीं होती है और जब तक यह अपनी समता रखता है, लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। सीजीआई को एक पत्र में, चार न्यायाधीश ने कहा हैं कि कैसे राष्ट्र और संस्था के लिए दूरगामी परिणाम होने वाले मामलों को इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुनिंदा रूप से उनके वरीयता के 'बैंच' के लिए सौंप दिया गया था।

इस पत्र में ज्ञापन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के साथ अनुचित हस्तक्षेप का आरोप लगाया है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यह विशेष रूप से एक चिंता का विषय है जब कार्यकारी एक निर्णायक निर्वाचन जनादेश द्वारा अन्य संस्थानों को दबाने के लिए प्रोत्साहित करता है। राजनीतिक प्रतिष्ठान के लिए, स्वतंत्र रूप से विस्तृत न्यायपालिका के आंतरिक विश्वास का घाटा अपनी स्वायत्तता पर सवाल उठाने के लिए एक और कारण बन सकता है। फिर भी, अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस तथ्य को समझना है कि आखिर चारो न्यायाधीश सार्वजनिक ध्यान आकर्षित करने के लिए क्यों विवश हुए?

सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा अपनी आजादी की कुंजी अपनी ताकत रखी है और स्वयं को विनियमित करने के लिए इसकी जरूरत भी है, इसलिए सुधार करने के लिए इसे अकेले ही छोड़ दिया जाना चाहिए। अब यह देखना है कि मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा चार न्यायाधीशों के पत्र का उत्तर कैसे देते हैं, उच्च न्यायालय के लिए यह क्षण अभूतपूर्व हो सकता है।

''द हिन्दू''

''यह एक बड़ा दुर्भाग्य है कि आंतरिक दरार एक पूर्ण विकसित संकट की ओर अग्रसर हो चुका है।''

यह एक ऐसा विकास है जो महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दोनों है। सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन ने न्यायपालिका के शीर्ष मंडलों में एक अभूतपूर्व स्तर का विरोधाभास उजागर किया है। यह अफसोस की बात है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, दीपक मिश्रा के खिलाफ इस तरह सार्वजनिक तौर पर विद्रोह किया गया है। सीजीआई के प्रशासनिक कार्यकलाप पर वर्तमान विवाद में जो भी सही है, शुक्रवार को जो कुछ हुआ, उसका समाधान आसानी से नहीं होगा और आने वाले कई दशकों तक इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा।

देखा जाये तो पिछले कुछ महीनों में इसके पर्याप्त प्रमाण मौजूद है कि उच्चतम न्यायालय विक्षोभ की स्थिति का सामना कर रहा है; लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले को इस तरह खुले में ले जाने के बजाय आंतरिक रूप से नियंत्रित किया जा सकता था? जस्टिस जे. चेलेमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन बी लोकुर और कुरियन जोसेफ, सीजीआई के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे, हालांकि उन्होंने बहुत अधिक जानकारी नहीं दी, यह स्पष्ट है कि उनकी शिकायत उनकी धारणा में निहित है कि न्यायमूर्ति मिश्रा अपनी प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, न्यायिक काम के आवंटन पर सम्मेलनों को छोड़कर 'चुनिंदा' मामलों पर ध्यान दे रहे हैं। राष्ट्र के लिए दूरगामी परिणाम वाले मामलों और संस्थाएं जूनियर न्यायाधीशों और 'अपनी प्राथमिकताओं वाले बेंच' को सौंपा जा रहे हैं, एक सुझाव जिसे कुछ अज्ञात बाहरी हाथों के लिए अशुभ संदर्भ के रूप में पढ़ा जा रहा है।

यहां यह बताया जाना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश वास्तव में रोस्टर का मालिक है; यहां तक कि चार न्यायाधीश यह स्वीकार करते हैं कि यह एक सुव्यवस्थित कानून है, जिसे 1998 में संविधान खंडपीठ के फैसले में दर्शाया गया है। इस नियम को स्वीकार करते हुए कि मुख्य न्यायाधीश केवल न्यायपीठों की संरचना का निर्णय ले सकते हैं और न्यायिक कार्य का आवंटन कर सकते हैं, उनका मानना है कि न्यायाधीश मिश्रा अब तक सेट सम्मेलनों से प्रस्थान कर रहे हैं जिसके 'अप्रिय और अवांछनीय परिणाम होंगे', साथ ही यह संस्था की अखंडता पर संदेह का निर्माण करता है। तर्कसंगत रूप से, यह न्यायपालिका का आंतरिक मामला है, जो कि

सभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की पूर्ण अदालत की बैठक में विचार-विमर्श के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए था।

चार न्यायाधीशों द्वारा मुख्य न्यायाधीश को लिखे गए पत्र, जो मीडिया के समक्ष पेश किये जा चुके हैं और जिस तरीके से प्रेस सम्मेलन में इसे पेश किया गया, यह दर्शाता है कि इनकी शिकायतें लिखने या बोलने से ज्यादा अधिक गंभीर हैं। वर्तमान संघर्ष के प्रकोप से उत्पन्न रोगाणु विवादित प्रसाद शिक्षा ट्रस्ट का मामला हो सकता है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कुछ व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करने की साजिश रच रहे हैं। एक असामान्य क्रम में, न्यायमूर्ति चेलेमेश्वर के नेतृत्व में एक डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए पीठ की संरचना को चित्रित करने के उद्देश्य से आगे बढ़े, जिसमें न्यायिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए थे और यह स्पष्ट संकेत दिया गया था कि अगर जस्टिस मिश्रा इस मामले की सुनवाई करते हैं, तब संघर्ष बढ़ने के आसार अधिक हो जायेंगे। आखिरकार, न्यायमूर्ति मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश को उलट कर दिया और कहा कि सीजीआई वास्तव में रोस्टर का मालिक है और वह अकेले मामलों को सौंप सकता है और बेंच की संरचना तय कर सकता है।

हांलाकि, यहाँ ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि रोस्टर को निर्धारित करने की शक्ति किसे है, तब फिर क्यों चारो जज अनिवार्य रूप से यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस शक्ति का प्रयोग कैसे किया जायेगा। न्यायिक कार्य प्राथमिक रूप से एक रोस्टर के आधार पर आवंटित किया जाता है और व्यक्तिगत मामलों को उन श्रेणियों के आधार पर बेंचो को आवंटित किया जाता है, जिसके तहत वे आते हैं। एक बार रोस्टर तय हो जाने के बाद, सीजीआई को आम तौर पर देखना चाहिए कि इसका पालन विधिवत रूप से किया जा रहजा है या नही।

अपवादों को दुर्लभ होना चाहिए और वो भी केवल मजबूर कारणों के लिए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसे अपवादों के कितने मामले सामने आ चुके हैं या आएंगे, चार न्यायाधीशों ने इस याचिका पर एक मुद्दा उठाया है जिसमें उन्होंने 2014 में विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की मौत की जांच की मांग की थी। मृतक न्यायाधीश सोहराबुद्दीन के फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अभियुक्त थे, लेकिन बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। इस मामले की राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए, इस मामले पर जो चिंता व्यक्त की गई है, वह ऐसी चीज है जिसे किसी तरह के गलत व्यवहारों को दूर करने के तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए।

वर्तमान सरकार के लिए, इसे न्यायपालिका में आंतरिक संघर्ष से लगातार दूर रखना चाहिए। स्पष्ट रूप से चुप होने के बजाय, न्यायिक नियुक्तियों के लिए ज्ञापन प्रक्रिया पर अपनी स्थिति का खुलासा करना चाहिए और इसे स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में सूचित किया जाना चाहिये। चार न्यायाधीशों द्वारा लिखे गए पत्र में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों में से एक इस मुद्दे से संबंधित है। उन्होंने सुझाव दिया है कि चूंकि केंद्र ने एमओपी पर प्रतिक्रिया नहीं दी थी, प्रभावी रूप से इसे स्वीकार किया गया है। यह देखते हुए, उन्होंने सवाल उठाया है कि जब एक संविधान खंडपीठ ने मामला पहले ही तय कर लिया था तो एक दो-सदस्यीय पीठ ने इस मुद्दे को फिर से खोला था।

चार न्यायाधीशों की चिंताओं को दूर करने के बजाय, मुख्य न्यायाधीश को पूरी अदालत की एक बैठक का आयोजन करते हुए उन्हें संयम और सावधानीपूर्वक सुनवाई करना चाहिए। उनके विरोध के रूप को अस्वीकार करने के लिए उनकी शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

इसके अलावा, वे मानते हैं कि, चाहे वह सही हो या गलत, आंतरिक रूप से उनके मतभेदों को सुलझाने के उनके विकल्प कमजोर पड़ गए थे। सबसे अच्छा है कि जनता में मतभेदों को और नहीं प्रसारित किया जाये और इस घटना को भावी पीढ़ी द्वारा एक उदाहरण के बजाए एक क्षरण के रूप में माना जाना चाहिए। लगभग एक साल पहले, राष्ट्र स्थिति इस सन्दर्भ में बेहतर नहीं थी, क्योंकि कार्यकारी और न्यायपालिका सार्वजनिक तौर पर मौजूद थीं और अक्सर बहुत दृढ़ता से, न्यायिक नियुक्तियों से असहमत थी। न्यायपालिका में एक आंतरिक दरार ज्यादा गंभीर है। यह न्यायपालिका की छवि को धूमिल करता है। इस संस्था ने छह दशकों से अधिक समय तक राष्ट्र की गरिमा को बढाया है, लेकिन अब यहाँ धीरे-धीरे अँधेरे ने कब्जा करना शुरु कर दिया है। निश्चित रूप से अभी का समय सामूहिक आत्मनिरीक्षण का है।

भारत-इजराइल संबंध	*की रक्षा करेंगे।*
भारत और इजराइल एक ऐसे जटिल भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ दोनों के समक्ष क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व को लेकर सदैव खतरा बना रहता है। ऐसे में दोनों देशों को उनके सामरिक हितों की रक्षा के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।	*आतंकवाद के समर्थकों पर कार्रवाई* *दोनों देशों ने माना कि आतंकवाद वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिये गंभीर खतरा है, जिसके विरुद्ध एक मुखर लड़ाई की आवश्यकता है। आतंकवाद को किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता।*
इसी के मद्देनजर दोनों देशों ने साइबर स्पेस के साथ-साथ आतं. कवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ साझा जंग का ऐलान किया है।	*दोनों देशों ने आतंकी गुटों और आतंकवाद को समर्थन एवं संरक्षण देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई पर बल दिया।*
पाकिस्तान की ओर परोक्ष रुप से इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजराइल की तरह भारत भी सीधे तौर पर आतंकवाद के खतरे और हिंसा का सामना कर रहा है, अत: दोनों देश अब से एक-दूसरे के रणनीतिक हितों	*आतंकवादरोधी सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी हुई है।* *आतंकवाद की परिभाषा तय करने वाली वैश्विक आतंकवाद संधि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल्द से जल्द अपनाने की भारत की मांग को नेतन्याहू सही ठहरा चुका है।* *आज इजराइल अपने यहाँ जल संकट को दूर कर मजबूत और*

- अपने आदेश में, पीठ ने 'रोस्टर के अधिकार' के रूप में मुख्य न्यायाधीश की स्थापना की, जिसका अर्थ है कि उनके पास बेंचो के गठन का अधिकार है।

अब क्या?

- सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को एक मौखिक अवलोकन में, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने श्री भूषण द्वारा सीजेआई के खिलाफ आरोपों को 'घृणित और प्रति घृणास्पद' कहा था।
- इस याचिका ने इस महान संस्था का घोटाला किया है नुकसान पहले से ही किया गया है। अब सभी व्याप्त अफवाहों के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय पर संदेह कर रहे है। अब देखन यह होगा कि इस नुकसान की मरम्मत कैसे किया जा सकेगा? अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने भी न्यायाधीश के साथ सहमति जताते हुए कहा कि यहाँ विश्वास का 'संकट' व्याप्त है।

जस्टिस बी एच लोया की मौत का मामला?

- सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई न्यायाधीश बी एच लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब दायर करने को कहा है।
- बता दें सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश बी एच लोया की अचानक मौत हो गयी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोया की मौत एक दिसंबर 2014 की सुबह नागपुर में हुई थी।
- गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और उनके सहयोगी तुलसीदास प्रजापति के नवंबर 2005 में हुई कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में पुलिसकर्मी समेत कुल 23 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंपा गया और मुकदमे को मुंबई स्थानांतरित किया गया। बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशन ने आठ जनवरी को बंबई हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर न्यायाधीशों की मौत की जांच कराने की मांग की गई।

संभावित प्रश्न

भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है ताकि न्यायपालिका की गरिमा बनी रहे। किन्तु हाल ही की घटना ने जहाँ न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा कर दिया है वहीँ न्यायाधीशों के आचरण पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Special protection has been provided to the judges in the Indian constitution so that the dignity of the judiciary remains intact. But the recent incident has raised questions on the functioning of the judiciary and has questioned the behavior of the judges. Discuss. (250 Words)

GS World की नई प्रस्तुति 'दो लेखों का सार एक साथ'...

भारत-इजराइल संबंध

(15 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

''हाल ही में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू रविवार को भारत की छह दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। विदित हो कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का यह भारत दौरा 15 साल के बाद हो रहा है। नेतन्याहू के इस भारत दौरे से भारत-इजराइल के बीच कई प्रमुख द्विपक्षीय करार होने की उम्मीद जताई जा रही है।'' इस मुद्दें पर अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द टाइम्स ऑफ इंडिया'' एवं 'पायनियर' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता

''द टाइम्स ऑफ इंडिया''

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा से काफी लाभ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जो पहले से कहीं अधिक दोनो देशों को करीब ला सकता है। उनकी यात्रा का महत्व पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में भारत के वोट के संदर्भ में देखा जा रहा, जहां भारत ने इजरायल की राजधानी के रूप में यरूशलेम को मान्यता देने के अमेरिकी सरकार के फैसले के खिलाफ मतदान किया था और इस प्रकार यह इजरायल के भी खिलाफ हुआ।

भारत का वोट कुछ विदेशी नीति विश्लेषकों के लिए एक गहरा झटका के रूप में था और वे भारत-इजरायल संबंधों के भविष्य के बारे में आशंकित थे। लेकिन इन आशंकाओं को नई दिल्ली की निपुण कूटनीति द्वारा अलग रखा गया जिससे इजरायल को यह महसूस न हो कि यूएनजीए में भारत का वोट का अर्थ यह नहीं है कि भारत, इजरायल और भारत-इजरायल संबंधो। की कम परवाह करता है।

वर्तमान में नेतन्याहू की यात्रा व्यापार और सुरक्षा की दृष्टि से भारत और इसराइल के बीच बढ़ती ताकत और निकटता को मजबूत करेगी, साथ ही इस यात्रा से दोनो प्रधानमंत्रियों को जल प्रौद्योगिकी, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और रक्षा से संबंधित मुद्दों पर विशेष रूप से बात करने की भी उम्मीद की जा रही है।

संस्कृति दोनों देशों के बीच दोस्ती के एक महान सहयोगी की तुलना में अधिक है। इजराइली प्रधानमंत्री 18 जनवरी को एक विशेष समारोह 'शालोम बॉलीवुड' में भाग लेने के लिए मुंबई जाएंगे। इस तरह का एक बड़ा आयोजन करने का विचार वैश्विक मनोरंजन बाजार में इजरायल के साथ सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंधों में सुधार करना है।

लेकिन इससे पहले, कल (16 जनवरी को) मोदी और नेतन्याहू तीसरे वार्षिक रायसीना वार्ता के उद्घाटन सत्र में भी शामिल होंगे, जो भारत की प्रमुख विदेश नीति सम्मेलन है। यह पहली बार होगा कि इस मंच पर सरकार के विदेशी प्रमुख प्रधान बोलेंगे।

तथ्यों और आंकड़े एक तरफ है, यह एक मील का

''पायनियर''

नेतन्याहू की भारत यात्रा के साथ, मोदी सरकार ने नेहरू की विदेश नीति के अंतिम अवशेषों को देश से वंचित करने में सफलता हासिल कर ली है।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की चार दिवसीय यात्रा कल भारत में हुई, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करेगा। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि जब यह यात्रा 18 जनवरी को समाप्त हो जाएगी, तब मोदी सरकार नेहरू के विदेश नीति ढांचे के आखिरी अवशेषों को भारत से छिनने में सफल हो जाएगी।

देखा जाये तो मोदी संसद में पूर्ण बहुमत का आनंद ले रहे नेता के रूप में उभर रहे हैं (पिछले तीन दशकों में ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति), देश ने अतीत के साथ एक पूर्ण विराम को देखा है, जब वैचारिक विचारों और वोट बैंकों की मजबूरी, शेष दुनिया के साथ भारत के संबंधों की रूपरेखा तैयार किया। इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुंबई की यात्रा भी शामिल है, जहां से वे वापस घर को जाएंगे। वैचारिक आधार के साथ उनकी मुंबई यात्रा का भावनात्मक आयाम है। वह बॉलीवुड को लुभाने का भी प्रयास कर रहे हैं, जो भारत के एक जीवंत सॉफ्ट पॉवर के रूप में उभरने का छोटा उदहारण है।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू मुंबई में चबाड हाउस का दौरा करेंगे। उनके साथ युवा मोश होल्त्जबर्ग भी होगा, जो सिर्फ दो साल का था, जब उनके माता-पिता, रिवाका और गवेरील होल्ट्जबर्ग, मुंबई में चबाड के दूतों के रूप में सेवा करते थे और 26/11 आतंकवादी हमले में अन्य छः के साथ मारे गए थे। वर्तमान में मोश के साथ उनके दादा दादी रहेंगे।

विभाजन और प्रतिबंध' (बीडीएस) आंदोलन शुरू हुआ था।

इस आंदोलन ने यूनियनों, चर्चों और गैर-सरकारी संगठनों का समर्थन किया है और दुनिया में इजराइल को अलग करने का लक्ष्य रखा है। नेतन्याहू के मुताबिक, बीडीएस का अर्थ 'कट्टरता, बेईमानी शर्म' है।

इजराइली प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी सारा भारतीय

पत्थर साबित होगा जहां दोनों शक्तियां एक साथ आ सकती हैं और लंबे समय तक एक-दूसरे के सहयोगी बन सकती हैं। आज, भारत को पहले से कहीं ज्यादा 'सभी क्षेत्रों' के सहयोगियों की जरूरत है।

जैसा कि यह प्रतीत होता है कि रूस भारत से धीमी बहाव के साथ दूर होते जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच वास्तविक चिंता अब यह हो रही है कि भारत अपने दोस्त रूस को नई दिल्ली की संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के साथ बढ़ती निकटता और उसके निर्णयों अर्थात चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता, या 'क्वाड', जो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भ. ारत के लिए अनौपचारिक सामरिक संवाद मंच है, जिसे वर्ष 2007 में जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे द्वारा शुरू किया गया था और यह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा समर्थित था, में शामिल होने के कारण खो सकता है।

निश्चित रूप से इजराइल केवल एक 'सहयोगी' से कहीं अधिक लाभदायक साबित हो सकता है। यह 'पारस्परिकता' और भारत-इजरायल संबंधों में गति बढाने के लिए कुछ नवीन उपायों की मांग करता है। यह भारत की हालिया यूएनजीए में जेरूसलम पर दिए गये वोट के सन्दर्भ में विशेष प्रासंगिकता और इस महीने की शुरूआत में इजरायल के प्रसिद्ध राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम से 1,600 स्पाईक एंटी टैंक गाइड मिसाइलों को खरीदने के लिए 500 मिलियन डॉलर के सौदे को रद्द करने से सम्बंधित है।

इजराइल ने यकीनन यह दिखाया है कि वह भारत का सहयोगी बनने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अधीन था, जो अपने इजराइली समकक्ष (एरियल शेरोन) को आमंत्रित करने वाले पहले भ. ारतीय प्रधानमंत्री थे।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 2010 में मुक्त व्यापार समझौते के लिए इजरायल के प्रस्ताव को स्वीकार कर के दोनों देशों के संबंधों को निकटता प्रदान की थी। इसके अलावा, दोनों देशों को वर्ष 2008 में मुंबई पर हुए पाकिस्तानी आतंकवादी हमलों की त्रासदी ने और करीब ले आया।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, इस बढ़ती निकटता में कुछ वास्तविक राजनैतिक मतभेदों के बावजूद, संबंधों को एक नया आयाम मिला है। मित्रता की आलोचना करने वाले राजनैतिक टिप्पणीकारों का एक हिस्से का मानना है कि इस दोस्ती को भारत-फिलिस्तीन और इजराइल-फिलिस्तीन संबंध ों के परे देखने की जरूरत है।

फिल्मों के शौकीन हैं। बीडीएस से लड़ने के लिए भारतीय फिल्म उद्योग के समर्थन में शामिल होने के लिए विशेष कोरियोग्राफेड इवेंट का आयोजन 18 जनवरी को मुंबई में 'शालोम बॉलीवुड' के रूप में की जाएगी, हालांकि, यह निजी नहीं पूरी तरह से राजनीतिक है।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले साल इजराइल की यात्रा की थी, जिससे दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिला, जो एक भारतीय प्रध ानमंत्री द्वारा पहली यात्रा थी। इसके अलावा, इजराइली प्रध ानमंत्री एरियल शेरोन ने पहली बार भारत की यात्रा की थी, जब 2003 में एनडीए सत्ता में थी।

सन 2003 में भारत की शेरोन की यात्रा के दौरान, तत्क. ालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें कोडुंगलौर के स्थानीय शासकों द्वारा यहूदियों को दिए तांबे की प्लेटों का एक सेट उपहार दिया था, जो 379 आम युग तक मलबार तट पर व्यापार करने के लिए आए थे। तांबे की प्लेट पर लिखे गए संदेश में कहा गया है कि अंजुवनम गांव यहूदियों का है और उनके पूर्वज 'दुनिया या चाँद जब से मौजूद है तब से वे मौजूद है।'

हमारे देश की वर्तमान पीढ़ी को आश्चर्य हो सकता है कि इजराइल और भारत के बीच संबंधों के 50 साल के सूखे के क्या कारण थे। मुस्लिम दुनिया के साथ भारत की विदेश नीति को सरेखित करने की नेहरू नीति की वजह से ही भ. ारत में मुसलमानों का वोट कांग्रेस को मिलता था, यहां तक कि भारतीय नागरिको के पासपोर्ट भी यही कहता है कि यह इजरायल की यात्रा के लिए वैध नहीं था (साथ ही दक्षिण अफ्रीका के लिए भी) ।

हालांकि, तब तक, इजरायल और मिस्र, इजरायल विरोधी अफगानिस्तान के नेता, ने इजरायल को मान्यता देने वाले एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लगातार कांग्रेस सरकारों ने इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बनाने से इनकार करते आये थे। केवल कांग्रेस सरकार के बाद गैर-गांधी परिवार के प्रधानमंत्री (पी.वी. नरसिम्हा राव) के रूप में, जिसके बाद संबंधों को सुधारने का प्रयास किया गया और पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार के तहत, इस रिश्ते में बढ़ोतरी हुई है और इजराइली प्रध ानमंत्री का दौरा पिछले साल मोदी की इजराइल यात्रा के लिए सौहार्दपूर्ण नहीं था, लेकिन भारत की सुरक्षा और विकास के प्रमुख सहयोगी के रूप में इजराइल द्वारा नए स्तर पर की जा रही समर्थन, दोनों मौजूदा एनडीए सरकार के बेहद करीब हैं।

नेतन्याहू अपने साथ 130 इजरायल उद्योग के नेताओं की एक टीम लेकर भारत आये हैं। इसके अलावा, भारत में कई औद्योगिक और उच्च प्रौद्योगिकी वाली अमेरिकी कंपनियां, जो रक्षा में शामिल हैं, वास्तव में इजरायल नागरिक या यहूदी मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। दुनिया के अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यहूदियों की प्रतिभा का लोहा माना जा चुका हैं।

भारत में कृषि, सिंचाई, रक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहले से ही बहुत से इजराइली तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। नेतन्याहू की यात्रा के बाद इन क्षेत्रों में नए तकनीकों के बारे में हम और अधिक सुनना चाहेंगे।

पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक संबंधों के अलावा, दोनों देशों के बीच रिश्तों का क्या कारण है, यह तथ्य है कि इजराइल और भारत दोनों शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरे हुए हैं, इस्लाम से प्रेरणा लेकर दावा करते हैं और आतंक की मशीन चला रहे हैं।

***

भारत-इजराइल संबंध

- भारत और इजराइल एक ऐसे जटिल भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ दोनों के समक्ष क्षेत्रीय शांति एवं स्थायित्व को लेकर सदैव खतरा बना रहता है। ऐसे में दोनों देशों को उनके सामरिक हितों की रक्षा के लिये बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
- इसी के मद्देनजर दोनों देशों ने साइबर स्पेस के साथ-साथ आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ साझा जंग का ऐलान किया है।
- पाकिस्तान की ओर परोक्ष रुप से इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इजराइल की तरह भारत भी सीधे तौर पर आतंकवाद के खतरे और हिंसा का सामना कर रहा है, अत: दोनों देश अब से एक-दूसरे के रणनीतिक हितों की रक्षा करेंगे।

आतंकवाद के समर्थकों पर कार्रवाई

- दोनों देशों ने माना कि आतंकवाद वैश्विक शांति एवं स्थिरता के लिये गंभीर खतरा है, जिसके विरुद्ध एक मुखर लड़ाई की आवश्यकता है। आतंकवाद को किसी भी आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता।
- दोनों देशों ने आतंकी गुटों और आतंकवाद को समर्थन एवं संरक्षण देने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई पर बल दिया।
- आतंकवादरोधी सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी हुई है।
- आतंकवाद की परिभाषा तय करने वाली वैश्विक आतंकवाद संधि को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जल्द से जल्द अपनाने की भारत की मांग को नेतन्याहू सही ठहरा चुका है।
- दोनों देशों ने हथियारों के साझा उत्पादन पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों देश यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आतंकी संगठनों की पहुँच जनसंहार के हथियारों तक न हो। यहाँ यह स्मरण दिलाना आवश्यक है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों न्यूक्लियर पॉवर हैं, जिनसे भारत और इजराइल दोनों को खतरा है।

पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हुए निम्नलिखित समझौते:

जल उपयोगिता

- गंगा सफाई एवं जल के उपयोग को लेकर उत्तर प्रदेश जल निगम एवं इजराइल के ऊर्जा एवं जल संसाधन विभाग के बीच समझौता।
- जल संरक्षण के लिये जागरूकता पर।
- गौरतलब है कि जल संरक्षण एवं पुनर्चक्रण के मामले इजराइल एक अति उन्नत देश है। वह अपने बंद तरीके के जरिये वर्षा पर निर्भर नहीं रहता है।

अंतरिक्ष के क्षेत्र में

- अंतरिक्ष के क्षेत्र में तीन एमओयू- छोटे उपग्रहों के लिये इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, ऑप्टिकल लिंक का विकास तथा एटॉमिक घड़ियों पर सहयोग।

"I4F"

- विकास एवं शोध के लिये स्थापित फण्ड का नाम "I4F" या इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल इनोवेशन फण्ड रखा गया है, जिसमें दोनों देश 20 मिलियन डॉलर का योगदान देंगे, ताकि शोधकर्त्ता अपने आविष्कारों को सहजता से विनिर्मित कर सकें।

इजराइल में जल प्रबंधन

- समुद्र के पानी से खारापन दूर करके उसे गुणवत्तापूर्ण पेयजल में परिवर्तित करने में इजराइल का कोई सानी नहीं है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजराइल यात्रा के दौरान वहाँ के प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा एक चल-संयंत्र दिखाया था।
- दूषित जल को पुन: उपयोगी बनाने, पानी को व्यर्थ होने से बचाने, कृषि व जल प्रौद्योगिकी का निर्यात स्तर पर विकास करने आदि में इजराइल विश्व में अग्रणी है।
- प्राकृतिक रूप से बेहद शुष्क क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद इजराइल जल-समृद्ध राष्ट्रों के समानांतर हरित पर्यावरण का निर्माण करने में सफल रहा है।
- आज इजराइल अपने यहाँ जल संकट को दूर कर मजबूत और टिकाऊ कृषि क्षेत्र का निर्माण करते हुए जल संसाधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है।
- ऊर्जा व जल संसाधन मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली इजराइल की नेशनल वॉटर कंपनी मैकॉरट वहाँ के लोगों को जलापूर्ति करती है।
- इजराइल की हाइड्रो-डिप्लोमेसी की शुरुआत 1950 में हुई थी और अभी तक जारी है। 1960 के दशक तक इजराइल अपेक्षाकृत बेहतर पानी की उत्तरी इलाके से दक्षिण स्थित नेगेव रेगिस्तान तक पानी पहुँचाने के लिये अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने की राष्ट्रव्यापी प्रणाली विकसित कर चुका था।
- इसके अलावा इजराइली इंजीनियरों ने बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति (Drip Irrigation System) का विकास किया, जिससे कृषि कार्यों में पानी का कम उपयोग होता है।
- वैज्ञानिक तकनीकों और प्रभावशाली जल संसाधन प्रबंधन को मिलाकर इजराइल जल असुरक्षा से बाहर निकल चुका है और स्रोतों के जरिये वेस्ट बैंक, गाजा और जॉर्डन को भी पानी उपलब्ध कराता है।

***

संभावित प्रश्न

'इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा से काफी लाभ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जो पहले से कहीं अधिक दोनो देशों को करीब ला सकता है।' इस कथन के सन्दर्भ में भारत और इजराइल के बीच संबंधों की प्रकृति और संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (250 शब्द)

'Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's visit to India is expected to benefit greatly, which can bring more countries closer than ever.' In relation to this statement Critically analyze the nature

GS World की नई प्रस्तुति 'दो लेखों का सार एक साथ'...

कृषि से संबंधित समस्याएं

(16 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

''हाल ही में कृषि से जुड़ी कई समस्याओं ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जहाँ एक ओर सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात पर पिछड़ते हुए दिख रही है, वही दूसरी ओर कृषि नीतियों में व्याप्त कमियों के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव की समस्या देखी जा सकती है।'' कृषि से संबंधित इन दो समस्याओं पर अंग्रेजी समाचार-पत्र ''इंडियन एक्सप्रेस'' एवं 'द हिन्दू' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(कृषि क्षेत्र से चुनौतियाँ)

''वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मोदी सरकार को पिछले चार सालों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करनी होगी। वर्तमान सरकार कृषि के विकास में अपने पूर्ववर्तियों के समान ही पीछे है।''

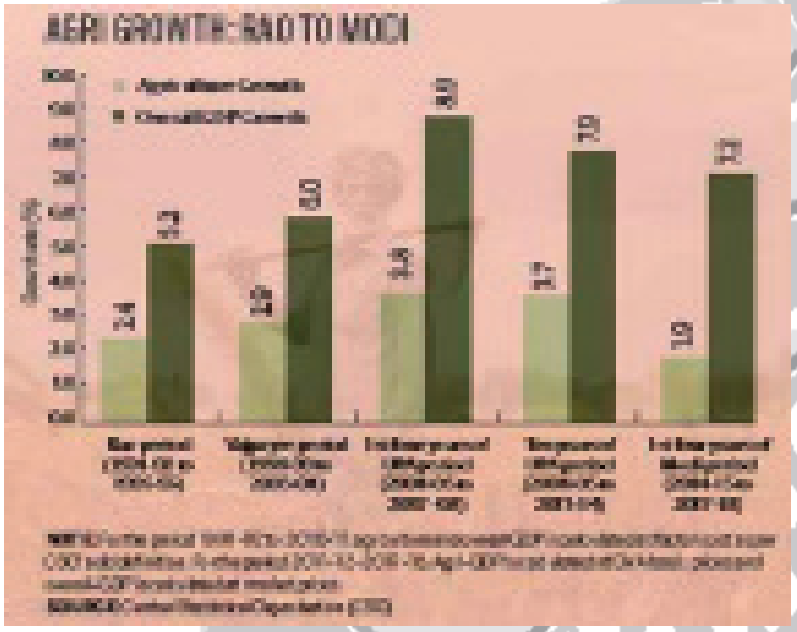

वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के आधार मूल्यों पर जीडीपी और सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के पहले अग्रिम अनुमान सामने आ चुके हैं। अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने कुल जीडीपी विकास दर पर अपनी-अपनी टिप्पणी पेश की है, जो कि 6.5 प्रतिशत है और जो नरेंद्र मोदी सरकार के चार वर्षों के कार्यकाल में सबसे कम है। जिसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों की एक बैठक बुलाई, ताकि आगामी बजट के लिए कुछ अहम् प्रस्तावों पर चर्चा की जा सके, ताकि विकास में तेजी और अधिक रोजगार का सृजन हो सकें। निश्चित रूप से कृषि पर व्याप्त संकट चर्चा का मुख्य विषय है, लेकिन आधिकारिक राय यह थी कि हमें किसानों की आय बढ़ाने पर कार्य करना चाहिए और इसके लिए सरकार को वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य पर प्रतिबद्ध होना पड़ेगा।

लेखक द्वारा अपने इस आलेख में वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक मोदी सरकार के अंतर्गत कृषि और किसानों की आय का लेखा-जोखा दिया जा रहा है। इसका कारण सरल है: भारत में लगभग 47 प्रतिशत कार्यबल कृषि में हैं, इसलिए जब तक यह क्षेत्र बेहतर प्रदर्शन नहीं करता, तब तक 'सबका साथ, सबका विकास' संभव नहीं हो सकेगा। इसके अलावा, विश्व विकास रिपोर्ट (2008) के अनुसार, गैर-कृषि क्षेत्रों में समान वृद्धि की तुलना में गरीबी को कम करने के लिए कृषि में वृद्धि को कम से कम दो से तीन गुना अधिक प्रभावी होना चाहिए। इसलिए, गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण से, कृषि में सरकार के प्रदर्शन का

''द हिन्दू''
(कृषि नीति में व्याप्त समस्याएं)

''कृषि नीति को गंभीर कीमतों में बार-बार हो रहे उतार-चढ़ाव की समस्या का समाधान करना चाहिए।''

कृषि वस्तुओं की कीमतों में तेजी से हो रहे उतार-चढ़ाव के चक्र को देखते हुए इसमें कोई अंत नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में पूरे भारत में बम्पर उत्पादन के एक साल बाद आलू की कीमत तेजी से घट गई है। कुछ थोक बाजारों में रुपए के मुकाबले कम मात्रा में आलू के एक किलोग्राम की कीमत के साथ, कई व्यथित किसानों ने अपनी उपज सड़कों पर और शीत भंडारण में छोड़ दिया है।

पिछले साल, लाल मिर्च, तूर दाल और टमाटर जैसी अन्य उपज की कीमत पिछले सीजन की तुलना में तेजी से गिरने की समान प्रवृत्ति में देखी गई। कॉबवेब घटना द्वारा कीमतों में तेज स्विंग की व्याख्या की गई है। पिछले सीजन के दौरान किसान अपने उच्च मूल्यों के जवाब में कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि किया, जिससे आपूर्ति की भरमार हो गयी और फिर कीमतें गिर गई।

यह चक्र प्रत्येक वर्ष खुद को दोहराता है और कीमत और उत्पादन के बीच के अंतराल के साथ आपूर्ति और मांग के बीच एक विशाल बेमेल पैदा करता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मंदी की पृष्ठभूमि के खिलाफ आलू की कीमतों में गिरावट आई है। पिछले हफ्ते सरकार द्वारा जारी जीडीपी के अनुमानों के मुताबिक, 2016-17 में कृषि विकास दर 4.9% से 2017-18 में 2.1% रह सकती है।

कृषि संकट की मानवीय और राजनी.

मूल्यांकन महत्वपूर्ण है।

2017-18 के अग्रिम अनुमानों ने कृषि-जीडीपी विकास दर 2.1 प्रतिशत कर दी, जो पिछले वर्ष 4.9 प्रतिशत थी। लेकिन यहाँ यूपीए -1 (2004-05 से 2007-08) के पहले चार वर्षों या यूपीए सरकार के 10 साल (2004-05 से 2013-14) के साथ मोदी सरकार के पहले चार वर्षों में कृषि प्रदर्शन के साथ तुलना करना व्यर्थ नहीं होगा। हांलाकि, इस आलेख में लेखक ने अटल बिहारी वाजपेयी (1998-99 से 2003-04) के नेतृत्व वाली सरकार और पी. वी. नरसिम्हा राव (1991-92 से 1995-96, जब आर्थिक सुधार शुरू हुआ था) की सरकार के साथ मोदी सरकार के कृषि प्रदर्शन की तुलना की है। इससे हमें भारतीय कृषि के लंबी अवधि के परिप्रेक्ष्य और किसानों की आमदनी के आंकड़े भी प्राप्त हो जायेंगे। हम इस पृष्ठभूमि के खिलाफ वर्ष 2022 की तुलना में किसानों की आय दोहरीकरण के मोदी सरकार की बार-बार दोहराए जाने वाले लक्ष्य की संभाव्यता की भी जांच करेंगे।

इस ग्राफ से पता चलता है कि राव सरकार के अंतर्गत, कृषि जीडीपी 2.4% की वृद्धि की मामूली वार्षिक दर से बढ़ी है, जबकि समग्र जीडीपी विकास दर 5.2% प्रतिवर्ष है। वाजपेयी सरकार के अंतर्गत कृषि विकास दर में मामूली सुधार हुआ था, अर्थात इसमें 2.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी। इसी अवधि में समग्र जीडीपी विकास दर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष रही थी। क्रमिक सुधार की यह प्रक्रिया 10 वर्षों के दौरान जारी रही जब यूपीए ने पद संभाला। वर्ष 2004-05 और 2013-14 के बीच, कृषि जीडीपी ने 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की, जबकि समग्र सकल घरेलू उत्पाद में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

कृषि-जीडीपी की वृद्धि 1.9 फीसदी तक गिर गई है, जो कि यूपीए के पहले चार वर्षों में हासिल की गई वृद्धि का आधा है। यूपीए शासन के पहले चार वर्षों (8.9 प्रतिशत) के मुकाबले मोदी जी के विकास के दौरान पहले चार वर्षों में कुल जीडीपी विकास दर 7.2 फीसदी थी। इसलिए, मोदी सरकार के पास बहुत कुछ है जो इससे पहले किसी भी सरकार से बेहतर प्रदर्शन करने का दावा कर सकते हैं।

किये गये अध्ययन के अनुसार, बाहरी और आंतरिक दोनों विभिन्न शासनों के लिए आर्थिक वातावरण अलग-अलग हैं। पिछले शासन या बाहरी वातावरण को दोषी मानना किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। यदि नरेंद्र मोदी सरकार पिछली बार सूखे के कारण फंस गई थी, तो कच्चे तेल के आयात बिल में 50 फीसदी से अधिक की गिरावट के साथ हजारों करोड़ रुपये की बचत हुई है। वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में गिरावट ने मुद्रास्फीति को कम करने में भी मदद की। आम चुनावों के लिए एक और साल के साथ, भले ही कृषि-जीडीपी विकास 2018-19 में 4 प्रतिशत पर पहुंच गया, पांच साल का औसत अभी भी 2.3 प्रतिशत रह जाएगा, आर्थिक सुधारों के शुरू होने के बाद से सबसे कम। ऐसा नहीं है कि किसान किसके लिए उम्मीद कर रहे थे।

मोदी के युग के दौरान खराब कृषि प्रदर्शन भी कृषि व्यापार अधिशेष (निर्यात शून्य से आयात) को कम करने में परिलक्षित होता है। जब यूपीए का कार्यालय था, तो 2004-05 में कृषि व्यापार अधिशेष 3.6 अरब डॉलर से बढ़कर 2013-14 तक 25.5 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जो सात गुना बढ़ गया। लेकिन 2016-17 तक 2016-17 तक यह 8.2 अरब डॉलर हो गया था। यह भारतीय कृषि के लिए और साथ ही किसानों के लिए अच्छी नहीं है।

अर्थशास्त्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में किए गए चर्चा में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने पर ध्यान देने पर ज्यादा ध्यान दिया गया। किसानों की आमदनी के बारे में एनएसएसओ आंकड़े बताते हैं कि 2002-03 से 2012-13 तक किसानों की वास्तविक आय चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर 3.6 प्रतिशत बढ़ी है। दलवई समिति की रिपोर्ट बताती है कि 2022 तक किसानों की आय दोहरीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसानों की असली आय में सीएजीआर में 10.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जरूरत है।

2019 के आम चुनाव के कारण रिपोर्ट में दी गयी विस्तृत सिफारिशों को लागू करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता हैं। दलवाई समिति की पद्धति का उपयोग करके, हमने 2012-13 से 2016-17 तक किसानों की वास्तविक आय का अनुमान लगाया है जहाँ सीएजीआर सिर्फ 2.5 प्रतिशत तक आता है। 2.5 प्रतिशत से 10.4 प्रतिशत की ओर जाना असली चुनौती है। क्या मोदी इसमें सफल हो पायेगी? तिक लागत को देखते हुए विशेष रूप से एक वर्ष में जब कई बड़े राज्यों में चुनाव होते हैं, तब स्थानीय सरकार अपने ग्रामीण मतदाता आधार को संतुष्ट करने के लिए लोकलुभावन की ओर रुख कर सकती है। यह कृषि ऋण छूट, कृषि उत्पाद के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य या दो के कुछ संयोजन के रूप में वित्तीय उपायों के रूप में आ सकता है।

अगले केंद्रीय बजट को अच्छी तरह आर्थिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केंद्रित किया जा सकता है। ऐसे राहत उपाय जो कि अस्थायी रूप से किसानों पर दर्द को कम करते हैं, हालांकि, लंबे समय में अपने जीवन में महत्वपूर्ण अंतर बनाने में विफल रहेगा।

कृषि संकट की समस्या का कोई स्थायी समाधान मूल्य में उतार-चढ़ाव की चुनौती से निपटना है। उतार-चढ़ाव का चक्र एक टूटी हुई आपूर्ति श्रृंखला का परिणाम है जो अधिक-विनियमित है। फॉरवर्ड लुक कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने और बेचने के लिए एक मजबूत बाजार की अनुपस्थिति में, किसान गंभीर रूप से उतार-चढ़ाव के खिलाफ खुद को बचा सकते हैं।

इसके अलावा, कार्टेल द्वारा थोक बाजार का वर्चस्व, किसानों को उचित मूल्य प्राप्त करने से रोकता है, भले ही उनके उत्पाद उपभोक्ताओं को बहुत अधिक दरों पर बेचा जाता है। सरकार को इन संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई बेहतर उपाय सोचना चाहिए और अग्निशामक मोड में तदर्थ नीति के उपायों के लिए खुद को सीमित नहीं करना चाहिए। किसानों को न सिर्फ बेहतर बल्कि इससे भी अधिक स्थिर स्थिति देने की जरूरत है।

***

समिति की रिपोर्ट से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 13 अप्रैल, 2016 को सरकार ने किसानों की आय पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिये केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय में तत्कालीन अतिरिक्त सचिव अशोक दलवाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था।
- इस रिपोर्ट में तीन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था- उत्पादकता लाभ, फसल के मूल्य में कमी और लाभकारी मूल्य। इस सामरिक ढाँचे में चार चिंताएँ भी थी जैसे- टिकाऊ कृषि उत्पादन, किसानों के उत्पाद का मौद्रीकरण, विस्तार सेवाओं का पुन: मजबूतीकरण और कृषि को एक उद्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना।
- इस रिपोर्ट में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण ऊर्जा और ग्रामीण विकास में निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक आर्थिक मॉडल का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया था, जिससे 2015-16 के आधार वर्ष पर वर्ष 2022-23 तक किसानों की दोगुनी आय में 10. 41% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्ष 2002-03 से 2012-13 और इसके आगे के वर्षों में किसानों की वास्तविक आय में प्रति वर्ष मात्र 3.5% की दर से वृद्धि हुई।
- अत: किसानों की दोगुनी आय से तात्पर्य तीन गुने प्रयास और संसाधनों से है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2011-12 की कीमतों पर लगभग 6,40,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाए और इसमें कृषि रसद, कोल्ड चेन्स आदि में किये गए निवेश को शामिल नहीं किया जा सकता।
- इस निवेश का 80% सरकार द्वारा प्राप्त होगा। यदि दोगुनी किसान आय के सपने को वास्तविक रूप प्रदान करना है तो कृषि के लिये निवेश में 22% तक की वृद्धि करने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में किन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया?

- इस रिपोर्ट में इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं की गई कि इन संसाधनों को कहाँ से और कैसे उत्पन्न किया जाएगा।
- दरअसल, ऋणों में छूट, सब्सिडी और कल्याण कार्यक्रम के कारण बजट पर हावी होने वाले दबावों के चलते इस निवेश-राशि में संकुचन आएगा। इस निवेश के परिणामस्वरूप कितना कृषि उत्पादन होगा और इस बढ़े हुए उत्पादन का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? रिपोर्ट में इसकी भी चर्चा नहीं की गई है।
- हमने अक्सर यह देखा है कि जब भी उत्पादन में वृद्धि होती है तो मूल्यों में गिरावट आती है। इस वर्ष अनेक राज्यों में उत्पादन में वृद्धि के कारण प्याज, आलू, दालों और तिलहन की कीमतों में गिरावट आई है।
- यदि घरेलू उपभोग से निर्गतों में वृद्धि नहीं हो सकती तो क्या हम वैश्विक बाजारों में निर्यात कर सकते हैं? यह रिपोर्ट इन बुनियादी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है।

क्या करने की आवश्यकता है?

- इस स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिये वर्ष 1978-84 के दौरान किये गए चीन के कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।
- इस देश ने छह वर्षों में किसानों की वास्तविक आय को दुगुना कर दिया था तथा गरीबी में लगभग 50% की कमी कर दी थी। भारत चीन के कृषि सुधार नीति से बहुत कुछ सीख सकता है।
- दरअसल, खाद्य मूल्य श्रृंखला को यदि किसानों के लिये हितकर बनाना है तो उसे उत्पादन-चालित प्रणाली के आधार पर चलाने के बजाय मांग आधारित एक ऐसी प्रणाली के तहत चलाना होगा, जिसमें उपभोक्ता शीघ्रता से उत्पादकों से जुड़ जाते हैं।
- इसके लिये नए तरीकों और नवाचारों की आवश्यकता होगी, इसके साथ-साथ खाद्य प्रणाली में निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना होगा।
- आज जलवायु परिवर्तन एवं भूमि और जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण कोई भी हितधारक चाहे, वह सरकार हो, कॉर्पोरेट क्षेत्र हो या फिर सिविल सोसायटी हो अकेले ऐसा नहीं कर सकती है। अत: विभिन्न संगठनों और हितधारकों की दक्षताओं के संयोजन और साझेदारी प्लेटफार्मों के माध्यम से वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है।

किसानों की आय में तेजी से वृद्धि के संभावित उपाय

1. **कृषिगत गतिविधियों का विविधिकरण :** प्राय: यह देखा गया है और कई अध्ययनों द्वारा प्रमाणित है कि उच्च मूल्य वाले फसलों और कृषि उद्यमों की ओर ध्यान देने वाले किसानों की आय में तेजी से वृद्धि होती है। अत: कृषिगत गतिविधियों के विविधिकरण को गति देनी होगी।
2. **बेहतर सिंचाई के साधन :** देश में अभी भी निम्न उत्पादकता का एक बड़ा कारण सिंचाई के साधनों की अपर्याप्त उपलब्धता है। अत: इस संबंध में भी ध्यान देने की जरूरत है।
3. **प्रतिस्पर्द्धी बाजार मूल्य :** बेहतर उत्पादन के बावजूद यदि किसान बेहतर मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका एक मुख्य कारण प्रतिस्पर्द्धी कीमत का न मिल पाना है और इसके कई कारण हैं। एकीकृत मूल्य श्रृंखला, भण्डारण की समुचित व्यवस्था, आदि सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- कृषि क्षेत्र में सुधार की समूची कवायद इन्हीं मूल बातों पर केन्द्रित होनी चाहिये। राज्य स्तर के आँकड़ों से पता चलता है कि गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में 2006-07 और 2013-14 के बीच वास्तविक कृषि आय (इसमें व्यापार में सुधार के कारण बढ़ी आय भी शामिल है) दोगुनी हो गई है।
- इन राज्यों द्वारा उपरोक्त मूल बातों पर ही ध्यान दिया गया है और यदि भारत के सभी राज्यों में ऐसा किया जाता है तो निश्चित ही हम वर्ष 2022 तक किसानों को दोगुनी आय की सौगात दे सकते हैं।

संभावित प्रश्न

हाल ही में कृषि से जुड़ी कई समस्याओं ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जहाँ एक ओर सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात पर पिछड़ते हुए दिख रही है, वही दूसरी ओर कृषि नीतिओं में व्याप्त कमियों के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव की समस्या देखी जा सकती है। चर्चा कीजिए (250 शब्द)

Recently many problems related to agriculture have attracted the attention of everyone. While on one hand the government seems to be lagging behind doubling the income of farmers till the year 2022, on the other hand the problem of price fluctuations can be seen due to deficiencies in agricultural policies. Discuss. (250 Words)

जल्लीकट्टू : एक प्रश्न

(17 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

''हाल ही में तमिलनाडु के मदुरै जिले में पारंपरिक बैलों के खेल जल्लीकट्टू के दौरान उसके चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। जिसने एक बार फिर से इस खेल को विवादित बना दिया है।'' इस मुद्दे पर अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं 'पायनियर' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''द हिन्दू''
(तमिलनाडु में जल्लीकट्टू)

''तमिलनाडु में जिला प्रशासन के लिए जल्लीकट्टू का विनियमन एक असंभव चुनौती है।''

जल्लीकट्टू के खिलाफ अभियान के शीर्ष पर पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के साथ, बुल-टैमिंग (बैलों को वश में करना) घटना की स्वाभाविक खतरनाक प्रकृति की तुलना में बैलों पर क्रूरता दिखाने पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जो दर्शकों और प्रतिभागियों दोनों को जोखिम में डालता है। तमिलनाडु में पालमदेव और अवारंगुडी के जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के दौरान दो दर्शकों की मौत हो गई, क्योंकि मैदान में दर्शक दीर्घा को अलग करने वाले बाड़ों की संख्या अपर्याप्त थीं।

इसके अलावा, सिरावायाल में मंजुविरातु (जल्लीकट्टू का एक प्रकार) में दो अन्य मारे गए थे, जब बैल को निर्धारित क्षेत्र के बाहर छोड़ दिया गया, जो उचित प्रक्रिया का उल्लंघन था। जाहिर है, पोंगल के दौरान इन वार्षिक आयोजनों में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित की गयी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मृत्यु और चोट को रोकने में नाकाम रही है। 400 से अधिक बैल और लगभग दोगुने प्रशिक्षक को शामिल करने वाली कुछ घटनाओं के साथ, जल्लीकट्टू एक उपद्रवी तमाशा बन गया है, जो अच्छी तरह से निर्धारित योजनाओं को नाकाम करते हुए इसका मजाक उड़ाता है।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, जो पहले जल्लीकट्टू के आयोजनों में कुप्रबंधन के उदाहरणों के दस्तावेजों के सबसे आगे थे, ने अपना रुख बदलकर कार्यालय पदाधिकारियों के बदलाव के साथ स्थानांतरित कर दिया है। एडब्ल्यूबीआई टीम के संयोजक, एस.के. मित्तल, को पालामेदु समारोह में कुछ 'छोटी गलतियों' और 'मानव त्रुटियों' के अलावा ज्यादा कुछ गलत नहीं मिला।

चिंता का विषय, बैल के 'देशी नस्लों' को संरक्षित करने पर था। जल्लीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध के खिलाफ पिछले साल के विरोध के बाद, जब हजारों लोग तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों पर खेल के पुनरुत्थान की मांग करते हुए एकत्र हुए थे, तो अधिकारी पोंगल के दौरान इस खेल की निंदा करने से चिंतित दिख रहे हैं। इनकी भाषा अब रीति रिवाज और परंपरा से जुड़ गयी हैं, जो कि जल्लीकट्टू के प्रति उत्साही लोगों के ही समान है।

जब सुप्रीम कोर्ट ने एएलबीबीआई द्वारा बनाई गई सबमिशन के आधार पर जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसने विनियमित घटनाओं में जानवरों पर क्रूरता को दर्शाता है, तो यह इस आधार पर किया गया था कि नियमों का सुचारू रूप से पालन नहीं किया जा रहा था। सार्वजनिक विरोध और राजनीतिक दबाव के बाद और जल्दी से तैयार कानून की ताकत पर, जल्लीकट्टू अब पोंगल कैलेंडर पर वापस आ गया है। लेकिन जमीन पर कुछ ज्यादा नहीं बदला है।

बेशक, क्षेत्र में जाने से पहले प्रतिभागियों और बैल की जांच की जाती है। अब तक जिला प्राधिकरण घटनाओं को विनियमित करने के बेहतर तरीके खोजने में विफल रहे हैं, लेकिन एक घटना के आकार से ज्यादा, पैमाने ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। संक्षेप में, कुछ दिनों की अवधि के भीतर कई जगहों पर बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, जो असंभव के आगे नियमन कर रहा है। लेकिन हम अभी भी ऐसे उपायों के साथ तैयार नहीं हैं जिससे एक उग्र बैल द्वारा पहुँचाये जाने वाले क्षति को कम कर सके।

''पायनियर''
(परंपरागत नियम)

तमिलनाडु के मदुरै में जल्लीकट्टू समारोह के दौरान एक उग्र बैल के कारण 19-वर्षीय प्रेक्षक की मौत हो गयी और शिवगंगा में इसी कारण से दो और ने अपनी जान गवां दी है, जिसके कारण फिर से संस्कृति संरक्षण बनाम रक्तपात पर विवाद बढ़ गया है। हैरानी की बात तो यह है की यह घटना दर्शक दीर्घा को अलग करने वाले दोहरे बाड़े के बावजूद घटी।

सत्य को बताया जाना चाहिए, जबकि पशु क्रूरता पर बहस ने तमिलनाडु के पशुओं पर क्रूरता रोकथाम (जल्लीकट्टू के आचरण) नियम, 2017 के तहत नियमों का निर्माण किया है, फिर भी यहाँ इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परंपरा में प्रतिभागियों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए कम ध्यान दिया गया है। अच्छी खबर यह है कि इस साल त्योहार में पशु कल्याण बोर्ड ने भाग लेने वाले बैल की स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा करने के साथ आगे बढ़े थे। जो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वे बाहरी उत्तेजनाओं के कारण आक्रामक न हो जाये और यहां तक कि वे उन खिलाड़ियों के लिए भी सजग थे जिन्हें खेल का नियम नहीं पता है, कि बैल को सींग या पूँछ द्वारा नहीं पकड़ना चाहिए।

लेकिन इस जोखिम भरे खेल में भीड़ प्रबंधन स्पष्ट रूप से सावधानीपूर्वक निष्पादन और योजना की मांग कर रहा है। निश्चित रूप से बैल को छोड़ने से पहले किसी को मजबूत बाड़ों के निर्माण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, दीर्घाओं को देखने के दौरान एक भीड़ नियंत्रण और भगदड़ निवारण तंत्र होना चाहिए।

अक्सर दर्शकों की भीड़ काफी अधिक होती है, क्योंकि जब भगदड़ होती है तो वहां से भागने की कोशिश में घायल हो जाते हैं। इस जगह पर मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के साथ-साथ घायल लोगों के लिए 'गोल्डन ऑवर' की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे खेलों में महंगी ट्राफियों की बजाय चरम सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ई. पालानीस्वामी ने बेहतरीन कलाकारों के लिए उपहार के रूप में सभी पर अम्मा के स्टिकर के साथ ब्रांड नई कारों की पेशकश की थी। यह उपहार स्पष्ट रूप से लोगों को यह याद दिलाने के उद्देश्य से थी कि उन्होंने जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध को उखाड़ दिया है और विस्तार से तमिल गौरव और सम्मान को बहाल कर दिया है।

राज्य में एक लोकप्रिय संस्कृति का आकर्षण बनने वाले कॉर्पोरेट्स के साथ, आयोजकों को एक अधिक अनुशासित और संगठित क्षेत्र के लिए संसाधनों को बचाना चाहिए और दुर्घटनाओं को रोकना चाहिए। जल्लीकट्टू के समान ही अमेरिका में रोडियो और स्पेन में बुलफॉइट्स राष्ट्रीय सांस्कृतिक परेड हैं, लेकिन इन्हें सख्त मानकों का पालन करने के लिए जाना जाता है, जिसकी कमी हमारे जल्लीकट्टू में देखी जा सकती है। जल्लीकट्टू के आयोजकों को दर्शकों के विनियमन और प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इस तरह कि घटना को दुबारा होने से रोका जा सके।

जी. एस. वर्ल्ड टीम...

क्या है जल्लीकट्टू?

जल्लीकट्टू बैलों से जुड़ा एक पारंपरिक खेल है। यह तमिलनाडु का लोकप्रिय खेल है। यह तमिल लोगों के बीच पोंगल उत्सव के समय सबसे अधिक पसंदीदा खेल है। यह खेल तमिलनाडु के मदुरई जिले के आलंगनल्लूर तथा पलमेणु नामक स्थान पर संपन्न होता है। तमिल भाषाविदों के अनुसार "जल्ली" शब्द "सल्ली" से बना है, जिसका अर्थ "सिक्का" और कट्टू का अर्थ "बांधा हुआ" है। "जल्लीकट्टू" सांड़ों का खेल है जिसमें उसके सींग पर कपड़ा बांधा जाता है और जो खिलाड़ी सांड के सींग पर बांधे हुए इस कपड़े को निकाल लेता है, उसे ईनाम के रूप में सिक्के या पैसे मिलते हैं। इसलिए इस खेल को जल्लीकट्टू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस खेल में प्रतिभागी सांड के कूबड़ से लटकने का प्रयास करते हैं और जो प्रतिभागी सबसे अधिक समय तक कूबड़ को पकड़ कर लटका रहता है, उसे विजेता घोषित किया जाता है। प्राचीन तमिल संगम में "जल्लीकट्टू" को "एरूथाजहूवुथल" नाम से वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ 'सांड को गले लगाना' है। साथ ही इसे "मंजू विराट्टू" नाम से भी वर्णित किया गया है जिसका अर्थ "सांड का पीछा करना" है। जल्लीकट्टू महोत्सव आम तौर पर पोंगल त्योहार के अवसर पर "मट्टू पोंगल के दिन" आयोजित किया जाता है। यह त्योहार तमिलनाडु के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में भी प्रसिद्ध है।

इतिहास

"जल्लीकट्टू" खेल की शुरूआत तमिल शास्त्रीय काल अर्थात 400-100 ई. पू. के दौरान हुआ था। यह खेल प्राचीन "अय्यर" लोग जो प्राचीन तमिल प्रदेश की "मुल्लै" नामक भाग में रहते थे, के बीच काफी प्रचलित था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक मुहर में इस खेल का चित्र अंकित है, जिसे राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में संरक्षित रखा गया है। मदुरै के निकट लगभग 2500 साल पुरानी सफेद चीनी मिट्टी से निर्मित एक गुफाचित्र की खोज की गई है, जिसमें एक सांड को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति का चित्र अंकित है।

जल्लीकट्टू की शुरुआत के पीछे यह कारण भी प्रचलित है कि प्राचीन काल में पुरुष अपना शारीरिक बल सिद्ध करने के लिए क्रूर सांड़ों के खिलाफ युद्ध का अभ्यास करने के दौरान करते थे। बल प्रदर्शन करने का उद्देश्य समृद्ध महिलाओं को लुभाना था जो इस आजमाइश में से अपना भागीदार चुना करती थीं। समय के साथ यह खेल खेती के दौरान परंपरागत गतिविधि के तौर पर लोकप्रिय हो गया।

जल्लीकट्टू महोत्सव के अंतर्गत तीन तरह के खेल का आयोजन किया जाता है-

1. **वती विराट्टू :** इस खेल में एक सांड को एक बाड़े में छोड़ दिया जाता है और एक निश्चित दूरी और समय में उसे पकड़ने वाले को पुरस्कार दिया जाता है।
2. **वेली विराट्टू :** इस खेल में एक सांड को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है और सांड को वश में करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाता है।
3. **वातं मंजूविराट्टू :** इस खेल में सांड को एक 50 फुट लंबी रस्सी (15 मीटर) से बांधा जाता है और प्रतिभागियों की टीम को एक विशेष समय के भीतर सांड को वश में करना होता है।

जल्लीकट्टू पर रोक लगाने का कारण

इस महोत्सव को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि महोत्सव से पहले सांडो को शराब पिलाई जाती है। साथ ही दौड़ शुरू होने से पहले सांडो को बुरी तरह से मारा जाता है, जिसके कारण जब दौड़ शुरू होती है तो वो गुस्से में बेतहाशा दौड़ते हैं। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए "एनीमल वेल्फेयर बोर्ड ऑफ इंडिया", "पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनीमल्स (पेटा) इंडिया और बंगलुरू के एक एनजीओ ने इस दौड़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई, 2014 को "जल्लीकट्टू महोत्सव" पर रोक लगा दी थी और साथ ही यह आदेश भी जारी की थी कि रोक केवल तमिलनाडु में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लागू होगी। लेकिन केन्द्र सरकार ने जनवरी, 2017 को इस विवादित "जल्लीकट्टू" महोत्सव से रोक हटा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जस्टिस आर एफ नरिमन और जस्टिस दीपक की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि जब एक सांड को 'प्रशिक्षित' किया जाता है, किसी प्रतियोगिता के उद्देश्य से, तो पशु के कल्याण की मूल अवधारणा का विरोध होता है जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की बुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि जल्लीकट्टू पशुओं को न सिर्फ 'अनावश्यक दर्द और पीड़ा' देना है, बल्कि ऐसा कर पीएसी अधिनियम का उल्लंघन भी है, लेकिन आज की तारीख में यह पूरा खेल जिस रूप में मौजूद है, वह प्राचीन समय के सांड को पालतू बनाने के तरीके से कहीं से भी ताल्लुक नहीं रखता। 'सांड़ का कल्याण और भलाई तमिल संस्कृति और परंपरा है। उन्हें किसी प्रकार की सजा या दर्द देने की अनुमति नहीं है।" अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय अधिकार न्यायशास्त्र का हवाला देते हुए मनुष्य केंद्रित विचारों को सुधारने और वास्तव में पशुओं को भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है, पर बल दिया।

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के मुताबिक किसी पशु को आवारा छोड़ने पर तीन महीने की सजा हो सकती है। पशुओं को लड़ने के लिये भड़काना, ऐसी लड़ाई का आयोजन करना या उसमें हिस्सा लेना संज्ञेय अपराध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के मुताबिक किसी पशु को मारना या अपंग करना, भले ही वह आवारा क्यों न हो, दंडनीय अपराध है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 22(2) के मुताबिक भालू, बंदर, बाघ, तेंदुए, शेर और बैल को मनोरंजक कार्यों के लिये प्रशिक्षित करना और मनोरंजन के लिये इन जानवरों का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है।

पशु कल्याण पर सार्वभौम घोषणा (यूडीएडब्ल्यू)

पशु कल्याण पर सार्वभौम घोषणा एक प्रस्तावित अंतर-सरकारी समझौता है, जो जानवरों के प्रति संवेदनशील क्रूरता रोकने के लिए पीड़ा को कम करने और कृषि जानवरों, साथी जानवरों, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में पशुओं, वन्य जीवन और जानवरों के रूप में पशुओं के कल्याण मानकों को बढ़ावा देने के लिए संवेदनशील हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अभी तक इस घोषणा को नहीं अपनाया है और इसका मानना कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।

मॉडल-प्रश्न

जल्लीकट्टू महोत्सव को वैधानिक माध्यम से मंजूरी देकर इसे कानूनी रूप से तो वैध बना दिया गया किंतु नैतिक मूल्यों के आधार पर इसे सही नहीं माना जा सकता। इस पूरे विवाद में निहित नैतिक दुविधाओं (Ethical Dilemmas) के पक्ष-विपक्ष का मूल्यांकन करें। (250 शब्द)

By approving the Jallikattu Festival through legal means, it has been made legally valid but it can not be considered as correct on the basis of moral values. Evaluate the pros and cons of ethical dilemmas contained in this entire dispute. (250 Words)

GS World की नई प्रस्तुति 'दो लेखों का सार एक साथ'...

भारत में शिक्षा का गिरता स्तर

(18 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

''हाल ही में ग्रामीण भारत की शिक्षा बदहाली पर एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट 24 राज्यों के 28 जिलों में किए गए सर्वे के आधार पर तैयार किया गया है। 'द सर्वे फॉर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर रूरल इंडिया' की ये सर्वे रिपोर्ट काफी चौकाने वाली है।'' इस मुद्दे पर अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू'' एवं 'पायनियर' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''द हिन्दू''
(नि:शुल्क, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार)

''नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को 14 से 18 वर्ष के आयु समूह के बच्चों तक बढ़ाया जाना चाहिए।''

वार्षिक शिक्षा की वार्षिक रिपोर्ट (ग्रामीण) 2017 के निष्कर्षों से यदि कोई एक मजबूत संदेश मिला है, तो वह यह है कि बच्चों को नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अधिकार में 18 वर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम को कवर किया जाना चाहिए, न की सिर्फ इसे 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चों तक सीमित करना चाहिए।

गारंटीकृत समावेश 14-18 आयु वर्ग में उन लोगों को सशक्त बनाएगा जो कहीं भी नामांकित नहीं हैं, और यह बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में उनकी मदद करेगा, जो कर्मचारियों की संख्या में उनकी भागीदारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। एएसईआर अध्ययन का अनुमान है कि इस आयु वर्ग के 14%, अर्थात इस श्रेणी में कुल 125 मिलियन युवा भारतीय, नामांकित नहीं हैं। निश्चित रूप से सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करना जरूरी है जो उन्हें कौशल, विशेष रूप से नौकरी से जुड़ी व्यावसायिक क्षमताओं के साथ सुसज्जित करती है, यदि एक जनसांख्यिकीय लाभांश की अपेक्षा सार्थक है तो।

दुर्भाग्य से, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति उत्साहजनक नहीं है। सर्वेक्षण के शुरुआत में केवल 5% उत्तरदाता ऐसे सामने आये जो कि एनजीओ प्रथम द्वारा सहायता प्राप्त कर किसी तरह के व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़े हुए थे और इस छोटे संख्या में भी प्रत्येक तीसरा तीन महीने या उससे कम समय के पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ था।

इसके अलावा, उन लोगों के लिए सीखने के परिणाम जिनके उच्च स्तर के स्कूली शिक्षा में प्रगति हुई थी, वे बहुत कम थे: केवल 43% युवा अंकगणित समस्या को हल कर सकने में सक्षम थे, जिसमें एक अंकों से तीन अंकों की संख्या का विभाजन करना शामिल था और जो स्कूल जा रहे थे, उनकी दशा और भी दयनीय थी।

लगातार पढ़ाई से प्राप्त अंतर्दृष्टि स्कूल में बच्चों के नामांकन में प्रगति की ओर इंगित करता है, लेकिन सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में दयनीय स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसके अलावा, नामांकन के आंकड़े का अर्थ अक्सर उच्च उपस्थिति से संबंधित नहीं होता है।

''पायनियर''
(शिक्षित भारत)

''हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश एक आपदा के रूप में परिवर्तित ना हो जाये।''

ऐसे समय में जब भारत खुद को चीन की तुलना में एक उच्च जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ अगले दशक तक सबसे कम उम्र का राष्ट्र बनने की उम्मीद कर रहा है, उस वक्त एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर), 2017 वास्तव में परेशान करने वाले कारको की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह दर्शाता है कि यह लाभांश वास्तव में अवमूल्यन साबित हो सकता है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि एक विश्वसनीय एनजीओ द्वारा संकलित रिपोर्ट, जो कि 2000 से पाठ्यक्रम में सुधार की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित कर रही है, पहली बार युवा वयस्क वर्ग को कवर किया है और पाया है कि किशोरों में मूलभूत मापदंडों की कमी है, जो उन्हें विशेषीकृत या कौशल के आधार पर सबसे अलग करता है। वास्तव में चिंताजनक तथ्य यह है कि उनमें से 86 प्रतिशत औपचारिक शिक्षा प्रणाली में नामांकित हैं।

14-18 आयु वर्ग में देश के युवाओं में से एक-चौथाई लोग अपनी भाषा आसानी से पढ़ नहीं पाते हैं, जबकि उनमें से 57 प्रतिशत सरल गणित को हल करने के लिए संघर्ष करते हैं। इसके अलावा, बच्चों को भारत का मानचित्र दिखाया गया, जिसमें से 14 प्रतिशत इसे पहचान नहीं सका, 36 प्रतिशत देश की राजधानी का नाम नहीं बता सके और 21 प्रतिशत उन राज्यों को नहीं बता सकते जहाँ वे रहते हैं।

लगभग एक-चौथाई युवा सही ढंग से जोड़ने, वजन मापने या समय देखने में असमर्थ थे। लगभग 60 प्रतिशत ग्रामीण युवाओं ने कभी कंप्यूटर या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया, योग्यता के साधारण से परीक्षण में केवल 54 प्रतिशत ही खाने के पैकेट पर लिखे चार निर्देशों में से तीन ही पढ़ पाए। उसकी कीमत पर छूट देने के बाद केवल 38 प्रतिशत ही नया मूल्य बता पाए।

वहीं, केवल 18 प्रतिशत युवा ही कर्ज चुकाने के प्रश्न को हल कर पाए। जब हम डिजिटल भारत के बारे में विचार कर रहे हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल कक्षाएं खोली जाए। इसके साथ-साथ, भारत के विशाल ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक शिक्षा के गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए।

इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि माध्यमिक स्तर के छात्रों के एक महत्वपूर्ण वर्ग को जूनियर कक्षाओं के मानक पाठ को पढ़ पाना या मानचित्र पर अपने स्वयं के राज्य का पता लगाना मुश्किल है। राज्यों में युवाओं की संख्या पर असंतुलित अंतर व्याप्त हैं, जो स्कूली शिक्षा के स्तर पर मौजूद नहीं हैं, उदाहरण के तौर पर 4.5% और 3.9% क्रमशः केरल जिले की तुलना में छत्तीसगढ़ जिले में 29.4% 17-18 वर्ष के लड़के और लड़कियां स्कूल में दाखिल नहीं हुए है।

एएसईआर डेटा बड़े पैमाने पर डिजिटल डिवाइड को इंगित करता है, जिसमें 61% उत्तरदाता कहते हैं कि उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल कभी नहीं किया है और 56% का कहना था कि उन्होंने कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया है और 73% का कहना था कि उन्होंने मोबाइल का उपयोग नहीं किया है। यहां भी, कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच के मामले में लड़कियों की ही स्थिति ज्यादा बदतर थीं।

इन तक पहुंच बढ़ाने के लिए सभी बच्चों को एक स्कूल, कॉलेज या प्रशिक्षण संस्थान तक पहुंच सुनिश्चित करना होगा। अच्छी शिक्षा सभी व्यय उत्पादकता पर एक गुणक प्रभाव के लिए बाध्य है। यहाँ एक ऐसे दृष्टिकोण की जरूरत है जो आरटीई कानून के उद्देश्यों को एक व्यापक गारंटी में अनुवादित करेगा, जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों को कवर करने के लिए इसका विस्तार किया जायेगा। इससे नीति में व्याप्त कमी दूर हो जाएगी जो आजादी के सात दशकों बाद भी बेहतर उपाय का इंतेजार कर रही हैं।

देश में जहां शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन अभी भी जीड. ीपी का चार प्रतिशत पार नहीं कर पाया है, में प्राथमिक शिक्षा असंतुलित कार्यान्वयन रणनीति का सबसे खराब शिकार है। हमारी नीतियों को ओवरहाल की जरूरत नहीं है, शायद लेकिन उनका निष्पादन निश्चित रूप से होना चाहिए। बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षित शिक्षकों और इंटरैक्टिव उपकरणों की अनुपस्थिति छात्रों के लिए प्रेरणादायक की तुलना में अधिक नकारात्मक है।

ग्रामीण भारत के लिए विशेष रूप से फार्मूले पर आधारित एक पारिस्थितिक तंत्र की बजाए भू-वास्तविकताओं के मूल्यांकन पर आधारित प्रणाली होनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हमारे बच्चों में से 80 फीसदी किसी भी भाषा में अच्छी तरह से पढ़ सकें और लिख सके, तब हमारी समस्याएं कम हो जाएँगी। इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कोई भी पहल करने से पहले सीखने की संस्कृति को विकसित किया जाना चाहिए।

हमें समझने और आवेदन के आधार पर परीक्षण-आधारित मूल्यांकन प्रणाली के संतुलन के बारे में सोचने की जरूरत है जो रटने वाली पारंपरिक मानक को दूर करते हुए विश्लेषणात्मक और अनुकूली योग्यताएं विकसित करने में मदद करेगा। अंत में, ग्रामीण भारत में गुणवत्ता मानकों को मानकीकृत करने के लिए एकल प्राधिकरण के तहत अनिवार्य उपस्थिति और एक निगरानी तंत्र होना चाहिए। इसके बिना, हम अच्छी तरह से मानव संसाधन उत्पादकता के सभी लाभों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

जी. एस. वर्ल्ड टीम...

एनुअल स्टेटस ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट (एएसईआर), 2017

चर्चा में क्यों?

- एक देश के रूप में भारत का लक्ष्य है कि वह विकास का वैश्विक केंद्र बनकर उभरे। इस हवाले से अगर हम हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए जारी हुई एनुअल स्टेटस ऑफ एजूकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) को देखें तो पता चलता है कि यह लक्ष्य हासिल कर पाना कितना मुश्किल काम है। यह सर्वेक्षण 24 राज्यों के 28 जिलों में किया गया है और इसके नतीजे हमारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बेहद निराशाजनक तस्वीर पेश करते हैं।

रिपोर्ट में क्या कहा गया है?

- देश में 14 से 16 साल के बच्चों में करीब-करीब एक चौथाई बच्चे अपनी भाषा को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकते हैं।
- वहीं 57 फीसदी बच्चे को आसान गुणा-भाग भी नहीं आता।
- 14 फीसदी बच्चों को जब भारत का नक्शा दिखाया गया तो उन्हें नक्शे के बारे में कुछ पता ही नहीं है।
- 36 फीसदी बच्चों को अपने देश की राजधानी का नाम नहीं पता।
- 21 फीसदी बच्चों को अपने राज्य के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
- 40 फीसदी बच्चों को घंटा और मिनट के बारे में नहीं पता।
- 44 फीसदी बच्चे किलोग्राम को वजन में नहीं बता पाए।

अन्य सम्बंधित समस्याएं

- इस रिपोर्ट पर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने चिंता जताते हुए कहा- 'ये रिपोर्ट बताता है कि वाकई में ग्रामीण शिक्षा की स्थिति क्या है और हमें इसमें और क्या करने की जरूरत है।' इसके अलावा उन्होंने बताया कि 14 की आयु तक लड़का और लड़की के एडमिशन में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, लेकिन 18 वर्ष तक आते ही 32 फीसदी लड़कियां आगे की पढ़ाई छोड़ रही हैं, जबकि उसकी तुलना में 28 फीसदी लड़के आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे।
- इस सर्वे में दो हजार वॉलिंटियर्स ने 35 पार्टनर संस्थानों के साथ मिलकर काम किया है। इनकी टीम 1641 गांवों के 25 हजार घरों में गए। जहां उन्होंने ने 30 हजार युवा से सवाल किए गए हैं। बच्चों से बहुत ही आसान सवाल किए गए थे। जैसे- पैसे की गिनती, वजन और समय की जानकारी वगैरह। एक चौथाई बच्चे पैसों की गिनती नहीं बता पाए।
- शिक्षा के लिए जिला सूचना केंद्र से मिले आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट बताती है कि कक्षा 8 पास करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2004 के 1.1 करोड़ से बढ़कर 2014 में दोगुनी (2.2 करोड़) हो गई। रिपोर्ट ने सभी पैमानों को 4 क्षेत्रों में बांट दिया था, गतिविधि, क्षमता, जागरूकता और आकांक्षाएं।
- इनमें मूल रूप से नामांकन, गणितीय गणनाएं करना, पढ़ाई की क्षमता, कंप्यूटर का प्रयोग, महत्त्वाकाक्षाएं आदि शामिल हैं। सर्वे में शामिल 74 प्रतिशत युवाओं का बैंक खाता है। 51 प्रतिशत इन खातों का उपयोग रुपया जमा कराने और निकालने में करते हैं। 15 प्रतिशत एटीएम का इस्तेमाल करते थे तो वहीं 5 प्रतिशत से भी कम इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करते हैं।

सिविल सेवा में विगत वर्षों में पूछे गये प्रश्न

भारत में उच्च शिक्षा की गुणता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है। क्या आपके विचार में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च तकनीकी शिक्षा की गुणता की प्रोन्नति में सहायक होगा? चर्चा कीजिए।

The quality of higher education in India requires major improvements to make in internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institutions would help improve the quality of higher and technical educational institutions would help improve the quality of higher and technical education in the country? Dicuss. (2015)

''भारत में जनांकिकीय लाभांश तक तक सैद्धांतिक ही बना रहेगा जब तक कि हमारी जनशक्ति अधिक शिक्षित, जागरूक, कुशल और सृजनशील नहीं हो जाती।'' सरकार ने हमारी जनसंख्या को अधिक उत्पादनशील और रोजगार-योग्य बनने की क्षमता में वृद्धि के लिए कौन-से उपाय किये हैं?

"Demographic Dividend in India will remain only theoretical unless our manpower becomes more educated aware, skilled and creative." What measures have have taken by the government to enhance the capacity of our population to be more productive and employable? (2016)

संभावित प्रश्न

''भारत सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु कई उपायों और नीतियों का क्रियान्वयन किया गया है, लेकिन अभी तक कोई भी नीति इस क्षेत्र में व्याप्त कमियों को दूर करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकी है।'' इस कथन के संदर्भ में सरकारी नीतियों की असफलता के कारणों, देश की शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान कमियों तथा इन कमियों को दूर करने हेतु उचित समाधानों की व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)

"Several measuresand policies have been implemented to improve the education system by the government of India, but no policy has so far been able to overcome the shortcomings in this area. In the context of the above statement explain the Relevant measures to remove the short comings prevalent in the education system of the country and reasons for the failure of the govrnment policies. (250 Words)

सौर-संचालित कृषि की ओर

(19 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-।।। (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

''द हिन्दू''

''भारत को सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए इस तकनीक की क्षमता का फायदा उठाना चाहिए।''

सौर ऊर्जा एक वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा है जो कम लागत और अपनी उच्च क्षमता की वजह से तेजी से मुख्यधारा का विकल्प बनती जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी 2016 में लाल किले से सौर पंपों के बारे में बात की थी। इसमें सिंचाई के लिए सौर की पहुंच बढ़ाने के लिए केन्द्र, राज्य, नागरिक समाज संगठनों और उद्यमों के विचारों की कोई कमी नहीं है। लेकिन, बड़ा सवाल यह है कि भारत को इस प्रभावी तकनीक के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए?

मामले का अध्ययन

महाराष्ट्र प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से, सबस्टेशन स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करके अपने कृषि स्तर को बेहतर बना रहा है। कर्नाटक मौजूदा ग्रिड से जुड़े किसानों के लिए एक नेट-मीटरिंग सिस्टम के तहत सौर पंप को बढ़ावा दे रहा है, जो उन्हें अतिरिक्त आय उत्पन्न करके लाभ प्रदान करता है। पूर्वी राज्यों में जीआईजेड, एक जर्मन विकास एजेंसी, ने सामुदायिक स्वामित्व मॉडल को संचालित किया है, जिसमें सौर पंपों का इस्तेमाल करते हुए पानी के रूप में एक-सेवा प्रदान की जाती है।

विभिन्न दृष्टिकोणों की विविधता और महत्वपूर्ण सरकारी सब्सिडी के बावजूद, वर्ष 2021 तक एक लाख पंपों के लक्ष्य के मुकाबले अभी तक लगभग 1,42,000 पंप तैनात किए गए हैं। 132 मिलियन किसानों और 28 मिलियन मौजूदा सिंचाई पंप वाले देश में ऐसी सीमित मांग, मौजूदा तैनाती के दृष्टिकोण पर प्रतिबिंब की मांग करती है।

भारत में, शुद्ध-बोया क्षेत्र का 53% अभी भी वर्षा-सिंचित पर आधारित है। सौर पंप सिंचाई पहुंच को बढ़ाने, कम कार्बन कृषि अग्रिम, बढ़ते बिजली सब्सिडी के बोझ को कम करने और बदलते माहौल के खिलाफ किसानों के लचीलेपन में सुधार करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन किसानों के दृष्टिकोणों पर विचार किया जाना चाहिए और आर्थिक प्रतिफल को अधिकतम करने के लिए तकनीक की तैनाती करते समय स्थानीय संदर्भ की सराहना की जानी चाहिए।

क्या किया जा सकता है?

ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईई) ने तीन नए शोध अध्ययन प्रकाशित किए हैं। इसमें सरकार को सिंचाई के लिए सौर को बढ़ावा देने के लिए सात प्रकार के उपाय सुझाये गये हैं। सबसे पहला, छोटे सौर पंपों के साथ सीमांत किसानों को लक्षित करें, विशेषकर अच्छे भूजल विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में 1,600 किसानों पर हालिया प्राथमिक सर्वेक्षण से पता चला है कि 60% सीमांत किसान जल खरीदने पर, सिंचाई के लिए सबसे महंगे विकल्प या अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पंपों को किराए पर लेने पर आश्रित है।

दूसरा, खेत और सामुदायिक स्तरों पर सूक्ष्म सिंचाई और जल संचयन हस्तक्षेप के साथ युगल सौर पंप तैनाती है। सिंचाई की कमी एक बड़ी बाधा है, जहाँ 30% किसानों ने एक चुनौती के रूप में सिंचाई के लिए सीमित पानी की उपलब्धता को सबसे बड़ी समस्या बताया है।

तीसरा, देश के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम पांच सौर पंपों पर प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना और तैनात करना। सीईईई रिसर्च से पता चलता है कि इस तरह के प्रयासों से सोलर पंप को अपनाने की इच्छा रखने और मांग को बढ़ावा देने के लिए किसानों की इच्छा पर गहरा असर पड़ेगा। चौथा, विद्युतीय पंपों के लिए पहले से ही अच्छे क्षेत्रों में, अलग-अलग पंपों के सौरीकरण पर प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से फीडर सौरीकरण पसंद करते हैं।

पांचवां, मौजूदा स्थानीय जल बाजार वाले क्षेत्रों में, सामुदायिक स्वामित्व वाले सौर पंप को बढ़ावा देने में सीईईई शोध ने पाया कि संयुक्त स्वामित्व ने 20% किसानों से ब्याज आकर्षित किया, जबकि लगभग 80% किसानों को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर एक समुदाय-स्वामित्व वाली या उद्यम-स्वामित्व वाले सौर पंप से पानी खरीदने में रुचि थी।

छठा, किसान विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों के बीच सौर पंपों को बांटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देश के कई हिस्सों में सोलर, जल साझेदारी के साथ पम्पिंग की शून्य सीमांत लागत को पहले से ही उपयोग में लाया जा रहा है, जो पानी में सीमांत मूल्य के लिए मदद करता है।

सातवां, कम अवधि में सौर पंपों के बड़े पैमाने पर तैनाती को सक्षम बनाने के लिए कम पूंजी सब्सिडी के साथ किसानों को ब्याज-सब्सिडी प्रदान करना। इस तरह के दृष्टिकोण से अधिक से अधिक किसानों को कवर किया जा सकेगा, जिससे उन्हें सौर पंप से होने वाले लाभ जल्द मिल जायेंगे और अर्थव्यवस्था में समग्र रिटर्न में वृद्धि होगी।

ऑन-ग्राउंड अनुभव और अनुसंधान के एक विस्तारित निकाय द्वारा निर्देशित, सरकार को लगातार सुधार और सिंचाई के लिए सौर पर इसके समर्थन तंत्र को नया करना चाहिए। भारत को 2022 तक 100 गीगावॉट सौर और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इस विकेंद्रीकृत तकनीक की क्षमता का फायदा उठाना होगा, साथ ही अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और उसके विकास संबंधी चुनौतियों पर काबू पाने के लिए एक विश्व स्तरीय उदाहरण स्थापित करना होगा।

जी. एस. वर्ल्ड टीम...

क्या है सौर खेती?

- सौर खेती में कृषि या खेती के उपकरणों के लिए सौर ऊर्जा जनित विद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। यह सरल, कम लागत वाली, विश्वसनीय और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने लायक होते हैं। अधिकांश कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली, रोटेटर, रोलर, प्लांटर, स्प्रेयर, ब्रॉडकास्ट सीडर आदि या तो बैटरी पर या पेट्रोलियम ईंधन पर काम करते हैं। सौर खेती में बैटरी ऊर्जा को सौर ऊर्जा से स्थानांतरित कर दिया जाता है, ताकि ग्रीड पावर और गैर नवीकरणीय स्त्रोतों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कम किया जा सके।

सौर कृषि के फायदे

- सौर खेती न केवल पर्यावरण अनुकूल है, बल्कि यह विश्वसनीय और लागत प्रभावी भी है। इनकी बनावट की वजह से इनके रखरखाव का खर्च भी कम है। भारत सरकार भी सौर ऊर्जा से चलने वाली कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देकर और इसके लिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराकर इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। कृषि विशेषज्ञ भी किसानों को सौर ऊर्जा के बारे में निर्देश देकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। जाहिर है अब समय आ गया है, जब भारत की खेती को सौर ऊर्जा के लिए तैयार किया जा सके।

समझौता और भारत का सौर ऊर्जा मिशन

- सबसे पहले सौर ऊर्जा का इस्तेमाल 1958 में उपग्रहों में विद्युत् आपूर्ति करने के लिये किया गया था। बीते छह दशकों में सौर ऊर्जा तकनीक लगातार सुगम और सस्ती होती गई है और आने वाले समय में यह क्रम ऐसे ही जारी रहेगा। पहले सौर ऊर्जा का इस्तेमाल केवल सुदूरवर्ती स्थानों में विद्युत आपूर्ति के लिये किया जाता था।
- विश्व बैंक ने भारत से अरबों डॉलर का अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा समझौता किया है, जिसमें 2030 तक अरबों रुपए का निवेश किया जाएगा। इसमें स्वच्छ ऊर्जा के रास्ते पर बढ़ते भारत के लिए करोड़ों रुपए की मदद का प्रावधान रखा गया है।
- हाँलाकि पहले की तुलना में सौर ऊर्जा की कीमत लगातार गिर रही है, फिर भी विकासशील देशों में इस तरह की फोटोवोल्टिक योजनाओं के लिए वित्तीय समस्या आती है। अब अंतरराष्ट्रीय और ऊर्जा संधि (आई एस ए) में विश्व बैंक की साझेदारी के चलते विकासशील देशों को सौर ऊर्जा के उपकरण विकसित करने, लागत कम करने तथा तकनीकी स्थानांतरण में मदद मिलेगी।
- भारत ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की घोषणा के बाद से नवीनीकृत ऊर्जा उपलब्ध कराने के अपने प्रयास पाँच गुना बढ़ा दिए हैं। कुल 175 गीगावॉट नवीनीकृत ऊर्जा के उत्पादन के भारत अब 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है।
- विश्व बैंक के सहयोग से अब अगर भारत अपने सौर ऊर्जा मिशन को पूरी गंभीरता के साथ चलाए, तो वह दिन दूर नहीं, जब वह सौर ऊर्जा के उपयोग के हासिल कर चुके जर्मनी की तरह ही ऊर्जा संरक्षण की स्थिति में आ जाएगा।
- भारत को सौर ऊर्जा सम्पन्न बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। सौर ऊर्जा में उपयुक्त होने वाले सेल और पैनल के घरेलू उत्पादन के लिए प्रयास करने होंगे। आर्थिक उन्नति को बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा से संबंधित निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने की अत्यधिक आवश्यकता है।
- इस क्षेत्र में छोटे-मोटे निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी क्षेत्र में पारदर्शिता की आवश्यकता होगी।
- ग्रिड को नवीनीकृत ऊर्जा के उत्पादन को प्राथमिकता देने और उनकी समय-समय पर समीक्षा करने की आवश्यकता होगी। साथ ही मौसम के सही अनुमान और कोयले पर निर्भर पारंपरिक संयंत्रों की जगह व्यावहारिक तकनीकी के प्रयोग पर ध्यान देना होगा।
- बैटरी तकनीक में नई खोजें सौर ऊर्जा समझौते में भारत को बहुत लाभ दे सकती हैं।
- सौर ऊर्जा मिशन में रुफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र के प्रसार के लिए सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। ये संयंत्र अपर्याप्त एवं खासे महंगे पड़ते हैं। इसकी बजाय बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र ग्रिड को ऊर्जा देने में समर्थ होते हैं, जिसका व्यापक प्रयोग स्तर पर किया जा सकता है।
- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आई ई ए) का मानना है कि सन् 2030 तक नवीनीकृत संसाधनों से प्राप्त ऊर्जा कोयले से प्राप्त ऊर्जा की अपेक्षा अधिक हो जाएगी।
- सौर ऊर्जा के क्षेत्र में घटती कीमतों के कारण अब भारतीय सौर ऊर्जा मिशन के लिए भी आशा की जा सकती है कि यह वृहद पैमाने पर उत्पादन वाले संयंत्रों को बिना सब्सिडी के चलाने में कामयाब हो जाएगा।

***

संभावित प्रश्न

वर्तमान सरकार पारंपरिक ऊर्जा के घटते स्त्रोतों के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए नए-नए प्रयास कर रही है। किसानों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सौर-संचालित कृषि जैसे प्रभावी तकनीक को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? चर्चा कीजिए। (250 शब्द)

The present government is making new efforts to increase the use of solar energy as an alternative to the decreasing sources of conventional energy. What steps should the present government take to advance the effective techniques such as solar-based agriculture, with the aim of strengthening the situation of farmers? Discuss. (250 Words)

अकेलेपन की समस्या : ब्रिटेन सरकार

(20 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

''हाल ही में ब्रिटेन की थेरेसा सरकार ने अकेलेपन से निपटने और सामाजिक अलगाव से मुकाबला करने के लिए देश के पहले मंत्री को नियुक्त किया है।'' इस मुद्दे पर अंग्रेजी समाचार-पत्र ''हिन्दुस्तान टाइम्स' एवं 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''हिन्दुस्तान टाइम्स''
(अकेलेपन के लिए एक मंत्री)

''जैसा कि दुनिया पहले की तुलना में और अधिक जुड़ गई है, इसने मनुष्यों के बाहर द्वीपों का भी निर्माण किया है; जहाँ सभी तकनीकी रूप से जुड़े जुड़ाव वाले जीवन के आदी हो गए हैं, साथ ही यह पारस्परिक संबंध की तरह नहीं है, जो अब तक मानवता को परिभाषित करता था। यह सामाजिक परिप्रेक्ष्य के रूप में एक स्वास्थ्य चिंता ज्यादा है।''

जैसा कि अभी हाल ही में ब्रिटेन ने अकेलेपन की समस्या को दूर करने के लिए मंत्री की नियुक्ति की है, वैसे ही दुनिया में कहीं और भी इस मुद्दे पर इसी तरह के उदहारण देखने को मिल सकते हैं। अकेलेपन हमारे समय की लगभग स्पष्ट भावना बन गया है। जैसा कि दुनिया पहले की तुलना में और अधिक जुड़ गई है, इसने मनुष्यों के बाहर द्वीपों का भी निर्माण किया है; जहाँ सभी तकनीकी रूप से जुड़े जुड़ाव वाले जीवन के आदी हो गए हैं, साथ ही यह पारस्परिक संबंध की तरह नहीं है, जो अब तक मानवता को परिभाषित करता था। यह सामाजिक परिप्रेक्ष्य में एक स्वास्थ्य चिंता अधिक है। अकेलापन, अवसाद, सामाजिक अलगाव पैदा करने और सामाजिक-विरोधी व्यवहार को भी ट्रिगर करने के लिए जाना जाता है।

यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रिटेन में नौ लाख से अधिक लोग हैं जो हमेशा या अक्सर अकेला महसूस करते हैं। इसके अलावा, सबसे कमजोर समूहों की पहचान की गयी है जिसमें बुजुर्ग, 17 से 25 वर्षीय बच्चे, प्रवासी और शरणार्थी शामिल है। भारत में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2017 में बताया कि कुल आबादी का 4.5% अवसादग्रस्तता विकारों से पीड़ित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय ने 2004 में संकेत दिया था कि भारत में 1.23 मिलियन पुरुष और 3.68 मिलियन महिलाओं अकेले रहती हैं और अकेलेपन से पीड़ित हैं। जो इस बात का सबूत है कि आने वाले वर्षों में इसकी संख्याएं और बढ़ेंगी।

शहरी और ग्रामीण दोनों स्थितियों में, परिवार परमाणु (nuclear) होते जा रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक अकेले रह रहे हैं, अधिक से अधिक युवा लोग काम के लिए घरों से पलायन कर रहे हैं और अकेले रहने वाले नए सामान्य बन गए हैं। ऐसी स्थिति में, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक सरकारी प्राथमिकता बनना चाहिए। मानसिक विकार से जुड़े कुछ सामाजिक कलंक अभी और हैं और अवसाद, अलगाव और अकेलेपन के मुद्दों की मदद के लिए अब भी निषिद्ध माना जाता है। जागरूकता कार्यक्रम और मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार का जोर उस मानसिकता को बदलने और लाखों नागरिकों के जीवन को सुधारने में काफी लंबा साबित होगा। भारत को ब्रिटेन के उदाहरणों का अनुकरण करने और अकेलेपन के मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि इसे अपने स्वास्थ्य सेवा के ढांचे में शामिल किया जा सके।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(ऑल द लोन्ली पीपल)

हर व्यक्ति महाद्वीप का एक टुकड़ा है, लेकिन क्या होगा अगर यह महाद्वीप ही टूट जाये तो?

16 वीं शताब्दी के अंग्रेजी कवि और पादरी जॉन डोंने ने लिखा था कि 'कोई भी व्यक्ति अपने आप में एक द्वीप नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति महाद्वीप का एक टुकड़ा है।' पांच सौ साल बाद, इनके देश ने अकेलेपन के लिए एक मंत्री नियुक्त किया है, जो अपने लोगों के बीच सामाजिक अलगाव की लहर की पहचान करेगा। इस सन्दर्भ में आंकड़े चौंका देने वाले हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि यूके सरकार के अनुसार, नौ लाख नागरिक अक्सर या हमेशा अकेला महसूस करते हैं; 200,000 से अधिक बुजुर्ग लोगों ने एक महीने में अपने किसी मित्र या रिश्तेदार के साथ बातचीत नहीं की है। हांलाकि, इस मामले में केवल ब्रिटेन ही शामिल नहीं है। पिछले साल संयुक्त राज्य के एक पूर्व सर्जन जनरल ने 'अकेलेपन की महामारी' को पहचानने और निपटने के लिए सरकार और कार्यस्थलों से आग्रह किया था।

मानव जीवन हमेशा अलगाव और जुड़ाव; एकांत और एकता के बीच झूलता रहता है। लेकिन 21 वीं सदी में और विशेष रूप से प्रथम विश्व में, बहुत से इंसान अकेले-अकेले रहने लगे, वो भी इस तरह जितने शायद वो कभी ना रहे थे। परिवारों और परिजनों के साथ रहने के बजाय अब कई नागरिक खुद तक ही सीमित हो रहे हैं, खुद को नए-नए गैजेटो के साथ पूरी तरह से खो गये हैं और एक सामान्य नियति से अलग हो गये हैं। भारत में भी, शहरों में बुजुर्गों को युवाओं ने खुद से अलग कर दिया है। काम, प्रौद्योगिकी और सांप्रदायिक जीवन के टूटने की संरचनाओं की पुनर्व्यवस्था के लिए यह पुन: समनुरूप बना हुआ है। इससे नुकसान काफी अधिक है। मेडिकल प्रमाण बताते हैं कि अकेले रहने वाले लोगों को हृदय रोग, मनोभ्रंश, अवसाद और चिंता का खतरा अधिक होता है।

यूके में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक, 'अकेलेपन एक दिन में 15 सिगरेट धूम्रपान करने से भी बदतर है।' यद्यपि एक तरफ बुजुर्ग अलगाव से ज्यादा ग्रस्त हैं, तो दूसरी तरफ युवा, जो मानवीय कहानी में अभूतपूर्व सामाजिक वास्तविकताओं का सामना कर रहे हैं (कार्य का स्वचालन, परिवार व्यवस्था के ढहते और मोहक, 'आभासी जीवन' के नि: शुल्क पतन के लिए) वे भी प्रतिरक्षित नहीं है।

अकेलापन मानव जीवन के खिलाफ हो सकता है, लेकिन यहाँ यह भी है कि पुन: सामाजिक बनने के लिए कोई आसान रास्ता मौजूद नहीं है। विनम्रता में वापस यूके सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों, समुदायों और स्वैच्छिक क्षेत्र के माध्यम से इस समस्या को सुलझाने का प्रस्ताव करती है। निश्चित रूप से यहाँ एक बार फिर से 'महाद्वीप' के टूटे हुए टुकड़े को एक साथ मिलाकर मानव जाति को बचाए रखने की नई कल्पना की आवश्यकता है।

जी. एस. वर्ल्ड टीम...

क्या है पूरा मामला-

- दरअसल ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेनवासियों को अकेलापन से दूर रखने के लिए एक मंत्री को नियुक्त किया है। ये देश के पहले ऐसे मंत्री हैं जो ना सिर्फ लोगों को अकेलेपन से निपटने में मदद करेंगे, बल्कि ऐसे लोग जिन्हें समाज से अलगाव हो गया है उनकी भी मदद करेंगे।

किसे किया गया है नियुक्त-

- ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थेरेसा मे की सराकर ने सिविल सोसाइटी मंत्री ट्रेसी क्राउच को नए मंत्रालय का ये कार्यभार सौंपा है।

क्यों किया गया ऐसा?

- ब्रिटेन सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह मंत्रालय ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी की 41 वर्षीय सांसद जो कॉक्स की याद में बनाया गया है जिनकी जून, 2016 को सरेआम चाकू गोदकर हत्या कर दी गई है। जो कॉक्स ब्रिटेन को यूरोपीय संघ का सदस्य बनाए जाने की समर्थक थीं। साथ ही उन्होंने अकेलेपन से संबंधित समस्याओं को लेकर आयोग नियुक्त करने की भी खूब सिफारिशें की थीं। दुनियाभर में ब्रिटेन सरकार के इस कदम की काफी सराहना की जा रही है।

डिप्रेशन और अकेलापन के लक्षण-

- अगर कोई व्यक्ति छोटी-छोटी बातों पर परेशान रहने लगे, किसी की बात पर उसको सहज विश्वास न हो, किसी से मिलने का मन न करें, रातों में नींद न आए, सोते-सोते अचानक जाग जाए, बहुत ज्यादा थकान महसूस करे, थोड़ा काम करने पर ही थक जाए, काम पर ध्यान न दे पाए, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अकेलेपन या डिप्रेशन का शिकार होता है।

क्या कहते हैं आंकड़े-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के ताजा अनुमानों के मुताबिक, दुनियाभर में 30 करोड़ से अधिक लोग डिप्रेशन से ग्रस्त हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, डिप्रेशन से ग्रस्त लोगों की संख्या 2005 से 2015 के दौरान 18 फीसदी से अधिक बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक, अकेलेपन और डिप्रेशन के कारण हर साल हजारों की संख्या में लोगों की मौत होती हैं।
- एक अन्य शोध के अनुसार, करीब 9 मिलियन लोग अकेलेपन अथवा अवसाद से ग्रस्त है, जिसमें करीब 2,00,000 बुजुर्ग अपने दोस्तों अथवा रिश्तेदारों के साथ एक महीने में बात भी नहीं कर पाते और 18 से 34 आयुवर्ग के करीब 85 फीसदी विकलांग युवा अकेलेपन से ग्रस्त हैं।

तकनीक भी है एक वजह-

- सोशल मीडिया और गैजेट्स का बढ़ता इस्तेमाल भी अकेलेपन का कारण बनता जा रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेलेपन से निपटने के लिए सोशल मीडिया और दूसरे गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनके ज्यादा इस्तेमाल से अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। शुरुआत में जब कोई सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो आभासी दुनिया में उसके दोस्त बनने लगते हैं, उसका आभासी दायरा बढ़ने लगता है लेकिन धीरे-धीरे ये कम होने लगता है। इस बीच के वक्त में लोग अपनी असली दुनिया के लोगों से कट जाते हैं और दोबारा उनसे घुलना-मिलना उनके लिए आसान नहीं हो पाता, ऐसे में लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं।

संभावित प्रश्न

अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जो निरपेक्ष है, ये किसी के साथ भी कभी हो सकती है। इस कथन के सन्दर्भ में ब्रिटेन द्वारा अपनाये गये नीति की संक्षिप्त चर्चा करते हुए भारत में व्याप्त ऐसी समस्याओं के समाधान हेतु तर्कसंगत उपाय सुझाए। (250 शब्द)

Loneliness is a state that is absolute, it can happen to anyone at any time. While briefly discussing the policy adopted by Britain in the context of this statement, suggest the rational measures to solve such problems in India. (250 Words)

लाभ का पद : एक प्रश्न

(22 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

''हाल ही में 'लाभ के पद' के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। सरकार ने इन विधायकों की सदस्यता रद्द किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग का यह फैसला दिल्ली की सत्तारुढ़ पार्टी के लिए बड़ा झटका है।' इस मुद्दे पर अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू' एवं 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''द हिन्दू'' (लाभ और नुकसान : आप के विधायकों की अयोग्यता)

''आप के विधायकों की अयोग्यता एक कानूनी प्रश्न है, राजनीतिक नहीं''

राजधानी दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने लाभ के पद के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रपति से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। तो दूसरी तरफ पार्टी ने दावा किया है कि उसे सुनवाई से वंचित किया गया है और इस कार्रवाई के पीछे इन्होने राजनीतिक उद्देश्य का आरोप लगाया है। इन्होने मुख्य चुनाव आयुक्त के सेवानिवृत्ति के ठीक पहले, इस निर्णय के समय पर सवाल उठाया है। राजनीतिक खलनायक के आरोप के बावजूद, चुनाव आयोग के फैसले को सही तरीके से कानूनी आधार पर तय किया जाएगा।

अदालतों को इस सवाल पर फैसला करना होगा कि क्या संसदीय सचिव का पद, जो इन विधायकों के पास था, एक 'लाभ के पद' का मामला है? वे यह भी जांच कर सकते हैं कि क्या इसमें स्वाभाविक न्याय का कोई उल्लंघन है या नहीं? मार्च 2015 में 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 में इन नियुक्तियों को एक तरफ अलग रख दिया था, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसकी मंजूरी नहीं दी थी।

चुनाव आयोग ने एक अधिवक्ता द्वारा शिकायत पर विचार करते हुए यह फैसला लीया है जहाँ अधिवक्ता द्वारा यह शिकायत की गयी थी कि ये विधायक इन पदों के लिए अयोग्य है और उन्होंने यह तर्क दिया कि ये 'लाभ के पद' का मामला हैं।

लेकिन मुख्य सवाल यह है कि क्या वास्तव में यह लाभ के पद का मामला था, इसके बाद भी दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि संसदीय सचिव किसी भी पारिश्रमिक या लाभ के पात्र नहीं होंगे। संबंधित मंत्रालयों में सरकारी उपयोग और कार्यालय अंतरिक्ष के लिए सरकारी परिवहन का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। चुनाव आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में दिया और फिर राष्ट्रपति ने इस पर कार्रवाई की।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार करे, तो यह फैसला लेना कि क्या कोई पद लाभ का पद है या नहीं, यह पूरी तरह से सरकार की भूमिका है कि वह संबंधित व्यक्ति को किस प्रकार नियुक्त करे और उसे भुगतान करे। जया बच्चन के मामले में, अदालत ने कहा कि यह लाभ का पद है, भले ही किसी को वास्तव में भुगतान हुआ हो या नहीं; यह पर्याप्त था अगर कुछ वेतन 'प्राप्य' थे।

''इंडियन एक्सप्रेस'' (अनुचित प्रक्रिया)

''चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित करना असंगत और परेशान करने वाली एक घटना है।''

चुनाव आयोग (ईसी) की बाध्यकारी सिफारिश पर रविवार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा आम आदमी पार्टी (एएपी) के 20 विधायकों को अयोग्य करार देना कई सवाल उठाते हैं। आम आदमी पार्टी और कुछ पूर्व चुनाव आयुक्तों ने जिस तरह इन विधायकों को योग्य ठहराया है उस तरीके को गलत करार दिया है।

2015 में दिल्ली सरकार द्वारा 'लाभ का पद' आयोजित करने के लिए अयोग्य घोषित विधायकों को दिल्ली सरकार द्वारा विधायी सचिवों के रूप में नियुक्त किया था। 2016 में, उच्च न्यायालय ने इन नियुक्तियों को एक तरफ अलग रख दिया और जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष याचिका दायर की थी, जहाँ अब यह मामला व्यर्थ सिद्ध हो गया है। 23 जून, 2017 को, हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा था कि चूँकी विधायकों ने नियुक्ति के समय भी पद संभाल रखा था, इसलिए यह मामला जारी रहेगा।

लेकिन, पिछले साल जून से इस मामले की सुनवाई नहीं हुई है। राजस्थान और कर्नाटक जैसे कई राज्यों में संसदीय सचिवों के रूप में विधायकों की नियुक्ति की अनुमति है। हालांकि, चुनाव आयोग के फैसले के पीछे एक उदाहरण दिया गया है: जया बच्चन को यूपी फिल्म डेवेलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष के पद पर होने के कारण राज्य सभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और साथ ही वर्ष 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे अयोग्य ठहराया था।

लेकिन इस मामले में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में उन्हें संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम, 1956 में संशोधन द्वारा छूट दी गई। दिल्ली विधानसभा ने भी संसदीय सचिवों की छूट बढ़ाने के लिए 2015 में दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यता हटाने) अधिनियम में संशोधन करने की कोशिश की थी। हालांकि, इस संशोधन को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था - दिल्ली विधानमंडल द्वारा पारित बिलों को 'कानूनी' शक्ति नहीं प्राप्त है, जब तक कि इसे लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्र द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

रमन बनाम पी.टी.ए. रहीम मामले में, अदालत ने कहा कि केवल वे पद जो वित्तीय लाभ देने में सक्षम हैं, जो प्रतिपूर्ति भत्ता से अलग हैं, लाभ के पद होंगे। यह वास्तव में सच है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार राजनीतिक रूप से वंचित है, क्योंकि राज्य सरकारों के विपरीत यह लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति के बिना कई फैसले नहीं ले सकता है।

राष्ट्रपति ने लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बिना इसे पारित कानून के लिए स्वीकृति नहीं दी। हालांकि, श्री केजरीवाल को बढ़ती धारणा को ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि कई न्यायिक निर्णयों में स्पष्ट है कि संसदीय सचिव पद मंत्रालयों के आकार पर संवैधानिक सीमा के आसपास रहने का एक तरीका है। वे विधायकों की पदों की नियुक्ति न करके विवाद से बच सकता था, जिसमें कार्यकारी भूमिका थी।

निश्चित रूप से चुनाव आयोग का फैसला कानून की भावना के अनुसार है या नहीं, यह अदालत को सुनिश्चित करना है। लेकिन तत्काल बहस से परे, दो विवादास्पद संवैधानिक सिद्धांतों की ओर से एक बड़ा सवाल है जो 2015 से दिल्ली की राजनीति में नियमित अंतराल पर खेला जाता रहा है: कानून का पत्र और निर्वाचित विधानसभा की भूमिका।

अधिकांश अन्य राज्यों में, विधायिका द्वारा एक अधिनियम ने 'लाभ के पद' का मुद्दा सुलझाया होगा। अनुच्छेद 239 एए, जो केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच शक्तियों के वितरण के बारे में बताता है, विवादित बना हुआ है, हालांकि उच्च न्यायालय ने एलजी के पक्ष में ही फैसला सुनाता आया है। इस संदर्भ में, ईसी, जिसे एक निष्पक्ष आचरण करने वाले संस्था के रूप में जाना जाता है, उसकी कार्रवाई अत्यधिक असंगत मालूम पड़ती है।

जी. एस. वर्ल्ड टीम...

क्या है पूरा मामला?

- राजधानी दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य करार दिया गया है। एक तरफ चुनाव आयोग ने लाभ के पद के उल्लंघन के मामले राष्ट्रपति से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी।

'लाभ के पद' का अर्थ

- 'लाभ के पद' का मतलब उस पद से है जिस पर रहते हुए कोई व्यक्ति सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा लेने का अधिकारी हो। ओहदे के हिसाब से संसदीय सचिव का कद किसी राज्य के मंत्री के बराबर होता है और इसलिए उन्हें मंत्री जैसी सुविधाएं भी मिल सकती हैं, **जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 (1) (अ) कहता है कि** सांसद या विधायक किसी भी ऐसे अन्य पद पर नहीं हो सकते, जहां वेतन, भत्ते या अन्य दूसरी तरह के फायदे मिलते हों।
- **वहीं, संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ए) के अनुसार,** अगर कोई विधायक किसी लाभ के पद पर पाया जाता है तो विधानसभा में उसकी सदस्यता अयोग्य ठहराई जा सकती है। **जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 9(अ) के तहत** भी सांसदों और विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है।
- विशेषज्ञों का कहना है कि संविधान में इस अनुच्छेद को रखने का उद्देश्य विधानसभा को किसी भी तरह के सरकारी दबाव से मुक्त रखना था, क्योंकि अगर लाभ के पदों पर नियुक्त व्यक्ति विधानसभा का भी सदस्य होगा तो इससे वह प्रभाव डालने की कोशिश कर सकता है।
- संविधान में कहीं भी लाभ का पद परिभाषित नहीं किया गया है। संविधान इस शब्द का केवल प्रतिषेधक अर्थ में **अनुच्छेद 102, 171, 64, 65** तथा अन्य कई स्थानों पर उल्लेख करता है। **संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अनुसार** कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना, संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।
- राज्य विधानसभा की सदस्यता के संदर्भ में अनुच्छेद-191 समान रोक लगाता है। यहां तक कि भारत के राष्ट्रपति पर भी अनुच्छेद 58 व 59 के अंतर्गत तथा उपराष्ट्रपति पर अनुच्छेद 66(4) के अंतर्गत समान रोक लगाई गई है।

कुछ अन्य संबंधित मामले

लाभ के पद के संदर्भ में भारत में कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है। ऐसे में न्यायालय की भूमिका उल्लेखनीय हो जाती है-

- **गोविन्द बसु बनाम् संकरी प्रसाद गोशाल मामले में** गठित संविधान पीठ ने लाभ के पद के संदर्भ में कई कारक निर्धारित किए हैं। जैसे- नियुक्तिकर्त्ता, पारितोषिक या लाभ निर्धारित करने वाला प्राधिकारी, पारितोषिक के स्रोत आदि।
- **अशोक भट्टाचार्य बनाम् अजोय बिस्वास मामले में** निर्णय देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिये प्रत्येक मामले को उपयुक्त नियमों और अनुच्छेदों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए।

अब आगे क्या होगा?

- इस कदम से 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा की 20 सीटों के लिए उपचुनाव कराना पड़ेगा। वर्तमान में आधिकारिक तौर पर आप के 66 सदस्य सदन में हैं। अन्य चार सीटें बीजेपी के पास हैं। अगर 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाता है, तो सत्ताधारी दल के पास अब भी दिल्ली विधानसभा में बहुमत बना रहेगा।

संभावित प्रश्न

हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा 'लाभ के पद' के उल्लंघन के मामले में 20 विधायाकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस कथन के सन्दर्भ में 'लाभ के पद' की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्त्व को बताएँ एवं इस संबंध में न्यायालय की भूमिका का उल्लेख करें। (250 शब्द)

Recently in the matter of violation of 'office of profit', 20 MLAs have been disqualified by the President. Explain its importance while explaining the concept of 'office of profit' in the context of this statement and mention the role of the court in this regard. (250 Words)

ट्रिपल तलाक : एक प्रश्न

23 जनवरी, 2018

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

''हाल ही में तीन तलाक को अपराध ठहराने वाला बिल राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते यह अभी तक अधर में ही लटका हुआ है।'' इस मुद्दे पर अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू' एवं 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

ट्रिपल तलाक का धर्म से कोई संबंध नहीं

द हिन्दू

ट्रिपल तलाक का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। सुन्नी और भाजपा के नेता दोनों ट्रिपल तलाक को इस नजरिये से देखने में असफल रहे हैं कि वास्तव में यह है क्या: पत्नी का असंगत तरीके से त्याग करना।

तीन तलाक के मुद्दे के आसपास व्याप्त समस्याओं के लिए राजनीतिक दलों को दोष देना काफी आसान है। लेकिन ऐसा करने से पहले, हमें इस मामले को दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए जहाँ ऐसा लगता है कि यह राजनीतिक हेरफेर नहीं है जो पहले आया; ट्रिपल तलाक पहले से मौजूद था। क्योंकि क्या आप सचमुच किसी दूसरे को अपने घर में पत्थर फेंकने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं, जब खुद आपके ही छत में सुराख हो?

यह सच है कि केवल मुस्लिम पुरुषों का एक मामूली प्रतिशत ही तीन तलाक का प्रयोग करता है, लेकिन अभी भी पीड़ित महिलाओं की संख्या हजारों में है। इसके लिए कानूनी, राजनीतिक या सामाजिक रूप से कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, क्योंकि शिया अपने विवेक के साथ इसे स्वीकार करते हैं।

दुर्भाग्य से इस मामले में एक रचनात्मक शब्द को खारिज करते हुए (और, एक बार फिर, इतिहास की प्रगतिशील पक्ष पर खुद को स्थान देने में नाकाम रहे), तथ. ाकथित भारत में सुन्नी नेतृत्व का एक हिस्सा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार द्वारा तीन तलाक को रोकने के लिए एक कानून को पारित करने के प्रयास का विरोध करने के लिए अब कई अन्य आपत्तियों का सहारा ले रहे है, जिनमें से कुछ उचित हैं और जिनमें से कई अनुचित हैं।

आपत्तियों के इस अपवित्र मिश्रण ने मुसलमानों को भी उलझन में डाल दिया है जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ थे। निश्चित रूप से यह संदेह समय के साथ समाप्त हो जायेगा, लेकिन यह गलत नहीं है: यदि कई मुस्लिम नेता इस समस्या का निदान करने में असफल रहे हैं, तो कई भाजपा नेताओं और (अधिकतर बार) उनके कार्यकर्ताओं ने मुसलमानों और सभी मुस्लिमों के पसंद को तुच्छ करार दिया है।

कानून की आवश्यकता: मुसलमानों के बीच इस सन्दर्भ में संदेह के कारणों के बावजूद, इस मुद्दे पर कानून बनाने की आवश्यकता है। तथ्य यह भी है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक कानून बनाए बिना यह समाप्त होने वाला नहीं है। शायद इस समस्या के समाप्त होने की एक संभावना हो सकती थी, यदि सुन्नी नेताओं द्वारा इस समस्या को सार्वजनिक रूप से हल करने की कोशिश की गयी होती तब। लेकिन इन्होने इस मौके का लाभ नहीं उठाया और फिर सरकार के पास इसके खिलाफ कानून पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून नहीं है। यह सिर्फ एक कानून है जो पत्नी को समान अधिकार सुनिश्चित प्रदान करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक पति उचित कानूनी व्यवस्था से दूर जाकर अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता। इन अधिकारों में, भारत की तरह एक जगह पर वित्तीय रखरखाव केंद्रित है, जहां अक्सर पत्नियां काम नहीं करतीं (पत्नियां घर पर काम करती हैं, लेकिन बिना पारिश्रमिक) या उनकी कमाई उनके पतियों द्वारा विनियोजित होती है।

तथाकथित सुन्नी नेताओं की ओर से सबसे बड़ी असफलता एक बड़ी सामाजिक समस्या का एक हिस्सा है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं: यह केवल असंगत तरीके से पत्नी का त्याग करना है। लेकिन इस मामले को खुद के अपने भगवा-रंग वाले चश्मे (सुन्नी नेतृत्व के हरे-रंग के खिलाफ) के माध्यम से देखते हुए, भाजपा सरकार भी ट्रिपल तलाक को सही नजरिए से देखने में नाकाम रही है, जो अन्य रूपों में और अन्य समुदायों में भी मौजूद है। यह एक कड़वा सच है कि मुस्लिम पत्नियों को ट्रिपल तलाक के माध्यम से तलाक देने के मुकाबले हिंदू पत्नियों को उनके हिंदू पतियों द्वारा बिना तलाक के छोड़ दिया है।

ट्रिपल तलाक पर दोगुना खतरा

टाइम्स ऑफ इंडिया

हाल ही में तीन तलाक को अपराध ठहराने वाला बिल राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते यह अभी तक अधर में ही लटका हुआ है। सरकार ने सत्र के दौरान 3 साल की सजा घटाने का संकेत दिया था। वहीं लेफ्ट पार्टियों की इस बिल को लेकर मांग रही कि इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए।

ट्रिपल तलाक को लेकर चल रहे विवाद में भाजपा ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल अपने वोट बैंक के लिए महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने से रोक रहे हैं। कांग्रेस और अन्य दलों ने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए पर्याप्त सुविधा मुहैया कराने में असफल रही है। कहीं न कहीं यहाँ अपराधीकरण की औपचारिक अस्वीकृति थी, लेकिन सभी बयानों का बिना सार्थक तर्क के एक अपना मुख्य कारण था।

हालांकि, एनडीए सरकार के कानून ने ट्रिपल तलाक को फिर से नया रूप देने का ऐलान किया है। किसी भी तरह से, तालाक को तीन बार बोलने का कोई भी कानूनी परिणाम नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी चीज पर आपराधिक दायित्व को लागू करने का कोई मतलब नहीं होता है जिसके पास कोई कानूनी परिणाम नहीं है।

यहां तक कि अगर किसी नीति के निर्णय के रूप में यह महसूस किया जाता है कि इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो आपराधिक दोषपूर्णता का सहारा लिए बिना भी समाधान किया जा सकता है। इसका अन्य आपराधिक कृत्यों के साथ तुलना करना अर्थहीन है, क्योंकि इस तरह के प्रत्येक मामले में एक परिणाम है।

अच्छी सार्वजनिक नीति के मामले के रूप में, आपराधिक कानून को नागरिकों के निजी जीवन में घुसपैठ नहीं करना चाहिए, जब तक कि इसमें शारीरिक हिंसा जैसी कोई समस्या सामने नहीं आये। एक शादी के बाद क्रूरता के कई कारण तलाक के लिए पर्याप्त होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए योग्य नहीं होते हैं। इसके लिए एक अच्छा कारण होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सभ्य समाज पारिवारिक घर में किसी अन्य द्वारा निगरानी रखने की अनुमति नहीं दे सकता है।

वास्तव में शोर और भाषण बाजी महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, क्योंकि इस मामले में सरकार को मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986 के द्वारा दिए गए लाभ और संरक्षण को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए था। यदि ऐसा हो, तो कम से कम एक ईमानदार बहस होगा और फिर सही दृष्टिकोण को जीतने का मौका मिलेगा।

पति द्वारा परित्याग: यह ध्यान देने वाली बात है कि पत्नी का परित्याग, किसी विवाहित जोड़े (हिंदू, मुस्लिम, या कोई अन्य धर्म के हो) का तलाक के बिना अलग रहने के निर्णय के समान नहीं है। पत्नी के परित्याग में पत्नी से अलग रहने के लिए पति द्वारा पत्नी को कानूनी और पारस्परिक रूप से बातचीत के रखरखाव प्रदान किए बिना एक तरफा निर्णय शामिल होता है। ट्रिपल तालक इस तरह के एक मनमानी तलाक का एक रूप है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पत्नी का परित्याग करने का यही एकमात्र रूप है।

यदि तीन तलाक को पत्नी के परित्याग के प्रकार के रूप में देखा जाता है, तो सरकार वर्तमान प्रस्ताव से बेहतर कानून बना सकती है। प्रस्तावित कानून वास्तव में तलाक को प्रभावित करने के रूप में तिहरा तलाक को मानते हैं, जबकि आपराधिक प्रतिबंधों के साथ पति को दंडित करते हुए यह अयोग्य है और पत्नी को वास्तविक संरक्षण नहीं प्रदान करता है इसके बजाय, तिहाई तलाक को सभी समुदायों के अन्य संस्करणों के साथ-साथ पत्नी परित्याग का एक प्रकार माना जाना चाहिए।

यह एक प्रभावी तलाक के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन पति और पत्नी के लिए आधार पर छोड़ने के लिए अपने पक्ष में तलाक प्राप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल कानूनों के माध्यम से अपने आप में कानूनी तलाक के मामले में परिवर्तित हो जाना चाहिए, जो पति पर जोड़े गए दंड के साथ पत्नी के पक्ष में तलाक की शर्तों को लागू कर सकती है।

जैसा कि पुरुष अपनी आर्थिक जिम्मेदारी से बचने के लिए केवल ट्रिपल तलाक और पत्नी के त्याग के अन्य रूपों का सहारा लेते हैं, अनावश्यक अपराधीकरण के मुकाबले यह एक बहुत अधिक प्रभावी पाठ्यक्रम होगा।

कोई कानून निर्विवाद नहीं है। हत्या के खिलाफ भी कानून का दुरुपयोग किया जाता है और वे हत्या की घटनाओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं। कोई भी निस्संदेह कानून या गैर-दंडात्मक कानून की मांग नहीं कर सकता है, लेकिन एक व्यापक और निष्पक्ष कानून की अपेक्षा करने का अधिकार प्रत्येक को है।

निश्चित रूप से इस पर रोक लगाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए मुस्लिम समाज को खुलकर आगे आना होगा। महिलाएं तो खुलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आ गई हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान पुरुष इस लड़ाई में उनके साथ नहीं दिख रहे। किसी भी समाज में सुधार या बदलाव समाज के भीतर से हो तो बेहतर है।

जी०एस० वर्ल्ड टीम...

पृष्ठभूमि

- कुछ महीने पहले जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक करार देते हुए इसे इस्लाम विरोधी बताते हुए स्पष्ट किया था कि वह धार्मिक दायरे में दखलंदाजी किये बिना इस कुप्रथा को मजहबी कानून का हिस्सा नहीं मानता। इसके बावजूद यह कुप्रथा जारी है जिसे रोकने के लिये सरकार एक कठोर कानून लाने पर विचार कर रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था?

- उत्तराखंड में काशीपुर की रहने वाली शायरा बानो ने मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम,1939 को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह कानून मुस्लिम महिलाओं को दो शादियों से बचाने में असफल रहा है।
- इस तथा अन्य याचिकाओं पर 22 अगस्त, 2017 को दिये गए अपने 395 पृष्ठीय 3-2 के बहुमत से दिये गए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने एक ही बार में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) बोलकर वैवाहिक संबंध विच्छेद कर लेने वाले लगभग 1400 साल पुराने विवादास्पद मुस्लिम रिवाज को समाप्त करने के पक्ष में फैसला दिया था।
- इसी के साथ न्यायालय ने शरीयत कानून, 1937 की धारा-2 में दी गई एक बार में तीन तलाक की मान्यता को रद्द कर दिया था।
- तब देश की सबसे बड़ी अदालत ने वर्ष 2002 में शमीम आरा मामले का हवाला देते हुए कहा था कि कुरान में इसका जिक्र नहीं है; और जो बात धर्म के अनुसार ठीक नहीं है, उसे वैध कैसे कहा जा सकता है? उल्लेखनीय है कि शमीम आरा मामले में भी 'तीन तलाक' को अवैध माना गया

क्यों जरूरी है कानून?

- इस मुद्दे पर यूँ तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही संदेश देने को पर्याप्त है, लेकिन फिर भी इसे और मजबूती देने के लिये कानून बनाना भी जरूरी है।
- जब संविधान पीठ में इस मुद्दे पर सुनवाई चल रही थी तब सरकार ने कहा भी था कि यदि अदालत तीन तलाक को अवैध ठहराएगी तो वह जरूरत पड़ने पर इसके लिये अलग से कानून बनाएगी।
- संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है।
- इस निर्णय के बाद सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह मुस्लिमों के लिये कुरान-आधारित फैमिली लॉ बनाए, जैसा 1950 के दशक में हिंदू परिवारों के लिये बनाया गया था।

इन देशों में बैन है तीन तलाक

- विश्व में सबसे पहले मिस्र में 1929 में वहां की अदालत ने तीन तलाक को असंवैधानिक बताया था। इसी वर्ष सूडान की अदालत ने भी तीन तलाक को बैन कर दिया था। 1947 में भारत से अलग हुए पाकिस्तान ने 1956 में तीन तलाक पर रोक लगा दी थी और 1971 में पाकिस्तान से टूटकर अलग हुए बांग्लादेश ने 1985 में संविधान में संशोधन कर तीन तलाक को बैन कर दिया था। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के अलावा इराक, सीरिया, साइप्रस, जॉर्डन, अल्जीरिया, ईरान, ब्रुनेई, मोरक्को, कतर, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, तुर्की और यूएई में भी तीन तलाक पर रोक है।

प्रस्तावित कानून का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देना है। तीन तलाक पर कानून बनने से जो महिलाएँ परेशान हैं या जिनका अहित हुआ है, उनको न्याय मिल सकेगा।
- सरकार मौजूदा दंड प्रावधानों में संशोधन करने पर भी विचार कर रही है, जिसके तहत अगर कोई तीन तलाक देता है तो वह अपराध होगा। इसके लिये सजा का प्रावधान इसलिये रखे जाने की बात है ताकि तीन तलाक पर पूरी तरह से रोक लग सके।
- तलाक-ए-बिद्दत अर्थात तीन तलाक की पीड़िताओं की शिकायत निवारण के लिये फिलहाल पुलिस के पास कोई विकल्प नहीं है, इसीलिये दंडात्मक प्रावधानों के अभाव में पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। कानून बन जाने के बाद मुस्लिम महिलाएँ इस मुद्दे से जुड़ी समस्याओं को लेकर पुलिस के पास जा सकेंगी।
- इस मुद्दे पर कानून बनाने के पीछे सरकार एक तर्क यह भी देती है कि तीन तलाक का चलन केवल अशिक्षित पुरुषों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक और शिक्षित कहलाने वाले भी इसका प्रयोग करते हैं।

संभावित प्रश्न

हाल ही में तीन तलाक को अपराध ठहराने वाला बिल राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते यह अभी तक अधर में ही लटका हुआ है। सरकार द्वारा प्रस्तावित इस कानून का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए बताये कि यह पहल महिलाओं के नैसर्गिक मानवाधिकारों को मजबूत करने की दिशा में कितनी महत्त्वपूर्ण साबित होगी? चर्चा कीजिये।

Recently, the bill to commute the three divorces was presented in the Rajya Sabha, but due to opposition from the opposition, it is still hanging in the balance. Explaining the purpose of this law proposed by the government, how will this initiative prove to be crucial in strengthening the natural human rights of women? Discuss.

किसानों की दोगुनी आय : वर्ष 2022

(24 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

''हाल ही में कृषि से जुड़ी कई समस्याओं ने सबका ध्यान अपनी ओर आर्कषित किया है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए वर्तमान सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है, किन्तु इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार को कई बाधाओं का समाधान पहले करना होगा।'' सरकार के इस लक्ष्य के समक्ष आने वाली समस्याओं के संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''लाइव मिंट' एवं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''लाइव मिंट''
(सरकार कैसे किसानों की आय को दोगुनी कर सकती है?)

''किसानों को सब्सिडी और मूल्य समर्थन के बजाय संरचनात्मक सुधार, फसल विविधीकरण और अधिक सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है।''

भारतीय कृषि को ढांचागत सुधारों से अपेक्षाकृत अलग-अलग कर दिया गया है जो अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों में आय को बढ़ाता है। कम कृषि उत्पादकता का मतलब है कि सरकार किसानों की समस्या मूल्य नीति के माध्यम से सुधारने की कोशिश कर रही है। समस्या यह है कि उच्च समर्थन की कीमतों के जरिए व्यापार के संदर्भ में बदलाव की वजह से इंजीनियरिंग आम तौर पर सामान्यीकृत मुद्रास्फीति की ओर जाता है और बिलकुल इसी तरह की समस्या मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली दो कार्यकाल के दौरान देखी गयी थी।

नरेंद्र मोदी सरकार को एक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य कीमतों के पतन ने किसान आय को नुकसान पहुंचाया है। नीति आयोग के रमेश चंद ने अनुमान लगाया है कि पिछले पांच वर्षों में किसानों की वास्तविक आय 1.36% कम हो गई है। यदि कीमतों को ऊपर उठाया जाता है तो इससे हाल की व्यापक आर्थिक स्थिरता को खतरे में आ जाएगी, लेकिन कोई भी लोकतांत्रिक सरकार ग्रामीण इलाकों में व्याप्त दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सकती है। यही कारण है कि लक्ष्यों को सुधारों को ध्यान में रख कर बदलाव करना पड़ता है, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ जाती है।

अशोक दलवाई समिति की हालिया रिपोर्ट, जो किसानों की आय को दोगुनी करने पर केन्द्रित है, पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। समाधान को चार व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात भूमि, बाजार तक पहुंच, उत्पादकता में वृद्धि और उच्च उपज वाले फसलों और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए विविधता।

भूमि के साथ शुरूआत करते हैं। यह हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत में भूमि धारण छोटे और खंडित रूपों में मौजूद हैं, जिनमें से 86% 2 हेक्टेयर से भी छोटा है। आधुनिक उपकरणों के उपयोग के लिए ये आंकड़े बहुत छोटा हैं, किसानों को उधार देने के अनौपचारिक स्रोतों पर भरोसा करना पड़ता है और वे मौसम की अनियमितता और उनके उपज के लिए अस्थिर कीमतों के अधीन होते हैं। छोटे किसान, जो पहले से ही बहुत गरीब हैं, उन्हें जितना चाहें उतना अधिक जोखिम उठाना पड़ता है।

इसी समय, विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि किसी भी समय, कृषि योग्य भूमि का 5-10% भाग परती छूट जाती है, क्योंकि प्रतिकूल कब्जा कानून पट्टे को हतोत्साहित करते हैं। यहां तक कि जब वे पट्टे पर दिए जाते हैं, तो यह आम तौर पर एक मौखिक पट्टा होता है जो कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, साथ ही उसे औपचारिक क्रेडिट तक पहुंचने से रोकता है और भूमि में निवेश को हतोत्साहित करता है।

केंद्र सरकार ने कृषि भूमि पट्टे कानून, 2016 और ड्राफ्ट प्रारूप अनुबंध कृषि कानून, 2018 को तैयार किया है ताकि अनुपस्थित भूमि मालिकों को स्वामित्व खोने के भय को दूर करते हुए उन्हें भूमि पट्टे पर देकर इन समस्याओं को कम किया जा सके। इसी तरह, अनुबंध खेती किसानों को एक प्रायोजन कंपनियों की तरह उन्हें फसलों से पहले कीमतों के बारे में होने वाले चिंताओं को दूर करके उनकी मदद कर सकती हैं, जबकि किसानों को सस्ती कीमत पर पूंजीगत खरीद से लाभ प्राप्त हो सकता है और प्रायोजक कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली मशीनरी और उपयोगी जानकारियों तक उनकी पहुंच बढ़ा सकता है।

''हिन्दुस्तान टाइम्स''
(किसानों की आमदनी)

''अगर सरकार किसानों की 'मामूली' आय को दोगुनी करना चाह रही है, जो आय को दर्शाता है, यह मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं है - तो यह संभव भी है और ऐसा पहले हुआ भी है, अर्थशास्त्री अभिजीत सेन के अनुसार।''

वर्ष 2022 तक कृषि की आय को दोगुना करने के लिए मोदी सरकार किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए काम कर रही है ताकि उनकी आय को माध्यमिक स्रोतों से बढ़ाया जा सके और अंशकालिक किसानों को अपने इस गणना से दूर कर दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि पहला प्रयास प्रशंसनीय है, लेकिन दूसरा केवल सांख्यिकीय चालाकी है।

लगभग 120 मिलियन परिवार हैं जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।

कृषि सचिव एस.के. पट्नायक ने कहा, 'हमारा लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है, खेती की आय नहीं।' कृषि सचिव एस.के. पट्नायक ने कहा कि उनका मंत्रालय किसानों के कृषि क्षेत्र और गैर-कृषि क्षेत्र की आय स्रोतों को ध्यान में रखेगा।

'यही कारण है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल और आय के माध्यमिक स्रोतों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।'

खेती की आय का मानक उपाय कृषि जीडीपी के विकास की दर है, जो निश्चित रूप से 100% हो सकता है, अगर कृषि की आमदनी दोगुनी हो जाये तो। कई अर्थशास्त्रियों के लिए यह नायाब लग सकता है। एनडीए सरकार ने 2016-17 के केंद्रीय बजट में छह वर्षों में कृषि की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा था।

मुख्य बात यह है कि किसानों को फसलों के उत्पादन बढाने और कीमतों की भविष्यवाणी करने वाले विशेषज्ञों की तरह बनने की जरूरत नहीं है। उन्हें अपनी भूमिकाओं का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। दरअसल, सिर्फ 1.2% ग्रामीण युवाओं को ही कृषि के क्षेत्र में काम करने की महत्वाकांक्षा रखते हैं (प्रथम द्वारा की गई वार्षिक शिक्षा सर्वेक्षण रिर्पोट (Aser), 2017 के मुताबिक) कृषि के बाहर सीमित रोजगार के अवसरों के अलावा, पट्टे पर देने और बेचने वाली जमीन पर प्रतिबंध किसानों के लिए कृषि से बाहर निकलना मुश्किल बना देते हैं।

बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए, कृषि उत्पाद बाजार समितियों (एपीएमसी) ने एकाधिकार मध्यावधि को बनाए रखा है। इस सन्दर्भ में अशोक दलवाई समिति का कहना है कि बाजार मूल्य में किसानों का हिस्सा कम है और आमतौर पर इसमें 15-40% का अंतर होता है। 2003 के मॉडल एपीएमसी कानून के विरोध को देखते हुए, केंद्रीय सरकार ने एक कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (एपीएलएम) कानून, 2017 पेश किया है जिसे मौजूदा एपीएमसी अधिनियम की जगह लाया गया है और यह एक राज्य के भीतर एकल बाजार की अनुमति प्रदान करता है, साथ ही यह किसानों को निजी थोक बाजारों में व्यापार करने के लिए आजादी प्रदान करता है, उन्हें थोक खरीददारों को सीधे बेचने और इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ईएनएएम) पर व्यापार को बढ़ावा देने की इजाजत देता है।

यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति का उपयोग उपभोक्ताओं के पक्ष में किया जाता है। जब कीमतें बढ़ती हैं, तो आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए आयात शुल्क कम किया जाता है, जबकि न्यूनतम निर्यात मूल्य उपभोक्ता के लिए अपनी बढ़ती कीमतों की प्रतिक्रिया में किसी वस्तु के निर्यात पर प्रतिबंध या प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। टैरिफ में ये अल्पावधि समायोजन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किसी भी योजना या संबंध निर्माण को बाधित करता हैं, जो पहले से मौजूद जोखिमों और अनिश्चितताओं को जोड़ते हैं। समिति की रिपोर्ट एक स्थिर व्यापार व्यवस्था को दर्शाता है और यह पूर्वनिर्धारित संकेतों पर संरचित होती है जो हितधारकों को फसल के पूर्वानुमान के साथ नीति में बदलाव की भविष्यवाणी करने की अनुमति देगा।

भारत में फसलों की उत्पादकता वैश्विक मानकों की तुलना में कम है और विभिन्न राज्यों में अंतर भी अलग-अलग है, मुख्य रूप से सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच और बेहतर तकनीक को अपनाने में। सिंचाई के क्षेत्र में सभी फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 56, 510 रुपये हैं, जबकि वर्षा-सिंचित क्षेत्रों में यह सिर्फ 35,352 रुपये ही है।

यदि इस समूह की आय दोगुनी हो जाये तो सीमांत किसानों के लिए उत्पादकता बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। इसके लिए सिंचाई, बीज, उर्वरक और अन्य प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। हालांकि, सरकार को ग्रामीण बुनियादी ढांचे में निवेश के बजाय सब्सिडी देना पसंद करती हैं।

अंत में, यदि किसानों की आय में वृद्धि करनी है तो विविधीकरण महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि उच्च मूल्य वाले फसलों की तरह सब्जियों और फलों की औसत उत्पादकता, प्रति हेक्टेयर 1.4 लाख रुपये से अधिक है, जबकि मुख्य फसलों के लिए 40,000 रुपये है।

उपरोक्त सुधारों में से अधिकांश राज्य सरकारों के क्षेत्र हैं जो अक्सर बड़े किसानों के हितों की रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय उद्योग ने कृषि को समवर्ती सूची में लाने के लिए तर्क दिया है, ताकि केंद्र सरकार कृषि उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय बाजार को सुनिश्चित कर सकती है।

श्री पट्नायक ने कहा कि किसानों को वस्तु और सेवा कर के कारण कृषि व्यापार में पारदर्शिता भी मिलेगी।

'व्यापारी जो केवल नकदी में व्यापार करते थे, वे अब अपनी आय छिपा नहीं सकते हैं। उन्होंने अपने उत्पाद के लिए वास्तविक दरों का पता लगाया है, तो किसान स्वत: उच्च कीमतों की मांग करेंगे।'

आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक, 2017-18 में, कृषि विकास में पिछले वर्ष 4.9% की तुलना में 2.1% की धीमी गति की उम्मीद है।

अगर सरकार किसानों की 'मामूली' आय को दोगुनी करना चाह रही है- जो आय को दर्शाता है, यह मुद्रास्फीति के लिए समायोजित नहीं है- तो यह संभव भी है और ऐसा पहले हुआ भी है अर्थशास्त्री अभिजीत सेन के अनुसार। आय वृद्धि हमेशा कीमतों में इसी वृद्धि के खिलाफ एक बेंचमार्क है, क्योंकि मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को घटा देती है।

13 अप्रैल 2016 को, मोदी सरकार ने कृषि मंत्रालय में पूर्व अपर सचिव अशोक दलवाई के अंतगर्त एक समिति गठित की थी, ताकि कृषि आय के दोहरीकरण पर कई रिपोर्ट तैयार की जा सकें। समिति का कहना है कि कृषि आय को दोगुना करने का मतलब है वास्तविक या मुद्रास्फीति समायोजित आय में वृद्धि।

किसानों की असली आय 2022 तक दोगुनी किसानों की आय के लिए 10.4% की वार्षिक वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करनी होगी।

नीती आयोग में कृषि के प्रभारी अर्थशास्त्री रमेश चंद सरकार की मुख्य नीतिगत थिंक-टैंक ने कहा कि सरकार अंशकालिक किसानों या उन लोगों का भेद कर सकती। हमारे देश में, बहुत से लोग एक माध्यमिक व्यवसाय के रूप में कृषि करते हैं। जिसमें सुधार किए बिना हम इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते है।

जी. एस. वर्ल्ड टीम...

समिति की रिपोर्ट से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 13 अप्रैल, 2016 को सरकार ने किसानों की आय पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिये केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय में तत्कालीन अतिरिक्त सचिव अशोक दलवाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था।
- इस रिपोर्ट में तीन क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया था- उत्पादकता लाभ, फसल के मूल्य में कमी और लाभकारी मूल्य। इस सामरिक ढाँचे में चार चिंताएँ भी थी जैसे- टिकाऊ कृषि उत्पादन, किसानों के उत्पाद का मौद्रीकरण, विस्तार सेवाओं का पुन: मजबूतीकरण और कृषि को एक उद्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना।

- इस रिपोर्ट में कृषि, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण ऊर्जा और ग्रामीण विकास में निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक आर्थिक मॉडल का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया था, जिससे 2015-16 के आधार वर्ष पर वर्ष 2022-23 तक किसानों की दोगुनी आय में 10.41% की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
- ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वर्ष 2002-03 से 2012-13 और इसके आगे के वर्षों में किसानों की वास्तविक आय में प्रति वर्ष मात्र 3.5% की दर से वृद्धि हुई।
- अत: किसानों की दोगुनी आय से तात्पर्य तीन गुने प्रयास और संसाधनों से है। इसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2011-12 की कीमतों पर लगभग 6,40,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया जाए और इसमें कृषि रसद, कोल्ड चेन्स आदि में किये गए निवेश को शामिल नहीं किया जा सकता।
- इस निवेश का 80% सरकार द्वारा प्राप्त होगा। यदि दोगुनी किसान आय के सपने को वास्तविक रूप प्रदान करना है तो कृषि के लिये निवेश में 22% तक की वृद्धि करने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में किन बातों पर ध्यान नहीं दिया गया?

- इस रिपोर्ट में इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं की गई कि इन संसाधनों को कहाँ से और कैसे उत्पन्न किया जाएगा।
- दरअसल, ऋणों में छूट, सब्सिडी और कल्याण कार्यक्रम के कारण बजट पर हावी होने वाले दबावों के चलते इस निवेश-राशि में संकुचन आएगा। इस निवेश के परिणामस्वरूप कितना कृषि उत्पादन होगा और इस बढ़े हुए उत्पादन का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? रिपोर्ट में इसकी भी चर्चा नहीं की गई है।
- हमने अक्सर यह देखा है कि जब भी उत्पादन में वृद्धि होती है तो मूल्यों में गिरावट आती है। इस वर्ष अनेक राज्यों में उत्पादन में वृद्धि के कारण प्याज, आलू, दालों और तिलहन की कीमतों में गिरावट आई है।
- यदि घरेलू उपभोग से निर्गतों में वृद्धि नहीं हो सकती तो क्या हम वैश्विक बाजारों में निर्यात कर सकते हैं? यह रिपोर्ट इन बुनियादी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है।

क्या करने की आवश्यकता है?

- इस स्वप्न को वास्तविकता में बदलने के लिये वर्ष 1978-84 के दौरान किये गए चीन के कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है।
- इस देश ने छह वर्षों में किसानों की वास्तविक आय को दुगुना कर दिया था तथा गरीबी में लगभग 50% की कमी कर दी थी। भारत चीन के कृषि सुधार नीति से बहुत कुछ सीख सकता है।
- दरअसल, खाद्य मूल्य श्रृंखला को यदि किसानों के लिये हितकर बनाना है तो उसे उत्पादन-चालित प्रणाली के आधार पर चलाने के बजाय मांग आधारित एक ऐसी प्रणाली के तहत चलाना होगा, जिसमें उपभोक्ता शीघ्रता से उत्पादकों से जुड़ जाते हैं।
- इसके लिये नए तरीकों और नवाचारों की आवश्यकता होगी, इसके साथ-साथ खाद्य प्रणाली में निजी क्षेत्र और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना होगा।
- आज जलवायु परिवर्तन एवं भूमि और जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण कोई भी हितधारक चाहे, वह सरकार हो, कॉर्पोरेट क्षेत्र हो या फिर सिविल सोसायटी हो अकेले ऐसा नहीं कर सकती है। अत: विभिन्न संगठनों और हितधारकों की दक्षताओं के संयोजन और साझेदारी प्लेटफार्मों के माध्यम से वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है।

किसानों की आय में तेजी से वृद्धि के संभावित उपाय

1. **कृषिगत गतिविधियों का विविधिकरण :** प्राय: यह देखा गया है और कई अध्ययनों द्वारा प्रमाणित है कि उच्च मूल्य वाले फसलों और कृषि उद्यमों की ओर ध्यान देने वाले किसानों की आय में तेजी से वृद्धि होती है। अत: कृषिगत गतिविधियों के विविधिकरण को गति देनी होगी।
2. **बेहतर सिंचाई के साधन :** देश में अभी भी निम्न उत्पादकता का एक बड़ा कारण सिंचाई के साधनों की अपर्याप्त उपलब्धता है। अत: इस संबंध में भी ध्यान देने की जरूरत है।
3. **प्रतिस्पर्द्धी बाजार मूल्य :** बेहतर उत्पादन के बावजूद यदि किसान बेहतर मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता तो उसका एक मुख्य कारण प्रतिस्पर्द्धी कीमत का न मिल पाना है और इसके कई कारण हैं। एकीकृत मूल्य श्रृंखला, भण्डारण की समुचित व्यवस्था, आदि सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- कृषि क्षेत्र में सुधार की समूची कवायद इन्हीं मूल बातों पर केन्द्रित होनी चाहिये। राज्य स्तर के आँकड़ों से पता चलता है कि गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में 2006-07 और 2013-14 के बीच वास्तविक कृषि आय (इसमें व्यापार में सुधार के कारण बढ़ी आय भी शामिल है) दोगुनी हो गई है।
- इन राज्यों द्वारा उपरोक्त मूल बातों पर ही ध्यान दिया गया है और यदि भारत के सभी राज्यों में ऐसा किया जाता है तो निश्चित ही हम वर्ष 2022 तक किसानों को दोगुनी आय की सौगात दे सकते हैं।

***

संभावित प्रश्न

हाल ही में कृषि से जुड़ी कई समस्याओं ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। सरकार के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के संदर्भ में आने वाली समस्याओं का उल्लेख करते हुए इसके निदान हेतु उपाय सुझाएं। (250 शब्द)

Recently many problems related to agriculture have attracted the attention of everyone towards itself. In the context of the goal of doubling the income of the farmers by the year 2022 by the government, describe the forthcoming problems and suggest measures to resolve these. (250 Words)

GS World की नई प्रस्तुति 'दो लेखों का सार एक साथ'...

विश्व आर्थिक मंच : भारत

(25 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

''हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 48वीं सालाना बैठक को संबोधित किया। जहाँ श्री मोदी ने अर्थव्यवस्था, संरक्षणवाद, आतंकवाद और जलवायु संकट जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दे उठाए हैं।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द इकोनॉमिक्स टाइम्स' एवं 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''द इकॉनोमिक टाइम्स'' (दावोस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी)

''उम्मीद है कि 1.3 अरब डॉलर का मजबूत विकास वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि के प्रमुख चालकों में से एक होगा और इसका नेता राजनीति और अर्थव्यवस्था में वैश्विक विकल्प बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।''

दावोस में श्री मोदी ने अपने श्रोताओं को निराश नहीं किया है। वैश्विक बड़े विचारों की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने इन्हें भारत की प्राथमिकताओं से जोड़ा और सभी को यह विश्वास दिलाया कि भारत बिलकुल सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह दो दशकों में विश्व आर्थिक मंच पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा दिए गये पहले भाषण का एक स्वागत योग्य परिणाम है।

श्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन, संरक्षणवाद और आतंक के बारे में बात की, क्योंकि मानवता के एक दूसरे से जुड़े अस्तित्व के लिए यही तीन बड़ी चुनौतियां हैं। जलवायु परिवर्तन पर भारत की चिंता विकसित दुनिया के कानों के लिए एक संगीत के समान है, विशेषकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के विषय पर प्रतिगामी चाल के बाद। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल दावोस में वैश्वीकरण को अपना मुख्य विषय बनाया था।

श्री मोदी ने अपने संबोधन में विश्व की तीन बड़ी चुनौतियों को गिनाते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन मौजूदा समय में दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा, 'विश्व में गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लैशियर्स पिघल रहे हैं। हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अगर हम सोचेंगे तो पाएंगे कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। हमें मानव और प्रकृति के बीच तालमेल बैठाना होगा।'

''इंडियन एक्सप्रेस'' (फ्रेमिंग इंडिया)

''प्रधानमंत्री मोदी ने दावोस में भारत को एक आश्वस्त राष्ट्र के रूप में अन्य देशों के सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन घर पर, उन्हें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार के मिश्रित व्यवहार को संबोधित करना चाहिए।''

वर्ष 1997 में, जब भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार दावोस में विश्व आर्थिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) मंच पर दुनिया के व्यापारिक संभ्रांतों को संबोधित किया था, तो उस वक्त देश एक अनुभवहीन देश था। उस वक्त भी एच.डी देवेगौड़ा का भाषण निवेशकों को अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और इसके लिए भारत की प्रतिबद्धता को आश्वस्त करने से अधिक संबंधित था।

उस समय से लेकर अब तक भारत की अर्थव्यवस्था छह गुनी तक बढ़ चुकी है और ऐसे भारत के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को डब्ल्यूईएफ में अपने देश को बड़े आत्मविश्वास के साथ सबके समक्ष रखा। उन्होंने निवेशकों का स्वागत करते हुए दुनिया के लिए तीन चुनौतियों अर्थात जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और संरक्षणवाद के बारे में एक भारतीय दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया।

इन समस्याओं से निपटने के लिए ठोस अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है, वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व में एक निर्वात है, विशेषकर तब जब डोनाल्ड ट्रम्प के 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के आधार पर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति बना दिया गया। ऐसा लगता है कि यह भाषण, पर खो गया नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि 'भ. ारत एक सामंजस्यपूर्ण बल है, जो किसी भी साम्राज्यवादी दावों का पालन नहीं करता', तो शायद श्री मोदी का यह बयान चीन के लिए एक संदेश हो सकता है।

श्री मोदी ने आतंकवाद का समूल खात्मे के लिए विश्व समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया है। बैठक में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत का इकोनॉमिक विजन पेश करते हुए पीएम मोदी ने न्यू इंडिया की तस्वीर सामने रखी। मोदी ने कहा कि 20 साल बाद इस मंच पर कोई भारतीय प्रधानमंत्री आया है। उन्होंने कहा कि साल 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा आए थे, तो उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था महज 400 बिलियन डॉलर की थी लेकिन आज यह छह गुना ज्यादा बड़ी है।

उन्होंने तीसरी सबसे बड़ी चुनौती आत्मकेंद्रण को बताया। उन्होंने कहा कि बहुत से देश आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के विपरीत ऐसा हो रहा है। इसे क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद के खतरे से कम नहीं मान सकते। हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि ग्लोबलाइजेशन की चमक धीरे-धीरे कम होती जा रही है। यूएन के आदर्श अभी भी सर्वमान्य है, लेकिन फिर भी देश आत्मकेंद्रित हो रहे हैं। पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। उनके आदर्शों की अहमियत के बारे में भी बात की। हांलाकि, भारत दावोस में उल्लेखित भव्य दृष्टि से उत्साहित उम्मीदों पर निर्भर रहने के लिए भी अधिक दबाव में होगा।

आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे का केंद्रीय विषय 'निवेश' होता है। 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित करने, 'स्किल इंडिया' के तहत भारत में कौशल हासिल कर चुके युवाओं को विदेश में काम के अवसर कैसे मिलें, यह भी प्रधानमंत्री की दावोस यात्रा का एजेंडा है। अगले साल आम चुनाव होने हैं। ऐसे में, दावोस जैसे मंच की उपलब्धियों को कोई भी प्रधानमंत्री अपनी घरेलू राजनीति में भुनाना चाहेगा।

देखा जाये तो दावोस सम्मेलन के दौरान ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर जो अनुमान दोहराया है वह विदेशी कारोबारियों के संदेह को अब दूर करने में मदद कर सकता है। आइएमएफ ने कहा कि भारत आज दुनिया की तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है और इसकी वृद्धि तथा कामयाबी इस पर निर्भर होगी कि वह अपने यहां आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को किस तेजी से बढ़ाता है। ऐसे में भारत के लिए अवसरों के साथ चुनौतियां भी काफी हैं।

***

हालांकि, भारतीय प्रधानमंत्री केवल भारत की महत्वाकांक्षा या प्रतिबद्धता का दावा पेश नहीं कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर, जलवायु परिवर्तन पर, जीएचजी उत्सर्जन को रोकने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय पहलों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भारत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन्होने 121 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण करने के लिए नेतृत्व किया है, भले ही ट्रम्प पेरिस जलवायु संधि को छोड़ने पर अडिग हो।

यह महत्वपूर्ण है कि मोदी ने खुले वैश्विक आदेश के रक्षक के रूप में भारत के बारे में बात की, जिसमें ट्रम्प प्रशासन ने कई बार संरक्षणवादी उपायों को मंजूरी दी थी, जिसमें आयातित सौर-ऊर्जा घटकों पर टैरिफ भी शामिल थे। दावोस के करीब दस दिन पहले, इनकी सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल बिजनेस में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दे दी है।

इसके लिये सरकारी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सिंगल ब्रांड में पहले से ही शत-प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है, लेकिन ऑटोमेटेड रूट से 49 प्रतिशत ही विदेशी निवेश हो सकता था। इससे ज्यादा विदेशी निवेश के लिए सरकार के अनुमोदन की जरूरत थी। अब इस क्षेत्र में शत-प्रतिशत विदेशी निवेश के लिए भी सरकार की अनुमति लेने की दरकार नहीं होगी।

हालांकि, पिछले साल दिसंबर में, सरकार ने मोबाइल फोन और कई अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया था। ग्लोबल इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पिछले साल की तुलना में 30 स्थानों में सुधार हुई है। लेकिन 100 पर, देश अभी भी 190 देशों के इस रैंकिंग में आधे हिस्से तक भी नहीं पहुँच पाया है। देखा जाये तो 2016-2017 में 43.5 अरब डॉलर में, भारत का एफडीआई प्रवाह एक ही वर्ष में चीन का एक तिहाई हिस्सा था। प्रधानमंत्री मोदी ने दावोस में एक आश्वस्त भारत की स्थिति में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन भविष्य की नीतियों को तैयार करते हुए उनकी सरकार को इन कमियों को ध्यान में रखना चाहिए।

***

जी.एस. वर्ल्ड टीम...

विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी पहली 'रेडीनेस फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रोडक्शन' रिपोर्ट

प्रमुख बिंदु

- सर्वोत्तम उत्पादन ढाँचे की मौजूदगी के कारण जापान को इस सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। जापान के अतिरिक्त शीर्ष 10 देशों में दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, चीन, चेक गणराज्य, अमेरिका, स्वीडन, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड शामिल हैं।
- यह रिपोर्ट आधुनिक औद्योगिक रणनीतियों के विकास का विश्लेषण करते हुए सामूहिक कार्यवाही का आग्रह करती है। इस रिपोर्ट में 100 देशों को निम्नलिखित चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है-
  - **अग्रणी (Leading) :** वर्तमान में मजबूत आधार, भविष्य के लिये तैयारी का उच्च स्तर।
  - **उच्च क्षमता (High Potential) :** वर्तमान में सीमित आधार, भविष्य के लिये उच्च क्षमता।
  - **लीगेसी (Legacy) :** वर्तमान में मजबूत आधार, भविष्य में जोखिम।
  - **विकासोन्मुख (Nascent) :** वर्तमान में सीमित आधार, भविष्य के लिये तैयारी का निम्न स्तर।
- इस रिपोर्ट के अनुसार अग्रणी देशों में शामिल 25 देश अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वैश्विक उत्पादन प्रणाली चरघातांकीय परिवर्तन के कगार पर है, किंतु कोई भी देश तैयारी के उस स्तर तक नहीं पहुँचा है कि वह अकेले चौथी औद्योगिक क्रांति द्वारा सृजित अवसरों का उत्पादन बढाने में पूर्णतया इस्तेमाल कर सके।

अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति

- इसमें चीन को 5वाँ स्थान मिला है जबकि अन्य ब्रिक्स देशों ब्राजील (41), रूस (35) और दक्षिण अफ्रीका (45) की तुलना में भारत की स्थिति बेहतर है।
- भारत को हंगरी, मैक्सिको, फिलीपींस, रूस, थाईलैंड और तुर्की के साथ 'लीगेसी' समूह में रखा गया है।
- चीन अग्रणी देशों की सूची में जबकि ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका विकासोन्मुख देशों की सूची में शामिल हैं।
- उत्पादन के पैमाने के संदर्भ में भारत 9वें स्थान पर है, जबकि जटिलता के संदर्भ में यह 48वें स्थान पर है। बाजार के आकार के संदर्भ में भारत तीसरे स्थान पर है।
- श्रम बल में महिला भागीदारी, व्यापार टैरिफ, विनियामक कुशलता और टिकाऊ संसाधनों के मामलें में भारत की रैंकिंग निम्न स्तर पर है।
- भारत अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका (66 वें), पाकिस्तान (74 वें) और बांग्लादेश (80 वें) से बेहतर स्थान पर है।
- इस रैंकिंग में भारत के नीचे स्थित अन्य देशों में तुर्की, कनाडा, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉन्गकॉन्ग, मॉरीशस और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- भारत से बेहतर स्थान सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली, फ्राँस, मलेशिया, मैक्सिको, रोमानिया, इजरायल, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिलीपींस और स्पेन शामिल हैं।
- उत्पादन प्रणालियों को बदलने के लिये चौथी औद्योगिक क्रांति की संभावनाओं का दोहन करने में सक्षम देशों की एक अलग सूची में अमेरिका को प्रथम स्थान दिया गया है। इसके बाद शीर्ष पाँच में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन और नीदरलैंड शामिल हैं।
- इस सूची में भारत को 44वें स्थान पर रखा गया है, जबकि चीन 25वें और रूस 43वें स्थान पर है। हालाँकि भारत, ब्राजील (47वें) और दक्षिण अफ्रीका (49वें) से बेहतर स्थिति में है।

विश्व आर्थिक मंच

- विश्व आर्थिक मंच एक स्विस गैर-लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।
- फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिये राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है जिसका स्वयं का कोई हित नहीं है।
- यह फोरम स्विट्जरलैंड के पूर्वी आल्पस क्षेत्र में दावोस में जनवरी के अंत में वार्षिक बैठक के आयोजन के लिये प्रसिद्ध है। इस वर्ष 22-26 जनवरी को आयोजित हुई बैठक विश्व आर्थिक मंच की 48वीं सालाना बैठक थी।

***

संभावित प्रश्न

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 48वीं सालाना बैठक में अर्थव्यवस्था, संरक्षणवाद, आतंकवाद और जलवायु संकट जैसे गंभीर वैश्विक मुद्दे पर चर्चा की गई। इन समस्याओं से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर क्या प्रयास किये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

In the 48th annual meeting of the World Economic Forum recently, serious global issues like economy, protectionism, terrorism and climate crisis were discussed. What efforts should be made at the global level to deal with these problems? Discuss. (250 Words)

आसियान और भारत

(27 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अन्तर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

''भारत के 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह आसियान के सभी 10 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। आसियान देशों के दस राष्ट्रामध्यक्ष भारत के लिहाजा से काफी मायने रखते हैं। यह गठजोड़ क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए सहायक भी है।'' इस संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''द हिन्दू' एवं 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''द हिन्दू''
(आसियान की उन्नति : भारत-दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग पर)

''भारत और दक्षिणपूर्व एशिया को मजबूत एकीकरण के लिए शिखर सम्मेलन से परे जाकर सोचने की आवश्यकता है।''

भारत के 69वें गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समूह आसियान के सभी 10 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए। ये पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस समारोह में एक से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मुख्य अतिथि बुलाया गया। आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन, गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथियों की उपस्थिति के बाद, सहायोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और भारत की जरूरतों पर नई सहमति को रेखांकित करता है।

सबसे पहला, जैसा कि पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र के बाजारों में वृद्धि करने और व्यापार को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

दूसरा, अमेरिका और रूस, या अमेरिका और चीन जैसे 'महान शक्तियों' के बीच जारी तनाव, आसियान और भारत के असरेखित देशों को एक समान समझ बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। विशेष रूप से चीन की चाल, भारत-प्रशांत और इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कनेक्टिविटी परियोजना दोनों में इसने धावा बोल दिया है, जो इस क्षेत्र में समीकरण को बदलने की क्षमता रखता है।

तीसरा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री और आसियान के अध्यक्ष ली एचसियन लूंग ने एक संपादकीय में दुनिया को बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच 2000 साल से भी पुराने सांस्कृतिक, व्यापारिक, आध्यात्मिक और वैचारिक संबंध हैं और शीत युद्ध प्रभागों की अधिकता से बाहर आते हुए दक्षिणपूर्व एशिया के साथ, भारत

''इंडियन एक्सप्रेस''
(टेकिंग आसियान टू द बैंक)

''इस क्षेत्र में आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करने के लिए भारत को सामरिक स्थान का उपयोग करना चाहिए।''

एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब अपने पूरे चरम पर है। गणतंत्र दिवस पर मेहमानों के रूप में 10 आसियान राष्ट्र के नेताओं को आमंत्रित करने का उल्लेखनीय मकसद, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारी भागीदारी का एक प्रकटन है। यह "साझा मूल्य, सामान्य भाग्य" के विषय पर केन्द्रित है, जो दावोस के थीम 'खंडित विश्व में साझा भविष्य का निर्माण' से थोड़ा-सा भिन्न है। तथ्य यह है कि आसियान के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर देखा जा रहा है जो वर्तमान दुनिया के लिए एक उपयुक्त छवि प्रस्तुत करते हैं।

भारत-आसियान शिखर सम्मेलन की 25 वीं वर्षगांठ, हमारे संवाद साझेदारी के 15 वें साल और सामरिक साझेदारी की पांचवीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा से भी है और यह एक ऐसा विषय है जो लगातार ध्यान आकर्षित करता है। हालांकि, अंतर्निहित साझेदारी आर्थिक है और बढ़ती रणनीतिक तालमेल के लिए सावधानीपूर्वक ध्यान देने और पोषण करने की आवश्यकता है और साथ ही यहाँ इनकी समझ चीन भारत और आसियान द्वारा उत्पन्न चुनौती के लिए अभेद्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया की आबादी का एक चौथाई घर है और यह क्षेत्र अन्य की तुलना में अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा है। इस क्षेत्र में लगातार आर्थिक विकास के साथ स्थिरता इसके सभी सहयोगियों के लिए इसे आकर्षक बनाती है। आसियान आज एक रणनीतिक अवधारणा के रूप में इंडो-पैसिफिक के केंद्र में है, लेकिन भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच पारंपरिक मानसून के नेतृत्व वाले व्यापार से शुरुआत के लिए बहुत अधिक आर्थिक कारणों पर ध्यान केंद्रित करता है।

वर्ष 2012 में, भारत-आसियान साझेदारी की 20 वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहाँ दोनों ने क्षेत्रीय वास्तुकला को बढ़ाने के लिए एक विस्तारित कार्यात्मक संवाद के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया था। देखा जाये तो कई मंत्रिस्तरीय बैठकों और अन्य मंचों पर बातचीत के साथ, हमने इसे पूरा कर लिया है। लेकिन 100 अरब डॉलर के एक व्यापार के लिए हमारी प्रतिबद्धता लक्ष्य से दूर हो गयी है। कुल राशि लगभग 70 अरब डॉलर है, जो एक तरह से अच्छी है, लेकिन कम है। वर्ष 2012 में नोम पेन्ह में शुरू की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) के शीघ्र समापन के लिए हमारी पारस्परिक प्रतिबद्धता अभी भी निष्कर्ष का इंतजार कर रही है।

और आसियान के पास उनके भौगोलिक निकटता की संभावना को और अधिक मजबूत करने का एक अनूठा अवसर है।

दिल्ली ने आसियान और भारत के संबंध में उनकी तत्काल चिंताओं पर हस्ताक्षर किए है, जो सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग और कनेक्टिविटी को बढ़ाने से संबंधित है। इनमें समुद्री परिवहन, व्यापार और दक्षिण चीन सागर के लिए 'आचार संहिता' के लिए संयुक्त तंत्र भी शामिल हैं।

लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब आसियान-भारत के नेताओं ने वर्ष 2012 में बातचीत में भागीदारी की 20 वीं वर्षगांठ के लिए नई दिल्ली में एकजुट किया था, तो उन्होंने व्यापार और समुद्री सुरक्षा के प्रति एक समान प्रतिबद्धता की थी और अब ऐसा प्रतीत होता है कि कई वादों को शायद भुला दिया गया है या उसका एहसास तक नहीं है।

आसियान के साथ 76 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ, भारत न केवल अमेरिका और चीन की तुलना में कम है, बल्कि दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी पिछड़ा हुआ है। वर्ष 2012 में शुरू की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी वार्ता को काफी हद तक आयोजित किया गया है, मुख्यत: चीन की वस्तुओं और भारतीय सेवाओं और श्रम के आंदोलन के लिए आसियान प्रतिरोध के लिए निरंकुश पहुंच पर भारतीय चिंताओं की वजह से।

दूसरा बड़ा अधूरा वादा आसियान देशों और भारत के बीच कनेक्टिविटी और साथ ही साथ भारत का पूर्वोत्तर से म्यांमार तक और इसके आगे तक कनेक्टिविटी से संबंधित है। भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के विस्तार, कालादन मल्टीमोडाल राजमार्ग के विस्तार और म्यांमार के तुम-कल रेल लिंक समयसीमा से काफी पीछे हो गयी है।

पूर्वोत्तर में सीमावर्ती व्यापार पोस्ट और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत सुधार की आवश्यकता है। भारत और आसियान देशों को एक दूसरे से बहुत कुछ हासिल करना है लेकिन आसियान समीकरण में भारत को एकीकृत करने के लिए बहुत अच्छे प्रयास करने की आवश्यकता होगी। अन्यथा, यह साझा इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक नेतृत्व केवल शिखर सम्मेलन के रूप में रह जायेंगे।

क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) को 2012 में शुरू किया गया था जब भारत के अपने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की समीक्षा उभर रही थी। आरसीईपी के साथ जुड़ने का निर्णय रणनीतिक था। आज भारत के साथ एक लुक / एक्ट ईस्ट पॉलिसी की कल्पना, एक नई क्षेत्रीय वास्तुकला से अनुपस्थित है। आसियान सदस्यों के बीच अंतर अभी भी व्याप्त हैं, जिनमें से कुछ सम्पूर्ण मुक्त व्यापार के समर्थक है, जैसे सिंगापुर और अन्य में आरक्षण के साथ इंडोनेशिया। आरसीईपी के साथ, इस समस्या को भारत के अलावा आसियान के अन्य एफटीए भागीदारों (चीन, जापान, आरओके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड) के रूप में जोर दिया गया था, जिनके विविध रुचियां हैं। इस प्रकार, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से यह आस की वे आगे बढ़ कर मदद करे और और चीन के हावी बाजारों का डर, सभी को एहतियात बरतने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।

यह महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र में समेकित सामरिक धारणा के साथ आसियान एक रणनीतिक भागीदार के रूप में भारत को और अधिक स्पष्ट रूप से देखता है और सभी पहलुओं अर्थात सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक, पहलुओं में भारत को शामिल करना चाहता है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि आरसीईपी प्रक्रिया की यथार्थवादी सराहना होगी, जबकि भारत को सेवाओं पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करने का अनुरोध किया जा सकता है और साथ ही अन्य लोगों को भी उनकी मांग कम करने का अनुरोध किया जा सकता है। भारत के बिना आरसीईपी अब संभव नहीं है।

एक अन्य क्षेत्र जहां आसियान भारत की भागीदारी अधिक देखना चाहता है, लेकिन उसका यह भी मानना है कि यह बुनियादी ढांचे के विकास में निम्न स्तर पर है। त्रिपक्षीय राजमार्ग को एक सहायक कनेक्टिविटी माना जाता है, लेकिन इसके विकास की गति बहुत धीमी गति है। आसियान देशों में बुनियादी ढांचे की मांग बहुत है और वे एफडीआई और फंडिंग विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सभी एशियान देश एआईआईबी में शामिल हो गए हैं और भारत के 7.745 प्रतिशत की तुलना में 8.96 प्रतिशत वोट के साथ शामिल हैं। हमारे बीच, हमारे पास 15 प्रतिशत से अधिक है, जो चीन के हिस्से का लगभग आधा हिस्सा हैं। वाणिज्य मंत्रालय के तहत CLMV (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम) देशों के लिए 500 करोड़ रुपये की परियोजना विकास सुविधा के अलावा हमारे पास एशियान देशों में बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के विकास के लिए 1 अरब डॉलर का ऋण सुविधा भी है।

लेकिन जब विकास निधि का अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है, तो क्रेडिट की रेखा (LOC) मुश्किल से कोई प्रभाव पड़ता है। यह आसियान देशों में बड़ी परियोजनाओं की शुरूआत करने के लिए भारतीय कंपनियों की महत्वाकांक्षा पर विचार कर रहा है और सबसे अधिक बुनियादी ढांचे के विकास पर पकड़ बनाने के लिए चीनी वित्त के मजबूत पहुँच पर विचार कर रहा है। भारत को इस सन्दर्भ में अध्ययन करने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों एलओसी का उपयोग कम किया जा रहा है।

आसियान के साथ हमारी साझेदारी को बढ़ाने के लिए हमें आर्थिक दृष्टि से रणनीतिक स्थान का उपयोग करने की आवश्यकता है। कनेक्टिविटी के लिए आसियान मास्टर प्लान में कई विकल्प हैं, जिनमें समुद्री क्षेत्र भी शामिल है, ताकि हम इस क्षेत्र के सहयोगियों के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। आसियान देश में आर्थिक स्थिरता के साथ एक रणनीतिक बंदरगाह के लिए एक समुद्री परियोजना, जो चेन्नई या विशाखापत्तनम में बंदरगाहों से जुड़ी हुई है और जापान या दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई है, यह एक नया मॉडल हो सकता है जो पूर्वी एशियाई कनेक्टिविटी और परियोजनाओं के लिए क्षेत्रीय और सहायक होगा।

आसियान

आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। उस समय इस संगठन में थाईलैंड के अलावा इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपींस, सिंगापुर थे।

- ब्रुनेई 1984 में और वियतनाम को 1995 में शामिल किया गया था। फिर 1997 में लाओस और म्यांमार को इसका हिस्सा बनाया गया।
- 1999 में कंबोडिया में को इसका सदस्य बनाया गया। 1976 में आसियान की पहली बैठक हुई। जिसका एजेंडा शांति और सहयोग था।
- 1994 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम की स्थापना की। इसका उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ावा देना था। इसके सदस्य अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया 23 सदस्य हैं।
- 1992 में भारत असियान का 'क्षेत्रीय संवाद भागीदार' और 1996 में पूर्ण सदस्य बन गया। चीन की भी कोशिश है कि उसे भी आसियान का पूर्ण सदस्य बनाया जाए।
- 2015 में मलेशिया की राजधानी कुआलालम्पुर में आयोजित इसकी बैठक में आर्थिक नीति पर एक बड़ा फैसला लिया गया। जिसमें सभी सदस्य देशों को मिलाकर आर्थिक समुदाय बनाने का फैसला लिया गया। 31 दिसंबर 2015 में इसको बना भी लिया गया। जिसमें सदस्य कई आर्थिक समझौतों से बंधे हुए हैं।

आसियान और भारत

- 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रबपति सुकर्णो शामिल हुए थे1 वह पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के करीबी मित्र थे। सुकर्णो ने बाद में नेहरू और यूगोस्लाविया, घाना और इजिप्ट के लीडर्स के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था।
- इसके बाद अगले सात दशक में इस क्षेत्र से सिर्फ पांच ऐसे नेता हुए, जो इस अहम मौके पर चीफ गेस्ट बने। इस बार आसियान के दस देशों के राष्ट्रारध्यनक्षों का गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्साब लेना इस लिहाज से भी खास है क्यों कि इसी वर्ष भारत और दक्षिण एशियाई देशों के ग्रुप की साझीदारी के 25 साल भी पूरे हो रहे हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के बाद होने वाला शिखर सम्मेलन भी इन देशों के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत बनेगा।

दुनिया के चौथे सबसे बड़े निर्यातक हैं आसियान देश

- आसियान देश यूरोपियन यूनियन, उत्तरी अमेरिका और चीन के बाद दुनिया के चौथे सबसे बड़े निर्यातक हैं। वैश्विक निर्यात में उसकी हिस्सेदारी सात फीसदी के करीब है। भारत और आसियान देशों के बीच कारोबारी रिश्ते तेजी से मजबूत हो रहे हैं। बीते दस सालों आसियान देशों से कारोबार 44 बिलियन डॉलर बढ़कर 21 से 65 बिलियन डॉलर पहुंच गया है।
- 2005-2006 में भारत अपने कुल आयात का सात फीसदी हिस्सा आसियान देशों से लेता था आज यह आंकड़ा 10.5 प्रतिशत पहुंच गया है। हालांकि निर्यात के मामले में मामूली कमी आई है। यह आंकड़ा करीब एक फीसदी गिरकर 9.6 पर पहुंचा है।
- दस साल पहले तक भारत आसियान देशों में जो निर्यात करता था उसका पचास फीसदी हिस्सा केवल सिंगापुर को जाता था और शेष पचास फीसदी हिस्सा अन्य नौ देशों को जाता था। आज स्थितियां ऐसी नहीं हैं।

आर्थिक रूप से

- आसियान संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक आधिकरिक पर्यवेक्षक है। इस संगठन के सदस्यों के बीच होने वाले संवाद की आधिकारिक भाषा इंग्लिश ही है। आसियान देशों की सीमाएं भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, बांग्लादेश, ईस्ट तिमोर और पापुआ न्यूगिनी के साथ लगी हुई हैं। 64 करोड़ की आबादी वाले इन देशों की जीडीपी 213 लाख करोड़ रुपए है।
- ये भारत की कुल जीडीपी (159 लाख करोड़ रुपये) से 33% अधिक है और आबादी आधी (करीब 130 करोड़) है। यानी आसियान आर्थिक रूप से मजबूत है।

पद्म पुरस्कारों का ऐलान

- इस साल 10 आसियान देशों के एक-एक नागरिक को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रुनेई के मलाई हाजी अब्दुल्लाह बिन मलाई हाजी को मेडिसिन के क्षेत्र में काम के लिए पद्म श्री सम्मान दिया गया है। उन्होंने ऑटिज्म से जुड़ी बीमारियों के लिए मैनेजमेंट सोसायटी की स्थापना की थी।
- उनके अलावा कंबोडिया के पूर्व पीएम हुन सेन के बेटे हुन मैनी को सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। वह कंबोडिया के सबसे युवा सांसद हैं और कंबोडिया के यूनियन ऑफ यूथ फेडरेशंस के प्रेजिडेंट हैं।

गणतंत्र दिवस पर पूर्व में आ चुके अतिथि

- मुख्य अतिथियों का चुनाव भारत की विदेश नीति, उनसे द्विपक्षीय संबंधों और दोस्ती को मजबूत बनाने के तहत किया गया है। पहले सोवियत संघ और बाद के रूस और भूटान चार बार, फ्रांस और ब्रिटेन पांच बार गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि रहे हैं।
- लीजेंडरी यूगोस्लावियाई लीडर मार्शल टीटो दो बार चीफ गेस्ट बने, जबकि नाइजीरिया और जापान के लीडर्स को दो-दो बार न्योते दिया गया। मॉरीशस के लीडर्स को तीन बार इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान भी दो बार इस मौके पर विशेष अतिथि बन चुका है।

संभावित प्रश्न

गणतंत्र दिवस के मौके पर शामिल हुए आसियान देशों के दस राष्ट्राध्यक्ष भारत के लिहाजा से काफी मायने रखते हैं। यह गठजोड़ चीन के बढ़ते कदमों को रोकने में कितना सहायक होगा? स्पष्ट करते हुए इसके समक्ष मौजूद चुनौतियों को भी बताएं। (250 शब्द)

Ten nations of ASEAN involved in the Republic Day celebrations have a lot of significance for India. How much helpful this alliance would be to stop China's growing steps? Explain this by presenting the challenges before it. (250 Words)

GS World की नई प्रस्तुति 'दो लेखों का सार एक साथ'...

अस्पष्ट आंकड़ों की समस्या

(29 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित

''हाल ही में भारत में लगातार कम होते जा रहे रोजगार के अवसरों ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। साथ ही समस्या के सन्दर्भ में मौजूद आंकड़ों की कमी की समस्या ने इस समस्या को और अधिक गंभीर बना दिया है।'' इस समस्या के संदर्भ में इस मुद्दे पर अंग्रेजी समाचार-पत्र ''इंडियन एक्सप्रेस' एवं 'लाइव मिंट' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''इंडियन एक्सप्रेस''
('नया रोजगार' : 70 लाख का झूठा गर्व)

''अगर 20 या उससे अधिक व्यक्तियों के संगठित क्षेत्र में उद्योग/व्यवसाय ईपीएफओ के तहत पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले 55 लाख नए रोजगार पैदा कर सकते हैं, तो हम यह घोषणा कर सकते हैं कि भारत में, वास्तव में और व्यापक रूप से, बेरोजगारी के शैतान को मिटा देंगे!''

कई लेखकों या समीक्षको ने बताया है कि 'पेरोल' नौकरी एक ऐसी नौकरी है जहां कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) या राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) या सरकारी भविष्य निधि (जीपीएफ) के तहत नामांकित है। चार योजनाओं में से एक के तहत नामांकन निश्चित रूप से प्रमाण है कि कर्मचारी नियोक्ता - निजी क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार के पेरोल पर है।

70 लाख नई नौकरियों का दावा एक ऐसा झूठा दावा है जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकता है। इसी लेख में लेखकों ने बताया कि मार्च 31, 2017 तक कुल 'पेरोल' स्टॉक 919 लाख था। इसलिए, यह देश को 919 लाख नौकरियों का एक 'पेरोल' स्टॉक बनाने के लिए 70 साल का समय ले लिया है, लेकिन चमत्कारिक रूप से, सिर्फ 12 महीनों में, देश 70 लाख नए पेरोल नौकरियों का निर्माण करेगा, जो वर्तमान में मौजूदा भण्डार का लगभग 7.5 प्रतिशत है।

'पेरोल' नौकरियों के शेयर का सबसे बड़ा उप-भाग ईपीएफओ-नौकरी में नामांकित है। लेखकों ने बताया है कि ईपीएफओ ने अपने लगभग 550 लाख उपभोक्ताओं के लिए लगभग 11 लाख करोड़ रुपये के एक कॉर्प का प्रबंधन किया है, जिसमें 200 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले 190 से अधिक उद्योगों के अधिकार क्षेत्र में हैं। लेखकों के मुताबिक, वर्ष 2016-17 में 18-25 साल के आयु वर्ग के 45.4 लाख नए युवाओं ने ईपीएफओ के तहत नामांकन किया था और फंड में अपनी मासिक योगदान शुरू करना शुरू कर दिया था। उन्होंने यह भी पाया कि इसी आयु वर्ग के 36.8 लाख नए युवा अप्रैल से नवंबर 2017 के बीच नामांकन किया था और इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया है कि 2017-18 पूरे वर्ष 55.2 लाख नए युवाओं को नामांकित किया जाएगा।

अगर 20 या उससे अधिक व्यक्तियों के संगठित क्षेत्र में उद्योग / व्यवसाय ईपीएफओ के तहत पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले 55 लाख नए रोजगार पैदा कर सकते हैं, तो हम यह घोषणा कर सकते हैं कि भारत में, वास्तव में और व्यापक रूप से, बेरोजगारी के शैतान को मिटा देंगे!

इसलिए, महत्वपूर्ण संख्याओं को सत्यापित किया जाना चाहिए जो कि ईपीएफओ द्वारा पंजीकृत नौकरी हैं - 2016-17 में 45.4 लाख और 2017-18 में 55.2 लाख। अगर ये संख्या मान्य हैं, तो 2017-18 में 70 लाख नए पेरोल नौकरियों का दावा स्वीकार किया जा सकता है।

विश्व में सर्वाधिक युवा आबादी भारत में है और यहाँ के श्रमबल में हर वर्ष लगभग एक करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन इस रफ्तार से रोजगारों का सृजन नहीं हो पाता।

''लाइव मिंट''
('बेरोजगार विकास' का झूठ)

''हम यह नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक भारत में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के अपने वादे में सफल रहे हैं या नहीं।''

कुछ समय के लिए, परंपरागत ज्ञान यह है कि भारत में रोजगार का विकास, खासकर हाल के वर्षों में, अपेक्षाकृत कम हुआ है। इस परिकल्पना को आमतौर पर 'बेरोजगार विकास' कहा जाता है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) से आने वाले अधिक आधिकारिक आंकड़े, सर्वेक्षण के आधार पर, वास्तविकता से जुड़ी जिंदगी के बारे में वैध सवाल उठाते हैं।

दुर्भाग्यवश, इस तथ्य पर ईपीएफओ पंजीयन पर निर्धारित एक नया अर्ध-वास्तविक समय डेटा है, जिसने इस विवाद को लेखकों के असमर्थनीय और अयोग्य दावे से मोड़ दिया गया है कि नए ईपीएफओ पंजीयन, विशेष रूप से छोटे श्रमिकों के, बड़े पैमाने पर प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार, घोष का दावा है कि भारत में हर साल 5.5 मिलियन नई नौकरियां पैदा की जाती हैं, जो कि परंपरागत रूप से माना जाने वाले वास्तविकता से काफी दूर है।

भारत में समय के साथ-साथ ये महत्वपूर्ण आंकड़े घट रहे हैं, और वास्तव में विश्व स्तर पर दोनों उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में।

इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय के अर्थशास्त्री स्टीवन कप्सोस ने 2005 के एक शोध पत्र में, उदाहरण के लिए, अमेरिका के लिए, ईईईजी 1991-95 में 0.71 से 1995-99 में 0.43 और 1999-2003 में 0.20 के आंकड़ों के अनुसार गिरावट आई है, अन्य अर्थव्यवस्थाओं में समान पैटर्न के साथ।

एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के बीच भारत के गैर-कृषि क्षेत्र में केवल 38 मिलियन रोजगारों का सृजन हो पाएगा।

देश में प्रति 10 लाख इंजीनियरों में से 90 प्रतिशत से अधिक को अच्छी नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं है।

कृषि में विकास दर कम होने से इस क्षेत्र से जुड़े रोजगार देश के विकास में सहायक नहीं हो पाते। कृषि कार्यों का यंत्रीकरण होने से से भी रोजगार कम हुए हैं, विशेषकर महिलाओं के मामले में। ग्रामीण महिलाओं का रोजगार प्रतिशत 35 से घटकर 20 रह गया है।

साक्षरता दर (2001 में 68% प्रतिशत से 2011 में 74%) और आकांक्षाएं दोनों ही बढ़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद कम उत्पादकता वाले रोजगारों से लोगों के जुड़ने की दर बढ़ रही है।

नौकरी के अवसर पैदा करने का सबसे बड़ा कार्यक्रम मेक इन इंडिया को समझा जा रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम राज्यों पर केंद्रित है। इसका लक्ष्य राज्यों में विनिर्माण व निवेश क्षेत्र स्थापित कर रोजगार के अवसर पैदा करना है। राज्यवार जन सांख्यिकीयों के विश्लेषण से यह बात सामने आती है कि तेजी से रोजगार बढ़ाने के सरकार की कूवत की असल अग्निपरीक्षा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान में होगी क्योंकि इन राज्यों में 2011 और 2021 के बीच काम के उम्र वाली आबादी में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने वाली है।

यह बहस एक दिलचस्प मंच पर खड़ी है। यह स्पष्ट है कि घोष को उन डेटा तक विशेषाधिकार प्राप्त कर दिया गया जो सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। इसलिए, सरकार को सार्वजनिक डोमेन में सभी ईपीएफओ उपभोक्ता डेटा डाल देना चाहिए।

देश में रोजगार की दशा और दिशा पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो प्रत्येक तिमाही में सर्वे कर आँकड़े जारी करता है। पिछली कई तिमाहियों के इन आँकड़ों के अनुसार देश में रोजगार के अवसरों में लगातार कमी आ रही है।

श्रम ब्यूरो के नवीनतम सर्वे के अनुसार वर्ष 2015 और 2016 में 1.55 और 2.13 लाख नए रोजगार सृजित हुए जो पिछले आठ साल का सबसे निचला स्तर है।

मेक इन इंडिया तथा स्टार्ट अप इंडिया आदि योजनाएं भी अपेक्षा पर खरी नहीं उतर पाई हैं। रोजगार मूलक योजना स्किल इंडिया भी अपने लक्ष्य से काफी पीछे है।

यह केवल समय की एक श्रृंखला है जो सत्य प्रकट करेगी। अन्यथा, 70 लाख नौकरियों के दावे एक घमंड बने रहेंगे और समय के साथ, एक बड़े झूठ के रूप में माना जाएगा।

भारत के लिए, एक 2014 आरबीआई शोध पत्र के अनुसार, 1972/1973–1977/1978 में 0.57 के उच्च बिंदु से, यह 2004 /2005–2009/2010 में 0.01 के एक आश्चर्यजनक निम्न बिंदु पर गिर गया। उसके बाद, मौजूदा आंकड़ों के आधार पर, ईईईजी 0.20 के आसपास है। एक आउटलायर 1990/2000–2004/2005 से 0.50 की अविश्वसनीय ईईईजी है।

यह दुर्लभ है जब डेटा सत्ता में पार्टी के साथ मेल खाता है, फिर भी यह मामला यहां है: आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर अनुमान बताते हैं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार की पहली पारी के तहत लगभग बेरोजगार विकास दिखाता है, जबकि वे अब तक सबसे ज्यादा दिखाते हैं।

सरल शब्दों में, एनडीए –1 ने बहुत सी नौकरियों की रचना की, यूपीए –1 ने आधि कारिक आंकड़ों से आने वाले अनुमानों पर आधारित कोई भी निर्माण नहीं किया।

सच्चाई यह है कि हमारे पास वास्तविक समय नहीं है, एनडीए –2 के विश्वसनीय आंकड़े हमें बताते हैं कि 2014 से ईईईजी क्या रहा है। दूसरे शब्दों में, हम यह नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक अपने वादे को सफल बनाने के लिए सफल नहीं हुए या नहीं। 'मेक इन इंडिया' जैसी योजनाओं के जरिए भारत में नौकरी सृजन, जिसमें से बड़े पैमाने पर श्रमिक गहन उत्पादन पैदा करने का प्रयास किया गया है, जिसकी देश को तीव्रता से जरूरत है।

एक बिंदु क्रिस्टल स्पष्ट है: परंपरागत अनुमान के मुताबिक, भारत को बहुत अच्छी , उत्पादक और अच्छी तरह से भुगतान करने वाली रोजगार का निर्माण करने की जरूरत है– लगभग दस लाख या इतने नए संभावित श्रमिक हर महीने श्रम बल में प्रवेश करते हैं– और इसलिए, भारत को एक वैध और महत्वपूर्ण नीति की आवश्यकता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2017

- वर्ष 2017 और 2018 के बीच भारत में बेरोजगारी बढ़ सकती है और रोजगार के नए अवसर सृजित होने में बाधा आ सकती है।
- रोजगार जरूरतों के कारण आर्थिक विकास पिछड़ता दिखाई दे रहा है। वर्ष 2017 के दौरान बेरोजगारी बढ़ने तथा सामाजिक असमानता की स्थिति के और बिगड़ने की आशंका है।
- वर्ष 2017 और 2018 में भारत में रोजगार सृजन की गतिविधियों के गति पकड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि इस दौरान धीरे-धीरे बेरोजगारी बढ़ेगी।
- रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2016 के 1.77 करोड़ बेरोजगारों की तुलना में 2017 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 1.78 करोड़ और 2018 में 1.8 करोड़ हो सकती है।
- वर्ष 2016 में भारत की 7.6% वृद्धि दर ने 2016 में दक्षिण एशिया के लिये 6.8% की वृद्धि दर हासिल करने में सहायता की।
- रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक बेरोजगारी दर और स्तर अल्पकालिक तौर पर उच्च बने रह सकते हैं क्योंकि वैश्विक श्रम बल में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्ष 2017 में वैश्विक बेरोजगारी दर 2016 के 5.7% पर बने रहने की संभावना है।

पर्याप्त आँकड़े ही नहीं!

- देश में जो भी आँकड़े हैं, वे परिवारों के बीच किये गए सर्वे पर आधारित हैं और जो आँकड़े हैं भी, वे पुराने हैं।
- भारत जैसे विविधता भरे देश में उपक्रम आधारित रोजगार के आँकड़े जुटाना बेहद कठिन काम है। छोटे सैंपल सर्वे से प्राप्त आँकड़ों को बड़े पैमाने पर लागू करना संभव नहीं है।
- माना जाता है कि भारत जैसे किसी भी देश में रोजगार के बारे में उपक्रम आधारित सर्वे में बेहतर आँकड़े प्राप्त नहीं हो पाते।
- बेरोजगारी और रोजगार के बारे में जो आँकड़े उपलब्ध हैं भी, वे राष्ट्रीय नमूना सर्वे कार्यालय (National Sample Survey Office & NSSO) द्वारा कराए गए 2011-12 सर्वे के हैं।
- ऐसा अगला सर्वे 2018 में होगा और इसके डेटा 2019 से पहले उपलब्ध नहीं होंगे।

विकासशील देशों में निम्न प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है

1. **मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment) :** इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है. कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बोवाई, कटाई आदि कार्यों के समय तो रोजगार मिलता है लेकिन जैसे ही कृषि कार्य खत्म हो जाता है तो कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं।
2. **प्रच्छन्न बेरोजगारी (Disguised Unemployment) :** प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमे कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है अर्थात यदि इन लोगों को उस काम में से हटा भी लिया जाये तो भी उत्पादन में कोई अंतर नही आएगा। जैसे यदि किसी फैक्ट्री में 100 जूतों का निर्माण 10 लोग कर रहे हैं और यदि इसमें से 3 लोग बाहर निकाल दिए जाएँ तो भी 100 जूतों का निर्माण हो जाये तो इन हटाये गए 3 लोगों को प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार कहा जायेगा। भारत की कृषि में इस प्रकार की बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है।

मोदी सरकार की प्रमुख योजनायें

3. **संरचनात्मक बेरोजगारी (Structural Unemployment) :** संरचनात्मक बेरोजगारी तब प्रकट होती है जब बाजार में दीर्घकालिक स्थितियों में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए, भारत में स्कूटर का उत्पादन बंद हो गया है और कार का उत्पादन बढ़ रहा है। इस नए विकास के कारण स्कूटर के उत्पादन में लगे मिस्त्री बेरोजगार हो गए और कार बनाने वालों की मांग बढ़ गयी है। इस प्रकार की बेरोजगारी देश की आर्थिक संरचना में परिवर्तन के कारण पैदा होती है।

विकसित देशों में इन दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है

1. **चक्रीय बेरोजगारी (Cyclical Unemployment) :** इस प्रकार की बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार-चढ़ाव के कारण पैदा होती है. जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर होता है तो उत्पादन बढ़ता है रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर आता है तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की जरुरत होती है जिसके कारण बेरोजगारी बढती है।
2. **प्रतिरोधात्मक या घर्षण जनित बेरोजगारी (Frictional Unemployment) :** ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है, तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि में वह बेरोजगार हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि नयी टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा हो, तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोजगार पाने की अवधि की बेरोजगारी को घर्षणजनित बेरोजगारी कहते हैं।

बेरोजगारी के अन्य प्रकार इस प्रकार हैं

1. **ऐच्छिक बेरोजगारी (Voluntary Unemployment) :** ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नही है अर्थात वह ज्यादा मजदूरी की मांग कर रहा है जो कि उसको मिल नही रही है इस कारण वह बेरोजगार है।
2. **खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी (Open or Involuntary Unemployment) :** ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है लेकिन फिर भी उसे काम नही मिल रहा है तो उसे अनैच्छिक बेरोजगार कहा जायेगा।

संभावित प्रश्न

भारत में लगातार कम होते जा रहे रोजगार के अवसरों ने आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। रोजगार की समस्या का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों को स्पष्ट करते हुए सरकार द्वारा इसके निदान हेतु क्या अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Employment opportunities in India continuously decreasing has affected economic growth. What steps should be taken by the government to make its diagnosis clear while explaining the huge impact of employment problem on the Indian economy? Discuss. (250 Words)

आर्थिक सर्वेक्षण, 2018

(30 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

''हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश किया। यह रिपोर्ट देश की आर्थिक स्थिति की वर्तमान स्थिति और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मिलने वाले परिणामों को दर्शाती है।'' इसके संदर्भ में अंग्रेजी समाचार-पत्र ''इंडियन एक्सप्रेस' एवं 'द हिन्दू' में प्रकाशित लेखों का सार दिया जा रहा है, जिसे जी. एस. वर्ल्ड टीम द्वारा इस मुद्दे से जुड़ी अन्य सहायक जानकारियों को उपलब्ध करा कर एक समग्रता प्रदान की जा रही है।

''इंडियन एक्सप्रेस''
(अनिश्चितता को चिह्नित करना)

''आने वाला समय विकास के लिए बेहतर साबित हो सकता हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी हैं, जिसे सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण ही सही रूप से पहचान सकता है।''

केंद्रीय बजट से पहले नीति निर्माताओं के दिमाग में अनिश्चितता की स्थिति को बेहतर ढंग से पहचाना नहीं जा सकता कि 'आने वाले वर्ष में आर्थिक प्रबंधन चुनौतीपूर्ण होगा।' आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया जाता है कि वर्ष के दौरान विकास की प्रवृत्ति क्या और कैसी रही? सर्वे के मुताबिक साल 2017-18 में जीडीपी 6.75 फीसदी (केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 6.5 प्रतिशत के पूर्वानुमान से बेहतर) रहने की उम्मीद है। यह 2016-17 में 7.1 फीसदी और 2015-16 में 8 फीसदी थी। साल 2018-19 में 7 से 7.5 रहने का अनुमान है। यह देखते हुए कि अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में विमुद्रीकरण और जीएसटी के जुड़वें झटके के सबसे खराब स्थिति से उबर चुकी है। फिर भी, सर्वेक्षण से समग्र अर्थ संदेह का निर्माण करता है।

लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा होता कच्चा तेल है। वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम का कहना है कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो जीडीपी घटेगी। उन्होंने कहा है कि क्रूड आइल के दाम में हर 10 डॉलर की बढ़ोत्तरी से जीडीपी ग्रोथ पर 0.2% से 0.3% तक असर पड़ता है।

सरकार को उम्मीद थी कि कच्चा तेल 60 डॉलर प्रति बैरल से ज्यादा महंगा नहीं होगा, लेकिन सरकार का यह अनुमान गलत साबित हुआ। अब 2018-19 में अगर कच्चा तेल उम्मीद से ज्यादा महंगा होता है तो सरकार को इससे निपटने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। इसका सीधा मतलब यह भी होगा कि इसकी वजह से देश में पेट्रोल-डीजल और महंगा हो सकता है।

2015-16 और 2016-17 में, भारतीय रिफाइनर द्वारा आयातित कच्चे तेल की कीमत औसतन 46-47 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब 65 डॉलर से अधिक है कि, परिवारों के खर्चों को कम करने के अलावा, आरबीआई को मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। दूसरा जोखिम कारक वित्तीय है।

चूँकि, विमुद्रीकरण और जीएसटी के बाद टैक्स जमाकर्ताओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, तो इससे राजस्व में उछाल आएगा, हालांकि, जमा करने में समय लगेगा। अंत में, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने के दबाव से यह राजकोषीय समेकन में 'विराम' पैदा कर सकता है, जैसा कि सर्वेक्षण में बताया गया है। यहां पर जोखिम केवल निवेशकों की भावनाओं को खारिज नहीं कर रहा है, बल्कि पूंजी के बाहर निकलने की वजह से और आरबीआई मौद्रिक नीति को मजबूत बना कर फिर से प्रतिक्रिया दे रहा है।

वर्तमान सरकार तेल की कीमतों के बारे में क्या कर सकती है, ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं है। जब वैश्विक केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्रोत्साहन वापस लेने की प्रक्रिया में हैं, तो पूंजी के प्रवाह का जोखिम वास्तविक हो सकता है। हमने मई-अगस्त 2013 के दौरान यह देखा था। भारत ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता की कीमत अदा की है। इसे फिर से उस मूल्य का भुगतान नहीं करना चाहिए।

***

''द हिन्दू''
(सर्वेक्षण : सतर्क आशावाद)

''आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय विश्वसनीयता को बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।''

वर्ष 2017-18 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण एक ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर को को दर्शाता है जो आशावाद और सावधानी दोनों के जिम्मेदार है। यह परियोजना चालू वित्त वर्ष में 6.75% से 2018-19 में जीडीपी विकास 7-7.5% तक पहुंच सकती है, जो भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में पुनर्स्थापित कर रही है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के मुताबिक, सकारात्मक पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण कारक सुधार उपाय हैं- 1 जुलाई को वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन और बैंकिंग क्षेत्र में जुड़वां बैलेंस शीट की समस्या का समाधान करने के लिए नए कदम उठाए है। उत्तरार्द्ध ऋण समाधान के लिए दिवासला और दिवालियापन संहिता का उपयोग करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की पहल का उपयोग करने के लिए प्रयास शामिल है।

इन घरेलू सहयोगियों को जोड़ना एक वैश्विक उगाही का उचित उपाय हैं जिसने पहले से ही भारत के सामानों और सेवाओं के लिए विदेशी मांगों को बढ़ा दिया हैं। लेकिन इन अनुकूल कारकों पर पूँजीकरण जबकि अन्य व्यापक आर्थिक खतरों के प्रति सतर्क रहना, जिसमें उच्च तेल की कीमतों के रूप में एक महत्वपूर्ण जोखिम शामिल है, में अनुकरणीय आर्थिक पर्यवेक्षक की आवश्यकता होगी।

भारतीय शेयर सूचकांक लगभग दैनिक आधार पर नए उच्च स्तर तक बढ़ाना जारी रखते हुए, सर्वेक्षण 'इसके स्थिरता के बारे में भावनात्मकता' के खिलाफ चेतावनी देता हैं। शेयर बाजार में सुधार, पूंजी प्रवाह को ट्रिगर करने के अलावा, नीति निर्माताओं को ब्याज दरें बढ़ाने के लिए मजबूर किया जा सकता था, जो हाल के वसूली से जुड़ी हुई थी।

राजकोषीय मोर्चे पर सर्वेक्षण में यह तर्क दिया गया है कि केंद्र को अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्नवीनीकरण करने की आवश्यकता है। यह तर्क है, नीतियों को विश्वसनीयता की स्थापना और बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए।

इस छोर पर, यह तर्क है कि 'समेकन के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को स्थापित करना, विशेष रूप से पूर्व चुनाव वर्ष में', यह आशावादी और अवास्तविक धारणाओं पर आधारित हैं। इसके बजाय, यह एक 'मामूली एकत्रीकरण' की सिफारिश करता है जो अंशांकित घाटे में कटौती करने के रास्ते पर लौटने का संकेत देगा।

ऐसा करने से लगता है कि सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि सरकार को जीएसटी को स्थिर करने, पुनर्पूंजीकरण की कवायद को पूरा करने, और सबसे महत्वपूर्ण, कृषि का समर्थन करने के लिए तैयार और सतर्क रहना पड़ेगा।

'जलवायु, जलवायु परिवर्तन और कृषि' के पूरे अध्याय को समर्पित करते हुए, सीईए और उनकी टीम ने जलवायु परिवर्तन के खतरों पर बल दिया है, जो कृषि विकास के दृष्टिकोण पर आधारित है। वार्षिक कृषि आय (असीमित क्षेत्रों के लिए 20-25% तक) को कम करने की क्षमता के साथ सर्वेक्षण में कुशल सिंचाई तकनीकों के व्यापक प्रावधान और नीति के लिए अनाज केंद्रित दृष्टिकोण की थोक समीक्षा सहित कई शमन उपायों की मांग की गई है।

नौकरी सृजन और शिक्षा को प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में प्रस्तुत करते हुए सर्वेक्षण ने सिफारिश की है कि नीति निर्माताओं को 6केवल दो सही मायने में स्थायी इंजनों- निजी निवेश और निर्यात' को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

***

आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े मुख्य तथ्य

1. जीडीपी के एक अनुपात के रूप में केन्द्र एवं राज्यों द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2012-13 से 2014-15 के दौरान 6 प्रतिशत के दायरे में बना रहा था। 2017-18 (बजट अनुमान) में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 6.6 प्रतिशत है। साल 2017-18 के दौरान लगभग 4.6 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है जिसका कुल योग 177.8 करोड़ व्यक्ति दिवस होता है, इसमें महिलाओं की 54 प्रतिशत, अनुसूचित जाति की 22 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति 17 प्रतिशत भागीदारी शामिल है।

2. 2014 में खुले में शौच जाने वाले व्यक्तियों की आबादी 55 करोड़ थी, जो जनवरी, 2018 में घटकर 25 करोड़ हो गई है। अब तक पूरे देश में 296 जिलों तथा 3,07,349 गांव को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया है। 8 राज्यों और 2 केन्द्रशासित प्रदेशों - सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, दमन और दीव तथा चंडीगढ़ ख्र को खुले में शौच से पूर्ण रूप से मुक्त घोषित किया गया है।
3. राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएस) को तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के रिपोर्टों के आधार पर वैसे लोगों जिनकी शौचालय तक पहुंच है, की संख्या में 2016 के मुकाबले 2017 में 90 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वेक्षण कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में तेजी से कमी आई है।
4. सर्वेक्षण में बताया गया है कि 2016 में भारत में स्वास्थ्य हानि के लिए बाल एवं मातृत्व कुपोषण सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण व जोखिम भरा कारक रहा है। अन्य प्रमुख कारक हैं वायु प्रदूषण, आहार आधारित जोखिम, उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह आदि हैं। 1990 से 2015 की अवधि के दौरान जीवन प्रत्याशा 10 वर्षों तक बढ़ी है। फिर भी, सर्वेक्षण में इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि विभिन्न शहरों में नैदानिक जांचों के औसत मूल्यों में भारी अंतर है, जिसका समाधान स्वास्थ्य सेवाओं पर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिस (ओपीई) को कम करने हेतु दरों का मानकीकरण किए जाने की आवश्यकता है।

5. सर्वेक्षण में कहा गया है कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वास्तविक व्यय 2017-18 के दौरान बढ़कर 6800 करोड़ (बजट अनुमान) तक पहुंच गया। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2016 के दौरान देश में विभिन्न कृषि पर्यावरण क्षेत्रों में खेती के लिए अनाज की 155 उच्च पैदावार की किस्में/नस्लें जारी की गई। अनाज- वर्ष 2017 के दौरान देश के विभिन्न कृषि पर्यावरणों में खेती के लिए 117 उच्च पैदावार किस्में/संकर किस्में जारी की गई जिनमें शामिल हैं- चावल की 65 किस्में, गेंहू की 14, मक्का की 24, रागी की 5, बाजरा की 3, ज्वार, जई, कंगनी, कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट और प्रोसो मिलेट की एक-एक किस्म।
6. तिलहन- विभिन्न कृषि पर्यावरण क्षेत्रों के संबंध में 28 उच्च पैदावार वाली तिलहन की किस्में जारी की गई हैं जिनमें 8 सफेद सरसों की, 7 सोयाबीन की, 4 मूंगफली और अलसी की, 3 सूरजमुखी की, 2 अरंडी की और नाइजर की। दलहन- विभिन्न कृषि पर्यावरण क्षेत्रों के संबंध में दहलन की 32 उच्च पैदावार की किस्में जारी की गई। लोबिया की 10, दाल की 6, मूंग की 3, अरहर, चना और फील्ड पी की 2-2, उड़द, राजमा और फावाबीन की एक-एक।

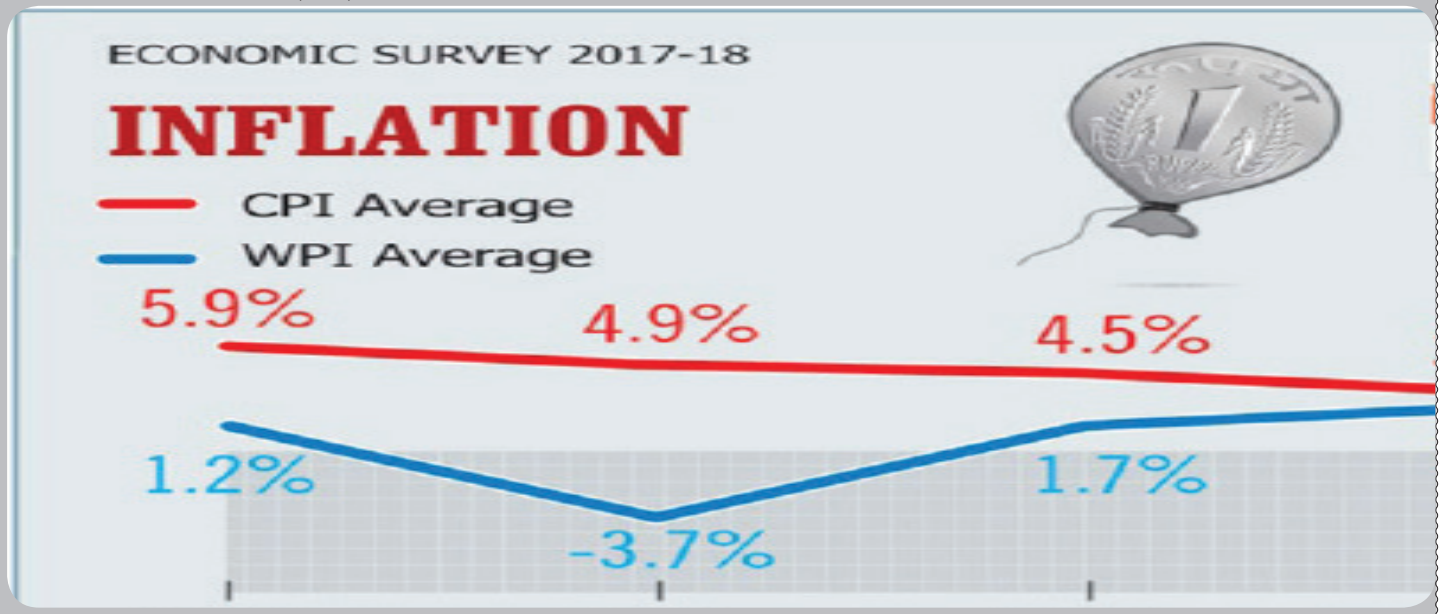

7. वाणिज्यिक फसलें : विभिन्न कृषि पर्यावरण क्षेत्रों के संबंध में वाणिज्यिक फसलों की 24 उच्चं पैदावार की किस्में जारी की गई जिसमें शामिल हैं- कपास की 13, गन्ने की 8, जूट की 3। चारा फसलें- विभिन्न कृषि पर्यावरण क्षेत्रों के संबंध में खेती के लिए चारे की 8 उच्च पैदावार की किस्में/संकर किस्में जारी की गई, जिनमें शामिल हैं- जई की 3, बाजरा, नेपियर संकर, चारा ज्वारि, ग्रेन अमारन्यसस, चारा चना और मारवल ग्रास की 1-1 किस्म।
8. जीएसटी पर आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि नई प्रणाली अपनाने से प्रमुख उत्पादक राज्यों के कर संग्रह में कमी आने की आशंका निराधार साबित हुई है, क्योंकि राज्यों के बीच जीएसटी आधार के वितरण को उनकी अर्थव्यवस्थाओं के आकार से जोड़ दिया गया है।
9. आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन (दिसंबर 2017) के अनुसार 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन कुल मिलाकर 1.2 बिलियन तक पहुंच गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 46 मिलियन अधिक रहा।
10. 9.19 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी-बीपीएम में 8.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई और नासकॉम के आंकड़ों के अनुसार 2015-16 में 129.4 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2016-17 में 139.9 बिलियन अमरीकी डॉलर (ई-कॉमर्स तथा हार्डवेयर को छोड़कर) हो गया।
11. स्वास्थ्य संपदा क्षेत्र का हिस्सा जिसमें मकानों का स्वामित्व भी शामिल है, 2015-16 में भारत की संपदा जीवीए का 7.7 प्रतिशत था, पिछले तीन वर्षों में इस क्षेत्र में विभिन्न कमी आई है जो कि 2013-14 में 7.5 प्रतिशत से कम होकर 2014-15 में 6.6 प्रतिशत हो गई और यहां 2015-16 में और घटकर 4.4 प्रतिशत हो गई।
12. अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए अलग से कोई शीर्षक नहीं है जिसमें व्यवसायिक, वैज्ञानिक तकनीकी गतिविधियों की हिस्सेदारी होती है। इन सेवाओं में क्रमशः 2014-15 और 2015-16 में 17.5 प्रतिशत और 41.1 की वृद्धि हुई है।
13. उपग्रह प्रक्षेपण के मामले में भारत ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। मार्च 2017 में 254 उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ भारत ने सै. टलाइट के क्षेत्र में मिसाल कायम की। इससे भारत को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। 2015-16 और 2016-17 क्रमशः 394 करोड़ और 275 करोड़ रूपये का उपग्रह प्रक्षेपण से राजस्व हासिल हुआ। इसी तरह 2014-15 में 149 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ। वैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण से प्राप्त होने वाले राजस्व में भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इसमें 2015-16 में 1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। 2014-15 में 0.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
14. विज्ञान में निवेश, भारत की सुरक्षा व्यवस्था की मूलभूत आवश्यकता है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जलवायु परिवर्तन से होने वाली अनिश्चितताओं का सामना करने के लिए तथा नए खतरों जैसे साइबर युद्ध, ड्रोन जैसी स्वायत्त सैन्य प्रणाली से राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने की चुनौती के लिए भी विज्ञान में निवेश की आवश्यकता है।
15. ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड जीएसवीए के अंश और वृद्धि के आधार पर, उसमें काफी अंतर है। 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिनके लिए 2016-17 के लिए डाटा उपलब्धि है (या वर्तमान वर्ष, जिसके लिए डाटा उपलब्ध है), में से सेवा जीएसवीए अंश के आधार पर, दिल्ली और चंडीगढ़ 80 प्रतिशत अंश के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि 31.7 प्रतिशत अंश के साथ सिक्किम सबसे निचले स्थान पर हैं। सेवा जीएसवीए के आधार पर, वर्ष 2016-17 में 14.5 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत के साथ क्रमशः बिहार शीर्ष स्थान पर और उत्तर प्रदेश निचले स्थान पर है।

संभावित प्रश्न

स्पष्ट करे कि आर्थिक सर्वेक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था के आशावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इस संदर्भ में वर्त्तमान सरकार के कुछ आर्थिक सुधारों की चर्चा करते हुए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के समक्ष प्रमुख चुनौतियों को भी रेखांकित करते हुए सुधारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

Explain that the economic survey presents an optimistic view of the Indian economy. In this context, discussing some of the economic reforms of the current government and highlighting the key challenges before meeting the target, discuss the reforms briefly. (250 Words)

एक धीमी न्यायपालिका की बड़ी लागतें

(31 जनवरी, 2018)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

''लाइव मिंट''

''दीर्घकालिक, संबंध-विशिष्ट निवेश और साथ ही उच्च-जोखिम अनुबंध कमजोर न्यायिक प्रणाली के साथ कठिन हैं।''

यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक कुशल न्यायालय आधुनिक, अति विशिष्ट अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती हैं। एक ठोस न्यायपालिका कानूनों को लागू करने और अर्थव्यवस्था में विश्वास बनाने की कुंजी है, जो धोखाधड़ी को समाप्त करते हुए निष्पक्षता और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती है। इसलिए, जब न्याय व्यवस्था टूट या कमजोर पड़ जाती है, तो परिणाम और परिस्थितियां बिगड़ने लगते हैं।

लंबित मामलों की एक बड़ी संख्या के साथ-साथ एक धीमी न्यायपालिका अर्थव्यवस्था में विश्वास को कमजोर और लोगों में भय का कारण बनती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 ने एक तर्कसंगत तर्क दिया है कि अपील और न्यायिक अखाड़े में लंबित पड़े मामले, देरी और बैकलॉग को संबोधित करना देश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस (EODB) में सुधार के लिए अगली सीमा है।

निश्चित रूप से यह बहुत जरूरी है। विश्व बैंक द्वारा नवीनतम इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में, भारत ने अनुबंधों को लागू करने की श्रेणी में निराशाजनक 164वाँ स्थान प्राप्त किया है। जहाँ एक तरफ भारत में एक स्थानीय अदालत में, एक मानक बिक्री समझौते को लागू करने के लिए औसतन लगभग चार साल लगाता हैं और इस कारण 31% से अधिक का लागत आता है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण एशिया में तीन साल और चीन में एक वर्ष चार महीने के औसत से अधिक नहीं है। इसके कारण अर्थव्यवस्था के विवाद समाधान तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है।

अनुबंधों को लागू करने में भारत की खराब रैंकिंग सीधे अपनी न्यायिक क्षमता से संबंधित है। एक सुस्त पड़ी न्यायपालिका प्रतिभागियों को कम नुकसान वाले रणनीतियों को अपनाने पर मजबूर कर देती हैं जो हमेशा सही नहीं होते।

कमजोर न्यायापालिका द्वारा बनाई गई असुरक्षा के कारण, जोखिमों को कम करने के लिए जमीन मालिकों को किराए में काफी अधिक वृद्धि करना होगा या फिर किरायेदार को एक सुरक्षा राशि जमा करने के लिए कहना होगा। इसी तरह, जोखिम प्रीमियम को शामिल करने के कारण क्रेडिट पर ब्याज दरें खराब व्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था में उच्च होती हैं।

दूसरा, यह फर्मों को संबंध-विशिष्ट निवेश करने से रोकता है, अर्थात उन उत्पादों के लिए निवेश जो कि वैकल्पिक उपयोगों में कम मूल्य वाले हैं, वे शामिल पार्टियों के बीच के उद्देश्य से उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक बिजली उत्पादन कंपनी को विशेष रूप से राख रहित कोयले की आपूर्ति वाली कंपनी ने ऐसे निवेश किए हैं जो वैकल्पिक उपयोगों में कम मूल्यवान हैं।

ऐसे लेनदेन में, जब एक बार कोयले के आपूर्तिकर्ता ने प्रारंभिक निवेश किया है, तो वह एक कमजोर स्थिति में है, क्योंकि बिजली कंपनी अनुबंध की शर्तों को बदल सकती है। विलम्ब का खतरा कुशल निवेश को रोक सकता है और यहां तक कि एक्सचेंजों को भी बाहर कर सकता है जो संभवत: मूल्यवान हैं।

फर्मों और उद्योगों ने इस समस्या से निपटने के लिए कई तरीके विकसित किए हैं। कई उद्योगों में, कंपनियां उत्पादन के विभिन्न चरणों में अपने प्रोत्साहनों को संरेखित करने के लिए उर्ध्वाधर रूप से एकीकृत करती हैं, या विक्रेताओं को खरीदार से सुरक्षा राशि की आवश्यकता होती है। हालांकि, एकीकरण, एक व्यवसाय शुरू करने की लागत बढ़ा देती है और उद्योग को कम प्रतिस्पर्धी बनाती है।

कार्यक्षेत्र एकीकरण भी उनके विकास और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने पर ध्यान केंद्रित करता है। कुछ उद्योग निजी नियमों का पालन करते हैं और विवाद सुलझाने के लिए निजी ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल करते हैं।

इसी प्रकार, ऋणदाता द्वारा जोखिम प्रीमियम शामिल करने के कारण क्रेडिट पर ब्याज दरें खराब व्यवस्था के साथ अर्थव्यवस्था में उच्च हो जाती है। न्यायिक प्रभाव पूरे देश में काफी भिन्न होता है और यह शोधकर्ताओं को विभिन्न परिणामों पर एक धीमी न्यायपालिका के प्रभाव को मापने की अनुमति देती है।

फरवरी, 2017 में प्रकाशित एक शोध पत्र में, अमृत अमीरापु ने बताया है कि तेजी से कार्य करने वाले अदालतों के साथ एक राज्य में अनुबंध-गहन उद्योग (एक ऐसा उद्योग जिसे अधिक संबंध-विशिष्ट निवेश की आवश्यकता होती है) का स्थान उसके भविष्य के विकास की भविष्यवाणी है- 'एक उद्योग के लिए अनुबंध की तीव्रता के 75 वें प्रतिशतक में, अदालत दक्षता में एक मानक विचलन में सुधार, सकल मूल्य की एक उच्च वार्षिक वृद्धि दर से 0.9 प्रतिशत अंकों की वृद्धि होगी। यह एक बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि प्रतिरूप में औसत वार्षिक वृद्धि दर प्रति वर्ष 2% है। इसी प्रकार के परिणाम रोजगार, मुनाफे और कारखानों की शुद्ध प्रवेश में वृद्धि, जहां सभी परिणाम उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) से लिया जाता है और 1999 से 2008 तक पूरे औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं।'

1971 से 1996 तक 25 भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर इसी तरह के शोध में पाया गया है कि एक कमजोर न्यायपालिका (परीक्षण परिणामों की गति और पूर्वानुमान के आधार पर परिभाषित) का आर्थिक और सामाजिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे निम्न प्रति व्यक्ति आय; उच्च गरीबी दर; निचले निजी आर्थिक गतिविधि; गरीब सार्वजनिक बुनियादी ढांचे; और उच्च अपराध दर और अधिक औद्योगिक दंगे कम हो जाती है।

पिछले दशक से लंबित पड़े मामले की समस्या और अधिक गंभीर हो गई है, क्योंकि हाई कोर्ट और निचली अदालतों में मुकदमे चलने वाले मामलों की औसत प्रतिशत पिछले दशक में 82.8% से बढ़कर 84.81% हो गई है। 1987 में, कानून आयोग प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर न्यायाधिशों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर देने की सिफारिश की थी। यह आंकड़ा 2016 में केवल 18 था।

वर्तमान सरकार भारत की इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार के बारे में मुखर रही है। शायद उन्हें आर्थिक सर्वेक्षण में सिफारिशों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

GS World टीम...

न्यायिक समीक्षा

- विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों के व्यापक अधिकार क्षेत्र के साथ भारत की एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायिक समीक्षा को सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसे आम तौर पर स्वतंत्र न्यायपालिका की बुनियादी संरचना के रूप में जाना जाता है (इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामला)।
- विधायी कार्यों की न्यायिक समीक्षा का अर्थ वह शक्ति है जो विधायिका द्वारा पारित कानून को संविधान में निहित प्रावधानों और विशेषकर संविधान के भाग 3 (पढ़ने का सिद्धांत) के अनुसार सुनिश्चित करती है। निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के मामले में, उदाहरण के लिए जब एक कानून को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि इसे बगैर किसी प्राधिकरण या अधिकार से विधायिका द्वारा पारित किया गया है, विधायिका द्वारा पारित किया गया कानून वैध है या नहीं, इसके बारे में फैसला लेने का अधिकार अदालत के पास होता है। इसके अलावा हमारे देश में किसी भी विधायिका के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वे अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय की अवज्ञा या उपेक्षा कर सकें।
- अदालतों के पास न्यायिक समीक्षा की व्यापक शक्तियां हैं, इन शक्तियों का बड़ी सावधानी और नियंत्रण के साथ प्रयोग किया जाता है। इन शक्तियों की निम्न सीमाएं हैं-
  - इसके पास केवल निर्णय तक पहुँचने में प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया है कि नहीं, तक ही अनुमति होती है लेकिन स्वयं निर्णय लेने की अनुमति नहीं होती है।
  - इसे केवल हमारे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसी अदालतों को सौंपा जाता है।
  - जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो, तब तक नीतिगत मामलों और राजनीतिक सवालों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
  - एक बार कानून के पारित होने पर यह स्थिति बदलने के साथ असंवैधानिक हो सकता है, यह शायद कानून प्रणाली में खालीपन पैदा कर सकती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि अदालत द्वारा दिए गये निर्देश तभी बाध्यकारी होगें जब तक कानून अधिनियमित नहीं हो जाते हैं, अर्थात् यह प्राकृतिक रूप से अस्थायी है।

न्यायिक सक्रियता

- इसे न्यायिक निर्णय लेने के एक ऐसे दर्शन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां न्यायाधीश संविधानवाद की बजाय सार्वजनिक नीति के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार प्रकट करते हैं। भारत में सक्रियता से कुछ मामलें इस प्रकार हैं-
  - गोलकनाथ मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की थी कि भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और उन्हें सुधारा नहीं जा सकता है।
  - केशवानंद भारती मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत पेश किया, यानी संसद के पास संविधान के मूल ढांचे में फेरबदल किए बिना संशोधन करने की शक्ति है।
  - सुप्रीम कोर्ट ने 2 जी घोटाले की सीबीआई जांच में एक पर्यवेक्षी भूमिका निभायी है।
  - हसन अली खान के खिलाफ आतंकी कानूनों को लागू करने में।
- इसके अलावा, न्यायिक सक्रियता की अवधारणा को भी कुछ आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। सबसे पहले, अक्सर यह कहा जाता है कि सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका अक्सर व्यक्तिगत राय का पुनर्लेखन करती है। दूसरा, शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पराभूत होना है। हालांकि, इसके महत्व को इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह पीड़ित व्यक्तियों के लिए आशा की एक जगह वाली संस्था है।
- समीक्षा और सक्रियता के बीच केवल अलगाव की एक पतली रेखा है। न्यायिक समीक्षा का अर्थ कानून/अधिनियम के संविधान के अनुरूप होने के बारे में निर्णय करना है। वहीं दूसरी ओर न्यायिक सक्रियता का संबंध न्यायाधीश की एक व्यवहारिक अवधारणा से है। यह मुख्य रूप से सार्वजनिक हित, मामलों के शीघ्र निपटान आदि पर आधारित है।
- न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ, अदालतें मौलिक अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रकार, न्यायिक समीक्षा की शक्ति को भारत के बुनियादी संविधान के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

***

संभावित प्रश्न

भारत में न्यायालयों के विभिन्न स्तरों पर लाखों मामले लंबित पड़े हैं एवं उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस समस्या के निदान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जाना अपेक्षित है? चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

In India, millions of cases are pending at various levels of courts and their number is increasing steadily. What is the expected steps taken by the government to diagnose this problem? Discuss. (250 Words)

IAS GS World PCS

Committed To Excellence

You deserve the best...

CURRENT 360°

Revise Your Current Through Test and Text.

Under the Guidance of **Ashirwad Sir**

Bilingual

Fee - GS World Students — ₹ 3000 / Other Students — ₹ 3500

Test No.	Day	Date	Topic of Paper
TEST -1	Sunday	28.01.18	JUNE 2017 Month Current
TEST -2	Sunday	04.02.18	JULY 2017 Month Current
TEST -3	Sunday	11.02.18	AUG 2017 Month Currnet
TEST -4	Sunday	18.02.18	SEP 2017 Month Current
TEST -5	Sunday	25.02.18	OCT 2017 Month Current
Holi	Sunday	04.03.18	OFF
TEST -6	Sunday	11.03.18	NOV 2017 Month Current
TEST -7	Sunday	18.03.18	DEC 2017 Month Current
TEST -8	Sunday	25.03.18	JAN 2018 Month Current
TEST -9	Sunday	01.04.18	FEB 2018 Month Current
TEST -10	Sunday	08.04.18	MAR 2018 Month Current
TEST -11	Sunday	15.04.18	FULL TEST
TEST -12	Sunday	22.04.18	FULL TEST
TEST -13	Sunday	29.04.18	APR 2018 TEST-I
TEST -14	Sunday	06.05.18	APR 2018 TEST-II
TEST -15	Sunday	13.05.18	FULL TEST

Discussion Class (Only for monthly Current Test)
प्रत्येक मंगलवार 3 बजे आयोजित की जायेगी

Test-Time
Every Sunday
5:00 pm

629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09 #7042772063 9654349902

You Deserve the Best...

IAS PCS

ISO 9001 Certified

GS World

Committed to Excellence

Distance Learning Programme

सामान्य अध्ययन

(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

30 Booklets ₹ 12,500/-

M.D.: Niraj Singh | IAS : 2018-19 | Divyasen Singh (Co-ordinator)

Curriculum Enrichment Activities

GS World में हम एक व्यापक श्रेणी के पाठ्यक्रम संवर्धन गतिविधियों को प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य प्रत्येक उम्मीदवार को निरंतर अभ्यास के माध्यम से स्वयं को इतना सक्षम बनाना है कि वह अंतिम रूप से सफल हो सके। ये गतिविधियां परीक्षा की मांग के अनुसार तैयार की जाती हैं ...

01 Everyday
प्रतिदिन प्रत्येक कक्षा के पूर्व 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट

02 Everyday
प्रत्येक कक्षा के पूर्व 10 मिनट का Writing Skill Development Program.

03 Everyday
अंग्रेजी समाचार पत्रों (Hindu,TOI, BS, ET, LM) का संभावित प्रश्नों के साथ अनुवादित आलेख

04 Every Sunday
Current Affairs की कक्षा के पूर्व बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट

05 Every Sunday
30 मिनट (12:30pm - 1:00pm) में 3 प्रश्नों का लिखित टेस्ट (Answer Writing Challenge)

06 Every Sunday and Monday
3-3 घंटे की Current Affairs की कक्षाएं एवं अद्यतन नोट्स

07 Every Monday
समाचार पत्रों एवं पीआईबी के महत्वपूर्ण आलेख (संभावित प्रश्नों के साथ)

08 Every Monday
Current Affairs की कक्षा के पूर्व समाचार पत्रों के आलेख पर आधारित लिखित टेस्ट

09 Every Thursday
निबंध लेखन में सुधार के लिए प्रत्येक गुरूवार को - 'Essay of The Week'

10 Every Saturday
60 मिनट (3pm - 4pm) में 50 NCERT आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों का टेस्ट

11 Every Month
15 दिनों के अंतराल पर दो बार योजना, कुरूक्षेत्र, वर्ल्ड फोकस, ईपीडब्ल्यू आदि पर आधारित पांच प्रश्नों का लिखित टेस्ट

12 Every Month
प्रत्येक माह में एक बार दो प्रश्नों का निबंध टेस्ट (250 अंक)

A well organised and managed programme of studies.....

सिविल सेवा परीक्षा की नवीन मांग को देखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा कई नए कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं-

- अभ्यार्थियों को आंकड़ों की जकड़ से मुक्त कर विश्लेषण की ओर उन्मुख करना।
- साप्ताहिक स्तर पर समसामयिक विकास की कक्षा का आयोजन तथा समसामयिक विकास को परंपरागत टॉपिक से जोड़ना।
- निबन्ध के महत्व को देखते हुये उसकी तैयारी की दीर्घकालीन रणनीति।

DELHI CENTRE
629, Ground Floor, Main Road
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi- 09
Ph.:7042772062/63, 9868365322

ALLAHABAD CENTRE
GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
Ph.: 0532-2266079, 8726027579

LUCKNOW CENTRE
A-7, Sector-J , Puraniya Chauraha
Aliganj, Lucknow
Ph. : 0522-4003197, 8756450894

JAIPUR CENTRE
Hindaun Heights 57, Shri Gopal Ngr,
Near Mahesh Ngr Police Station,
Jaipur Ph. : 9610577789, 9680023570

http://www.gsworldias.com || http://facebook.com/gsworld1 || 9654349902